(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 1] षष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र का नवां दिवस [संख्या 7

मंगलवार

26 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री भंवरलाल शर्मा !

जयपुर नगर में पेय जल का संकट

59. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा महल, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर नगर में पेय जल संकट निवारण हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो उस योजना की क्रियान्विति में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : सामान्यत: जयपुर नगर में कोई विशेष पेय जल संकट नहीं है। परन्तु फिर भी बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए एवं नगर की जल वितरण व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता को महसूस करते हुए योजनायें बनायी गयी हैं और उनके क्रियान्वयन के प्रयत्न हो रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जयपुर की जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति कितना गेलन पानी होना चाहिये और कितना उपलब्ध है ?

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अनुकूल ही पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : पहले जहां पानी नहीं है, वहां पर तो व्यवस्था हो जाने दो।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना तो ठीक है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ उसके अनुपात में पानी की व्यवस्था हो। परन्तु जयपुर शहर में बढ़ती हुई आबादी के साथ ही इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की गई है। सामान्यत: 40 गेलन पानी प्रति दिन प्रति व्यक्ति को चाहिए और जयपुर शहर में 30 गेलन पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई कर रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह

(श्री ओंकार लाल चौहान)
जो पानी की कमी महसूस कर रहे हैं, उसको पूरा करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री महबूब अली : योजनाएं विचाराधीन हैं और उन योजनाओं पर कार्य चल रहा है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वे योजनाएं कौनसी हैं ? बतलाने की कृपा करें ।

श्री महबूब अली : एक तो बीसलपुर की योजना थी । वह चल रही है । इसके दो अध्याय थे । दो खण्डों में थी । उसमें से एक खण्ड पर बांध बनाने का प्रश्न था । और दूसरा खण्ड यह था कि शहर के अन्दर ट्यूब वैल्स बनाकर पानी सप्लाई किया जाये । दूसरे खंड के ऊपर कई जगह कार्य चल रहा है । सन् 1963 में जयपुर शहर को जहां 70 लाख गैलन पानी प्रति दिन सप्लाई होता था, वहां पर आज 210 लाख गैलन पानी प्रति दिन दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गंगा सहाय ।

अलवर जिले में 'सीखो-कमाओ' योजना के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

60. **डा. गंगा सहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में 'सीखो-कमाओ' योजना कब से चल रही है तथा इसमें कितनी धनराशि लगी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बिक्री कर एवं 5% एम्पोरियम चार्जेज लिए जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इस बिक्री केन्द्र के आय-व्यय का आडिट कराया गया है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) वर्ष 1970–71 से। इसमें राज्य सरकार की कोई राशि नहीं लगी हुई है।

(2) बिक्री कर नहीं लिया जाता, केवल 5 प्रतिशत एम्पोरियम चार्जेज लिए जाते हैं जिन्हें विविध व्यय जैसे बुलेटिन का प्रकाशन, पैकिंग, फारवर्डिंग, प्रचार व प्रसार, पत्र व्यवहार आदि पर व्यय किया जाता है।

(3) जी हां । आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतिवेदन की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

डा. गंगा सहाय : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया है कि आडिट नहीं कराया गया है । चार्टर्ड अकाउन्टेंट से आडिट नहीं कराया तो लोकल आडिटर से या महालेखाकार से आडिट कराया जाना चाहिये । कोई तो आडिट रिपोर्ट आनी चाहिए ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है । यह 1974-75 और 1975-76 की आडिट रिपोर्ट है ।

डा. गंगा सहाय : कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो, और समय-समय पर ग्राडिट होता रहे, इसके लिए विभाग को निर्देश देंगे ?

श्री अध्यक्ष । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 61

श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये ।)

श्री नवरंग सिंह

लोक प्रशासन विषय के प्रश्न—पत्र का विद्यार्थियों द्वारा बहिष्कार

62. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ली गई द्वितीय वर्ष कला (नॉन कालेजियट) के लोक प्रशासन विषय के द्वितीय प्रश्न-पत्र का कई परीक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थियों द्वारा बहिष्कार किया गया ? यदि हां, तो किन किन प्रशिक्षण केन्द्रों पर ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रश्न-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रश्न बैंक के अनुरूप नहीं था ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रश्न-पत्र में यह भी उल्लेख नहीं था कि कितने प्रश्न विद्यार्थियों को हल करने हैं ? यदि हां, तो इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उक्त प्रश्न—पत्र के संबंध में जांच हेतु एक समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो उक्त समिति में कौन कौन सदस्य हैं एवं उसने क्या रिपोर्ट दी है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) सरकार परीक्षा का बहिष्कार किये गये विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे विद्यार्थियों में असन्तोष दूर हो सके और विद्यार्थियों का एक साल बरबाद न हो ?

शिक्षा मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, केवल महाराजा कॉलेज, जयपुर केन्द्र के परीक्षार्थियों द्वारा बहिष्कार किया गया था।

(2) जी हां। इसके लिए प्रश्न—पत्र निर्माता उत्तरदायी हैं। उनके खिलाफ विश्वविद्यालय में कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जी हां। इस गलती के लिए प्रश्न-पत्र निर्माता उत्तरदायी हैं।

(4) विश्वविद्यालय ने प्रश्न पत्रों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिए पहले से ही एक समिति का गठन किया हुआ है। प्रोफेसर बी. डी. टिबकीवाल इस समिति के संयोजक हैं तथा डा. एस. के.

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गुप्ता, डा. जी. एन. शर्मा, डा. एस. सी. गुप्ता, डा. एम. जी. भटवडेकर, संबंधित विषय की पाठ्यक्रम समिति के संयोजक, संबंधित विषय के प्रोफेसर, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष तथा कुल सचिव, व उप कुल सचिव (गोपनीयता) इसके सदस्य हैं। समिति की रिपोर्ट में से उक्त प्रश्न-पत्र से संबंधित अंश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) विश्वविद्यालय ने इस संबंध में उक्त प्रश्न-पत्र में पुनः परीक्षा की व्यवस्था की है जिसमें यदि छात्र चाहें तो पुनः बैठ सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतिवेदन अंश एवं विज्ञप्ति के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, कृपा कर के मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जब पेपर में यह नहीं था कि कितने प्रश्न करने हैं तो जांच करते समय जांच-कर्ता ने कितने प्रश्नों की जांच की ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने यह निवेदन किया है कि विश्वविद्यालय ने जो एक्शन लिया है, उसको सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। जांचने वाले लोगों को यह कहा गया है कि पांच प्रश्नों पर विचार करके उन के प्रश्न-पत्र की जांच की जाये। इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि जो यह चाहते हैं कि वे दुबारा परीक्षा दें, उनको दुबारा परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई है।

श्री नवरंगसिंह : भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। बहुत सों को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि परीक्षाएं दुबारा हो रही हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सूचना सब जगह जारी कर दी गई है। अब यह सुझाव आया है तो अखबारों में इसकी सूचना निकलवा दी जायेगी। हम भी चाहते हैं कि ऐसी गलती न हो। जो निर्माता हैं, वे गलती करते हैं तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूर दूर तक के लड़के परीक्षा में आते हैं। वे सब लड़के इम्तिहान देने नहीं आ सकते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : परीक्षा देने के बीच में काफी बड़ा मार्जिन समय का रहता है। फिर भी इसको अखबारों के जरिए विज्ञापित करवा दिया जावेगा।

श्री नवरंगसिंह : क्या उन विद्यार्थियों को भी लिख कर भेजा जायेगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सारे कालेजों को सूचना दे दी जाएगी और वहां के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना लगा दी जायेगी। प्रत्येक विद्यार्थी को अलग से भेजना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।

श्री नवरंगसिंह : यह विश्वविद्यालय की गलती है इसलिए सब के पास सूचना भेजनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने सप्लीमेन्ट्री भी पूछा है और सरकार का उत्तर भी हो गया है।

नेक्स्ट । श्री खेतसिंह राठौड़।

भूतपूर्व नरेशों को सुविधाएं

63. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के भूतपूर्व नरेशों को राज्य सरकार आवासीय भूखण्डों के सिलसिले में, जो कि उनके कब्जे में हैं, क्या रियायत दे रही है ?

(2) क्या लैण्ड एवं बिल्डिंग टैक्स से भूतपूर्व नरेशों को मुक्त कर दिया गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार कृषि भूमि पर लगाई गई सीलिंग में छूट देकर इन भूतपूर्व नरेशों को कोई रियायत देने की सोच रही है ?

(4) क्या राजकीय पत्र व्यवहार में ये 'महाराजा' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ?

(5) क्या साधारण नागरिक से किसी मायने में इन्हें कुछ अधिक सुविधायें एवं मान्यताएं देने बाबत सरकार कोई निर्णय ले रही है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : (1) कोई रियायत नहीं दे रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग 2 का जवाब 'जी नहीं' दिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या टैक्स रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लिया जावेगा या फिर जब से आप लागू करेंगे तब से लिया जावेगा ? कौनसी तारीख से यह टैक्स लिया जायेगा ?

श्री महबूब अली : जी नहीं, जवाब ठीक दिया गया है। एक्ट के अन्दर इसका प्राविजन है। उससे कोई मुक्त नहीं है। उनको देना पड़ेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने इस टैक्स को हटा दिया था। क्या आप इस टैक्स को उसी तरीके से लागू कर रहे हैं या फिर से नया ला रहे है? इसके बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री महबूब अली : सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है ? यह टैक्स सस्पेन्ड है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह जो टैक्स हटाया गया है, इसका क्या बैक ग्राउन्ड है, उस बैक ग्राउन्ड में हम सारी स्थिति को देखेंगे और देखने के बाद जिन परिस्थितियों के कारण, या किसी दबाव के कारण आप लोग मजबूर हो गये थे उसकी असलियत निकालने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इसकी असलियत निकाल लीजिये। मैं तो यह निवेदन

(श्री खेतसिंह राठौड़)
करना चाहता हूं कि यह जो टैक्स माफ किया गया था, उसके सारे रीजन्स फाइल पर दर्ज हैं। केबिनेट का डिसीजन है। आपने यह सब देखा होगा। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस टैक्स को फिर से रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लागू करेंगे, या नये सिरे से लागू किया जायेगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपसे कहा है कि अभी इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : क्या भूतपूर्व सरकार ने···

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : क्या ?

श्री शिवचरणसिंह : भूतपूर्व सरकार ने जो रियायतें दीं और जो व्यवहार किया राजाओं-महाराजाओं के साथ उसके बारे में क्या इस सरकार का विचार करने का इरादा है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। राजा–महाराजाओं के आर्म्स के बारे में इस सरकार का क्या डिसीजन है?

श्री महबूब अली : कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह है कि राजा-महाराजाओं के साथ भारत सरकार का समझौता हुआ था, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय को होगी, कि उन्हें क्या सुविधा दी गई?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो भूतपूर्व मन्त्री ही हूं। पहले था।

मेरा निवेदन यह है कि आर्म्स एक्ट के मुताबिक एक साधारण नागरिक तीन आर्म्स से अधिक नहीं रख सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो समझौता भू.पू. राजा-महाराजाओं के साथ हुआ था, उस समझौते को देखना पड़ेगा। उस स्थिति को देखना है कि राजा-महाराजाओं के जो प्रिविलेजेज खत्म किये गये तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। उसकी स्टडी करनी पड़ेगी।

श्री शिवचरण सिंह : जो समझौता भारत सरकार का राजा-महाराजाओं के साथ हुआ उसके अलावा और रियायतें यदि दी हैं तो क्या राज्य सरकार उन्हें खत्म करेगी या नहीं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इस पर निर्णय कब तक हो जाएगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शीघ्र से शीघ्र।

श्री शंकरलाल : शीघ्र से शीघ्र का क्या मतलब है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो इन शब्दों से मतलब निकलता हो।

श्री शंकरलाल : कोई समय निश्चित नहीं है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय [illegible], यह कोई नया मसला है? पुराना, बहुत पुराना मसला है। भारत सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
का भूतपूर्व राजा-महाराजाओं के साथ में समझौता हुआ था। उस बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है और भारत सरकार क्या करना चाहती है। वह समझ कर ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह ठीक है। राजा-महाराजाओं से जितना अच्छा सलूक रहना चाहिए वह राजा महाराजा नहीं मानते हैं। तो क्या जनता सरकार अच्छे सलूक के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य किसी चिन्ता से ग्रस्त हैं। यदि आप यह चाहते हों कि यह सरकार राजा-महाराजाओं को सुविधा दे दे तो मैं समझता हूं कि आप को निराश ही होना पड़ेगा

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे निराश होना पड़ेगा या राजा-महाराजाओं को ?

श्री दाऊलाल जोशी (दीगोद) : सारे राजा-महाराजा आपकी गोद में बैठे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल कालाबादल। क्वेश्चन संख्या 64।

सहायक नगर नियोजक एवं उप नगर नियोजक के पदों की योग्यता

64. श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूगोलवेत्ता टाउन प्लानर द्वारा नगर नियोजन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर लेने एवं इन्स्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स, इण्डिया, द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् भी इनको टाउन प्लानिंग सेवा नियमों में सहायक नगर नियोजक एवं उप नगर नियोजक के पदों की योग्यता से विमुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्यों के लोक-सेवा आयोगों द्वारा आर्किटेक्चर, सिविल इन्जीनियरिंग में स्नातक एवं भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ नगर नियोजन में भी दो वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि होने पर भारत के सभी राज्यों में नगर नियोजक के पदों पर समान अवसर प्रदान किये जाते हैं ? यदि हां, तो फिर राज्य में टाउन प्लानिंग सेवा नियम इसके अपवाद क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग सेवा नियमों में भूगोलवेत्ता टाउन प्लानर को टाउन प्लानिंग सेवा के पदों के योग्य नहीं माना गया है ? यदि हां, तो यह निर्णय किस आधार पर लिया गया ?

(4) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले इस विषय का ज्ञान रखने वाले भारत के अन्य वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था जैसे-इन्स्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स, इण्डिया की सलाह लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर आयोजन मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी

Page No 8

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
जानकारी एकत्रित नहीं हो सकी है अतः इस प्रश्न को स्थगित किये जाने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा। प्रश्न सं. 65।

बागोर (जिला भीलवाड़ा) के पास नदी पर पुलिया के निर्माण कार्य का ठेका

65. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1972 में बागोर, जिला भीलवाड़ा के पास नदी पर किसी पुलिया के निर्माण कार्य का ठेका दिया गया था ?

(2) क्या उक्त पुलिया का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो इतने वर्षों तक उक्त धनराशि को राजकोष से उठाये जाने के बाद भी उक्त कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि 1972 में जो राशि उठाई गई है, उसका उपयोग तत्कालीन मन्त्री महोदय ने किसी दूसरे फण्ड में कर दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि 1972-73 में फेमिन कार्य में यह बनाने के लिए रखा गया था। इस कार्य की अभी तक कोई स्वीकृति नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसी कि यह योजना थी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अब इस पर कब तक विचार हो रहा है ? इसको कब तक प्राथमिकता दे दी जाएगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रायोरिटी की दृष्टि से इसका नम्बर बहुत नीचे आता है। निकट भविष्य में इस पर विचार करना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक। प्रश्न सं. 66

पंचायतों का पुनर्गठन

66. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार का पंचायतों का आकार छोटा करने तथा उनका पुनर्गठन करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का सारा प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है उसमें इस बिन्दु पर भी विचार होगा।

श्री हरजीराम बुरडक : यह भी विचाराधीन है कि जिनका बड़ा आकार है, वह छोटा

(श्री हरजी राम बुरडक)
करेंगे और जिनका छोटा आकार है उनका बड़ा करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : इन सब पर विचार कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह पंचायतों के चुनाव से पहले हो जाएगा या बाद में होगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : विचार तो यही है कि पहले हो जाये।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, पुनर्गठन के बारे में बहुत लम्बा समय लगा दिया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : पुनर्गठन के बारे में शीघ्र से शीघ्र विचार हो रहा है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अभी पुनर्गठन पर राज्य सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। हम भी चिन्तित हैं। दिसम्बर में चुनाव कराने हैं। पुनर्गठन का कार्य प्रारम्भ किया तो चुनाव स्थगित करने होंगे। मेरे सामने चुनावों की जल्दी है। माननीय सदस्य ने कहा है पुनर्गठन कराया जायगा या नहीं। इस बारे में जितनी शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही हो सकती है, वह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रश्न सं. 67।

उदयपुर जिले के अस्पतालों में दवाइयों की व्यवस्था

67. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर जिले में किन-किन सरकारी अस्पतालों की कितनी-कितनी दवाइयों का कोटा राज्य सरकार की ओर से दिये जाने का प्रावधान है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा दी गई दवाओं का उपयोग किन मरीजों के लिये होता है ? गत दो वर्षों में जनरल होस्पिटल, उदयपुर को दी गई दवाइयों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या दवाइयों के दिये गये ब्यौरे के अनुसार वहां की जनसंख्या के अनुपात में यह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः दवाइयां उन सभी रोगियों को दी जाती हैं जो गरीब होते हैं या जरूरतमन्द होते हैं। महामारी के समय दवाइयों का वितरण सभी प्रकार के मरीजों को किया जाता है। गत दो वर्षों में जनरल अस्पताल, उदयपुर को दी गई दवाइयों का विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं ! राज्य की वित्तीय स्थिति एवं राजस्थान के लिए उपलब्ध साधनों के आधार पर उदयपुर जिले के अनुपात में जो राशि उपलब्ध हो पाई है, उतनी मूल्य की दवाइयां भिजवाई गई हैं। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आप अचानक चेकिंग करेंगे तो आप को पता चलेगा कि क्या होता है। इस प्रकार के राजस्थान में दवाइयों के अनियमित केसेज पकड़े गये हैं, कितनों को सजा दी गई है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न इर्रेलेवेण्ट है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेडा) : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मन्त्री महोदय ने इर्रेलेवेण्ट कहा है ...

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, यह अभी जो कहा गया है ...

श्री अध्यक्ष : एक एक प्रश्न पूछिए। श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी अभी इर्रेलेवेण्ट कहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। क्या मिनिस्टर कह सकता है कि यह प्रश्न इर्रेलेवेण्ट है ?

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा एक मन्त्री महोदय कह सकते हैं ? कोई माननीय सदस्य भले ही कह सकता है। लेकिन मन्त्री कहें यह सदन की परम्परा नहीं है। मन्त्री यह भले ही कह सकते हैं कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इर्रेलेवेण्ट कहना असंसदीय है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा कि अमूमन गरीबों को दवाएं दी जाती हैं। प्रश्न यह है कि दवाएं दी गई हैं या नहीं दी गई हैं ? इस केस में दवाएं प्रायोरिटी बेसिस पर दी गई हैं या नहीं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये अपना सप्लीमेन्ट्री।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है कि सेक्रेटेरियट अथवा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने आपको लिख कर दे दिया और आपने उत्तर दे दिया लेकिन प्रेक्टिकली होता यह है कि जो प्रभावशील लोग होते हैं, जिनकी एप्रोच होती है उनको ही दवाएं और दूसरी सुविधायें मिलती हैं, गरीब लोगों को नहीं मिलती हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैं कि दवाओं के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : समय समय पर जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच कराई जाती है और एक्शन लिया जाता है।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गरीबों को अलग से

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
दवाएं देने के सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ? सरकार का यह भी नियम है कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों को हास्पिटल्स से मुफ्त दवाएं दी जानी चाहिएं लेकिन एक भी आदमी को दवाएं नहीं मिलतीं।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : किन-किन फर्मों से दवाएं खरीदी गईं और कितने लाख की दवाएं खरीदी गई ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर अस्पताल के सम्बन्ध में अलग से व्यवस्था ....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह इर्रेलेवेन्ट है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्यों को जो आपत्ति हो उसके सम्बन्ध में सरकार व्यवस्था करेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि प्रति व्यक्ति कितना पैसा दिया जाता है दवा खरीदने के लिए ? अगर आपके पास पैसा नहीं होगा और दवा भी नहीं होगी तो फिर आप किस गरीब को दवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यथासंभव कमी दूर की जायेगी।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसके लिए मैं स्वयं भी समय समय पर दौरे करता हूं और दौरे करने की कोशिश करता हूं। अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अधिक से अधिक दौरे करें और इस प्रकार की सारी सामग्री एकत्रित करें तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेवें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला। क्या अस्पतालों से यह पता लगाया जा सकता है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानी जो राजस्थान में हैं जिनको दवाएं हास्पिटल से मिलनी चाहिए, उनको दवाएं मिलती हैं ? जब कभी भी हम लोग गये तो यह कहा जाता है कि दवाएं स्टाक में नहीं हैं। इसके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी सवाल है, हजारों आदमियों से इसका ताल्लुक है। सरकार के बनाये जो नियम हैं उनको डाक्टर लोग तोड़ते हैं और अपने लोगों को दवाएं देते हैं। अन्य गरीब लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इस तरह की व्यवस्था की जायगी जिससे ऐसे लोगों को दवाएं मिल सकें ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जायगा। स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के लिए आदेश अधिकारियों को भेजे जायेंगे और यह कहा जायगा कि इसका कड़ाई से पालन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामसिंह विश्नोई।

सेल्समेन्स वेमेन्स की बकाया वेतन का भुगतान

68. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1969 के अकाल में जोधपुर तहसील में सरकारी सस्ते धान की दुकानें खोल कर सेलसमेन व वे-मेन वेतन पर नियुक्त किये थे? अगर हां, तो ऐसे कितने सेलसमेन व वे-मेन नियुक्त किये? उनकी सूची मय नियुक्ति तारीख एवं कार्य-काल व उनके वेतन दर्शाते हुए सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह भी सही है कि बार-बार तकाजा करने के बावजूद भी आज तक उन कर्मचारियों को वेतन व यात्रा भत्ता नहीं मिला? अगर हां, तो क्यों? और अब कब तक उन्हें वेतन आदि का भुगतान कर दिया जायेगा?

अकाल सहायता मंत्री (श्री सम्पतराम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न खाद्य मंत्री जी से सम्बन्धित है। मैंने उनको भेज दिया है वे अपने समय पर इसका उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रभारी मंत्री जी से प्रश्न पूछें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दें।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करने का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का सम्बन्ध मेरे से नहीं है, खाद्य मंत्री जी से है, मैंने उनको भेज दिया है। वे अपने टाइम पर जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचौर क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था

69. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा से सांचौर तक बिजली की लाइन लगाई जाकर सांचौर कस्बा में हाइडल बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा सांचौर विद्युत लाइन के आसपास एवं सांचौर के आसपास ग्रामों में सिंचाई कुओं पर पावर कनेक्शन देने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कितने पावर कनेक्शन किस किस ग्राम में दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सांचौर पंचायत समिति के करीबन 80 ग्रामों की आर.ई.सी. की योजना बना कर सरकार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
के पास मन्जूरी हेतु भेज दी गई है ? यदि हां, तो कब ? अब उक्त योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से मन्जूरी करवा कर कब तक शुरू करवा दी जायेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां। सांचौर कस्बे को हाइडल बिजली सप्लाई 8 जून, 1977 से मिलनी शुरू हो गई है।

(2) रानीवाड़ा पंचायत समिति के कुछ गांवों के विद्युतीकरण की एक आर. ई.सी. योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत जिन लाइनों को बिजली पहुंचाई जायगी उनकी सूची 'अ' संलग्न है। सांचौर के आसपास के गांवों का विद्युतीकरण सांचौर पंचायत समिति की योजना स्वीकृत होने के पश्चात् ही संभव हो सकेगा।

(3) जी हां। सांचौर पंचायत समिति के 80 ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना का प्रारूप अवश्य तैयार किया गया था और उसे राज्य स्तरीय समन्वय उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु अभी तक उक्त योजना के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास भेजने की स्वीकृति भूजल उपलब्धता के सन्दर्भ में विचाराधीन है। उक्त समन्वय उपसमिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास भेज दी जायगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो लाइन जैसी चल रही है, उसके आस-पास जो कुए हैं उनको अगर आप कनेक्शन दे दें तो क्या हर्ज होगा ? वहां पर लाइन लगाई जा रही है और पास ही में कुए हैं।

श्री सम्पतराम : आपका मतलब कौन सी लाइन से है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो लाइन रानीवाड़ा और सांचौर तक गई है, यह सबसे पहले सेवाना गई है।

श्री सम्पतराम : चालीस कुओं पर तो बिजली दी जा रही है और अब सवाल आ रहा है सेवाना से सांचौर के ऊपर जो लाइन चल रही है उस पर भू-जल मंडल से रिपोर्ट मांगी गई है। इसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राम रघुनाथ।

पुनास–डेगाना जल योजना

70. श्री राम रघुनाथ (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुनास-डेगाना (जिला नागौर) जल योजना राज्य सरकार ने किस वर्ष स्वीकृत की थी ? इस योजना से कितने गांवों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

(2) अब तक उक्त योजना में कितना कार्य किया जा चुका है तथा यह कार्य कब तक पूरा होकर गांवों को जल उपलब्ध हो सकेगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पूनास का प्रथम खण्ड मार्च, 1976 में स्वीकृत किया गया था। इस खण्ड के अन्तर्गत 6 ग्रामों को जल दिया जाना प्रस्तावित है।

(2) योजना के लिए पूनास में नलकूप बनाया गया था जो असफल रहा है। योजना के अन्तर्गत जल स्रोत निर्धारित होने पर 2 वर्ष में जल वितरण प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री राम रघुनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय द्वारा जो सूचना दी गई है, उसके अन्तर्गत 17 गांवों की योजना बनाई गई थी और अब माननीय मन्त्री महोदय 6 गांवों की बात कर रहे हैं। क्या इसकी पुनः सूचना प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री महबूब अली : माननीय सदस्य, आपका कथन अंशतः सही है, लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि 16 गांव हैं, प्रथम खण्ड के लिए 6 गांवों की योजना बनाई गई है। 17 गांव नहीं, 16 हैं। पूनास, सेवड़ा, खड़िया, आलास आदि गांव प्रथम खण्ड के अंदर लिये गये हैं, फर्स्ट फेज के अंदर लिये हैं।

श्री राम रघुनाथ : इसमें पानी का दूसरा स्रोत कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

श्री महबूब अली : पहले जो जल स्रोत था वह असफल रहा। दूसरे जल स्रोत के लिए कोशिश की जा रही है। घोरा सांठ के गांव में पम्प लगा कर पानी दिया जा रहा है लेकिन बाकी के लिए जल स्रोत की खोज कर रहे हैं।

श्री राम रघुनाथ : घोरा सांठ गांव तो योजना के अन्तर्गत है। मुख्यतया जो मुश्किलात हैं, वह बाकी के 16 गांवों की हैं जहां या तो पानी है ही नहीं, या है तो खारा है। तो जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं, उन्हें ढूंढ कर जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें।

श्री महबूब अली : यही कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री आलम अली खां।

संजय गांधी के जयपुर आगमन पर व्यय की गई राशि

71. **श्री आलम अली खां (फतेहपुर)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री संजय गांधी के राजस्थान दौरे के उपलक्ष में राजस्थान सरकार ने कुल कितना व्यय किया तथा वह किस किस मद में ?

(2) श्री संजय गांधी के जयपुर आगमन पर कितना व्यय हुआ तथा वह किस किस मद में ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवसर पर सदस्य आवास गृह बी. 9 में राजस्थान युवक कांग्रेस के कार्यालय की स्थापना की गई थी तथा उसका उद्घाटन श्री गांधी से करवाया था ?

(श्री प्रीतम अली खां)

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवसर पर उस बंगले की मेन्टेनेन्स के नाम पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ने अत्यधिक धनराशि व्यय की थी? यदि हां, तो कितनी तथा उसकी स्वीकृति किसने किस आधार पर दी?

(5) इस मेन्टेनेन्स के कार्य की देख-रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस किस अधिकारी ने की तथा किसके आदेश से?

(6) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, भवन एवं पथ, नगर संभाग 1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर तथा उनके अधीनस्थ सहायक अभियन्ता इस कार्य की देखरेख के लिए पूरी अवधि तक डेप्यूट किये गये थे? यदि हां, तो किस के आदेश से?

(7) क्या यह सही है कि इस एक बंगले की उस अवसर पर मेन्टेनेन्स करने में इतनी धनराशि व्यय की गई कि पिछले 22 वर्षों में मेन्टेनेन्स के नाम पर किसी एम. एल. ए. बंगले पर इतना व्यय नहीं किया गया? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(8) क्या यह सही है कि मेन्टेनेन्स कार्य में विभाग ने जितना व्यय बतलाया है वही कार्य कम व्यय में हो सकता था? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए निवेदन किया गया है। एक साथ ही इस प्रकार के कई प्रश्न सदन में आये हैं और मैंने पहले भी आपसे निवेदन करके स्थगित कराये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री को देखा है, पर देखने के बाद और जानकारी करने की इच्छा रहती है। मैंने इस सारे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया है और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि संजय गांधी की यात्रा के सम्बन्ध में किस विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की गई, उस सारी सामग्री को एकत्रित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाये जो सारे विभागों से इस प्रकार की सामग्री एकत्रित करे। जैसे ही वह सामग्री उपलब्ध होगी मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि संजय गांधी की यात्रा पर और उन पर जितना भी खर्च हुआ है वह जल्द से जल्द सदन में रखने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: माननीय सदस्य की तरह मैं भी व्यग्र हूं कि सदन में इस प्रकार की जानकारी जल्द से जल्द दी जाये, लेकिन मुझे भय है कि जानकारी अधूरी न रह जाये। कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने खर्च तो किया संजय गांधी की यात्रा पर और दिखाया है किसी और मद में तो जब तक इसका पूरा विश्लेषण नहीं होगा, तब तक सूचना अधूरी ही रहेगी। इसलिये एक वरिष्ठ अधिकारी को लगाया है कि सारे विभागों से जानकारी प्राप्त करे।

श्री राम रघुनाथ: जानकारी इस सत्र में दी जा सकेगी?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जिन लोगों ने यह किया उनके द्वारा लीपापोती की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री राम रघुनाथ : क्या यह जानकारी इसी सत्र में दी जायेगी ? वह अधिकारी कौन है जिसकी नियुक्ति की गई है ?

श्री दाऊलाल जोशी : आपके कई लोग मर जायेंगे इसमें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बालोतरा से बाड़मेर 132 के. वी. लाइन का कार्य

72. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले विद्युत् विस्तार की दृष्टि से राज्य में सबसे पिछड़े जिले हैं ?

(2) क्या विद्युत् बोर्ड ने जालोर से बालोतरा तक 132 के. वी. लाइन के विस्तार की योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त लाइन की क्या प्रगति है ? कब तक उक्त लाइन का कार्य कम्प्लीट हो सकेगा ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत् बोर्ड ने बालोतरा से बाड़मेर तक 132 के. वी. लाइन बनाने का निर्णय भी लिया है ? यदि हां, तो उक्त लाइन के बनाने का कार्य कब तक शुरू होगा और कब तक कम्प्लीट कर दिया जायेगा ?

विद्युत मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां।

(2) जी हां, बालोतरा को 132 के. वी. लाइन से जोड़ने की योजना स्वीकृत हो चुकी है। उक्त लाइन का विस्तृत कार्य सर्वेक्षण (रूट सर्वे) का कार्य चालू है। करीब 50 किलोमीटर का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस कार्य के संबंधित सामान एवं उपकरणों के लिये आर्डर भी दिये जा चुके हैं। इस प्रकार लाइन का कार्य मार्च, 1978 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(3) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में उक्त लाइन को सम्मिलित किया गया है। योजना आयोग द्वारा छठी योजना की स्वीकृति के बाद ही इस लाइन के सम्बन्ध में निश्चित सूचना दी जा सकेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल।

जैतारण क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

73. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैतारण क्षेत्र के किन किन गावों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? और किन किन गांवों का विद्युतीकरण करना

(श्री शंकर लाल)
शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(2) उक्त क्षेत्र के शेष गांवों का विद्युतीकरण करने की कार्यवाही किस किस स्टेज पर किन किन गांवों के लिये चल रही है और उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

(3) इन गांवों का अब विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

विद्युत् मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जैतारण पंचायत समिति के विद्युतीकृत 39 गांवों की सूची 'अ' संलग्न है। शेष जिन 55 गांवों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है, उनकी सूची 'ब' संलग्न है।

(2) भू-जल उपलब्धता की दृष्टि से अधिकांश गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है। जो गांव बच रहे हैं उनमें से केवल 10 ग्रामों को छोड़कर बाकी सभी गांव भू-जल विभाग, कृषि विभाग द्वारा बनाई गई लघु सिंचाई योजना में भू-जल उपलब्धता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माने गये। इस पंचायत समिति क्षेत्र में अलग अलग ग्रामों का विद्युतीकरण विभिन्न समय पर हुआ है न कि किसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत। इस समय इन ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) इन ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, 39 गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं और 55 गांव बाकी हैं। तो इसके लिए सरकार को कोई मिनी योजना आर. ई. सी. की है जिसमें यह 55 गांव भी आ सकते हों ? सरकार की यह भी नीति थी कि जहां ए. आर. सी. की स्कीम है, वहां विद्युतीकरण की योजना को प्राथमिकता दी जाये। जैतारण वह क्षेत्र है जो कि ए. आर. सी. की योजना में आता है, तो उसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात यह है कि जो 39 गांव इलेक्ट्रीफाइ किये गये हैं, वह योजनाबद्ध तरीके से नहीं किये गये हैं। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट जब तक उपलब्ध न हो जाये तब तक विस्तार नहीं होना चाहिए था, लेकिन मालूम होता है कि राजनैतिक कारणों से नीचे के लोगों ने ऐसा काम किया है। हम यह चाहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से काम हो लेकिन अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने अलग अलग गांवों को अलग अलग तरह से केटेगराइज किया है। अलग अलग श्रेणियों के जो गांव दिये हुए हैं, उनमें एक्सपेन्शन हुआ है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जहां बिजली पहुंचाना टेक्नीकली फीजेबल और फाइनेन्शली फीजेबल होगा, वहां पहुंचायेंगे।

श्री शंकरलाल : आपका जवाब क्लियर नहीं है। सवाल यह है कि 55 गांव रह गये हैं उनके लिये क्या योजना है ? आपके पास विद्युत् मंडल की रिपोर्ट है ?

Page No 18

(18)

श्री सम्पतराम : 39 गांवों के बारे में मैंने खुद ने पूछा कि पानी नहीं था तो एक्सपेन्शन क्यों किया गया, तो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया। इसलिये इसको जांच करेंगे। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर विचार करेंगे, और अगर टेक्नीकली और फाइनेन्शली फिजेबल होगा, तो ले लेंगे।

श्री शंकरलाल : आप उस रिपोर्ट को सदन में रखेंगे ?

श्री सम्पतराम : रखने की जरूरत नहीं, आप मेरे चैम्बर में आइये मैं दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह प्रश्न किया था कि सरकार के पास ए. आर. सी. के साथ साथ, मिनी आर. ई. सी. की योजना भी है। तो उस योजना के अन्तर्गत इन 55 गांवों को नहीं लिया जा सकता है क्या ? जहां ए. आर. सी. की स्कीम होती है, वहां पर प्राथमिकता दी जाती है आप कहते हैं कि वहां पानी नहीं है, यह गलत है। ए. आर. सी. की स्कीम वहीं ही लागू की जाती है जहां पानी होता है। मिनी स्कीम लागू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य 55 गांवों के अन्दर बिजली देने की बात कहते हैं ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जो उत्तर आप शंकरलाल जी के प्रश्नों का दे रहे हैं उसके साथ में मेरे प्रश्न का जवाब भी दे दें। मन्त्री महोदय ने जो अभी यहां सदन में कहा कि अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो टैक्नीकली फीजेबल हो उसके आधार पर ही विद्युतीकरण किया जायेगा। तो मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को ही आप फाइनल नहीं मान लें क्योंकि भीनमाल के अन्दर जो कुए हैं उनमें किसी कुए में 60 हजार गेलन से कम पानी नहीं है। उनके लिए अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी वह बिलकुल ही गलत दे दी। तो अगर माननीय मन्त्री महोदय सिर्फ अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट को ही अन्तिम समझते हैं तो फिर इससे तो सारा बेड़ा ही गर्क हो जायेगा। सो आपने यहां टेक्नीकली और रेम्युनरेटिवली फीजेबल की बात कही उससे क्या मतलब है ? भीनमाल में कुओं के अन्दर पानी की जो रिपोर्ट अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने दी वह गलत थी उसको फिर हमने दुबारा चैक कराया और फिर उसे ठीक कराया था।

श्री दाऊलाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी इससे संबंधित है। मैं भी राज्य सरकार का ध्यान मेरे इलाके के 62 गांवों के विद्युतीकरण की ओर दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युतीकरण के अन्दर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वह आती है लेबर ट्रबल की, जब तक आप लेबर ट्रबल ठीक नहीं करेंगे, उसका हल नहीं निकालेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि विद्युतीकरण हमारे यहां पर नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, जब मैं विधान सभा के इलेक्शन में जीत गया था तो मैं उसके दूसरे दिन पावर हाउस में गया। मैंने मेरे इलाके के 62 गांव

(श्री दाऊ लाल जोशी)
में बिजली लाने के बारे में बात की तो उस वक्त मुझे बिजली विभाग के आफिसरों ने कहा कि इस साल हम आपके 17 गांवों में बिजली दे देंगे। उसके दस दिन बाद में जब मैं बिजली विभाग में आफिसरों के पास गया तो उन्होंने कहा कि हम आपके 13 गांवों में बिजली इस साल दे देंगे। उसके बाद मैं जब अपना विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा था तब गया तो उन्होने मुझे कहा कि इस साल हम आपके 9 गांवों में ही बिजली पहुंचा पायेंगे। तो यह क्या कारण....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। एक एक सदस्य अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री दाऊलाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ही चल रहा है। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो इस विभाग के अधिकारियों ने मुझे यह बताया कि जो मजदूर रखते हैं उन्हें सिर्फ 240 दिन तक के लिए रखते हैं। उसके बाद में उनको सेवामुक्त कर दिया जाता है। फिर हम नयी भर्ती मजदूरों की करते हैं। इसलिए आपके यहां सिर्फ इस साल में 9 गांवों में ही बिजली दी जा सकेगी। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप पर्मानेन्ट स्टाफ मजदूरों का रखें तो ठीक रहेगा ताकि गांवों में आसानी से बिजली पहुंचाई जा सके। मेरा मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन है कि इस लेबर ट्रबल को आप जल्दी से जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्त्ता हूं इसलिए पहले मेरा जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहें वह एक साथ पूछ लें। उसके बाद में सरकार की तरफ से उत्तर आ जायेगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्त्ता हूं। मेरा प्रश्न यह भी है कि क्या राज्य सरकार जो 55 गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो सके हैं मेरे इलाके के उन्हें आर.ई.सी. स्कीम के तहत या कोई मिनी आर. ई. सी. स्कीम के तहत बिजली देगी? और देगी, तो कब तक? इसके साथ में मेरा मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन है, क्या यह सही है कि उन 55 गांवों के पास बिजली भी जाती है लेकिन उन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गयी है? अध्यक्ष महोदय, जैतारण के पास ही एक आधे मील पर हुनावा गांव है जिसके कुओं में काफी पानी है लेकिन वहां बिजली नहीं पहुंचायी गई है। इसी प्रकार राजागढ़ गांव है जिसके पास से ही बिजली की लाइन जाती है जहां कुओं में पानी की कमी नहीं है पर बिजली नहीं जा सकी है। तो मेरा निवेदन है कि इसके अलावा भी आर. ई. सी. स्कीम के अलावा दस गांव ऐसे हैं जिनके कुओं में पानी है, क्या सरकार वहां बिजली पहुंचायेगी?

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण हो रहा है।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैंने अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रश्न पूछे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो एक तरह से बहस हो गयी है। माननीय सदस्य सिर्फ स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं प्रश्नकर्त्ता हूं इसलिए मेरे सप्लीमेंट्रीज का जवाब मिलने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान राज्य विद्युत् मन्डल जो है यह एक कार्मशियल डिपार्टमेंट है। यह वही स्कीम हाथ में लेता है जो कि रैम्युनरेटिव स्कीम होती है। अभी मन्त्री महोदय ने यह कहा अपने जवाब में कि विद्युत् विभाग वही स्कीम्स हाथ में लेता है जो कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर टैक्नीकली फीजेबल होती हैं तो इन दोनों में से कौनसी बात सही है?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, आर.ई.सी. स्कीम्स के बारे में तो मेरा निवेदन है कि इसमें अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने जोन्स बना रखे थे। 40 गांव थे उनमें से 26 गांवों में आलरैडी बिजली पहुंच गई है। 14 गांव ऐसे हैं जो कि अन-इलेक्ट्रिफाइड हैं। इसमें ऐसा है कि जोन 'ए' में 23 गांव हैं और जोन 'बी' में एक, फिर जोन 'सी' में एक गांव है और 'डी' और 'ई' जान में भी एक एक गांव है। बाकी के गांव किसी जोन में नहीं आते हैं। अगर इन गांवों में कोई एक काम्पेक्ट एरिया में होते तो मैं यहां माननीय सदस्यों को जवाब देने में नहीं हिचकिचाता कि कब तक बिजली आपके उन गांवों में आ जायेगी। लेकिन आर. ई. सी. की जो स्कीम्स हैं वह अण्डर ग्राउंड वाटर बोर्ड की वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पर आधारित होती है और उन्हीं के अनुसार बिजली दी जाती है इसलिए मैं अभी कमिट करने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक करके प्रश्न पूछें।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न से सम्बन्धित मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं जैसा कि मन्त्री महोदय ने जवाब दिया उससे ऐसा मालूम होता है कि कुछ गांवों में तो बिजली पहुंच गई और कुछ गांवों में बिजली नहीं पहुंची। मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों में बिजली पहुंच गई थी क्या वह बिजली किसी पोलिटिकल प्रेशर से पहुंची और उसी के पास दूसरे गांवों में पोलिटिकल प्रेशर नहीं होने से नहीं पहुंच सकी? इसका क्या कारण था इसकी जांच बिजली विभाग के इंजिनियर्स से कराई जाय जिससे कि सही स्थिति का पता लग सके।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो इट सेल्फ पोलिटिकली मोटिवेटेड है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी तो प्रश्न काल समाप्त होने में 15 मिनट बाकी हैं

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री श्रवणलाल : मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न है आपका?

श्री श्रवणलाल : प्रश्न संख्या 61।

पंचायतों के निलम्बित प्रधान एवं सरपंच

61. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के प्रधान एवं सरपंचों को निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस को और किन किन कारणों से? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा लोकसभा के चुनाव के पहले से लेकर विधान सभा चुनावों के पहले तक पंचायतों के प्रधान एवं सरपंचों को बहाल किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले के किन किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां, भूतपूर्व सरकार द्वारा पंचायतों के जिन प्रधानों एवं सरपंचों को निलम्बित किया गया था। उनकी जिलेवार कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, जिन जिन प्रधानों एवं सरपंचों को भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा जब जब बहाल किया गया था, उनका विवरण जिलेवार रखी सूची के विशेष विवरण में अंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिन प्रधानों और सरपंचों को सस्पेन्ड किया गया उनको किन किन कारणों से सस्पेन्ड किया गया था? क्या यह भी सही है कि जो चार्जेज उन लोगों पर लगा कर सस्पेन्ड किया गया था वे बिलकुल ही निराधार थे? यह बताने की कृपा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि किन किन को सस्पेन्ड किया गया उसकी तो सूची मैंने माननीय सदस्य को दे दी कि किस किस प्रधान और किस किस सरपंच को सस्पेन्ड किया गया। पर किन कारणों से उनको सस्पेन्ड किया गया था उन कारणों की मैं अभी तक जांच कर रहा हूं। उसके अन्दर जो नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिये वह कार्यवाही करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जिस समय पार्लियामेन्ट के चुनाव हुए उस समय से लेकर जब तक विधान सभा के चुनाव हुए तब तक अधिकतर सरपंच एवं प्रधानों को, जो निलम्बित हुए थे, अतिशीघ्र बहाल किया गया ?

श्री कैलाश मेघवाल : दोनों ही बातें सही हैं। कई निलम्बित प्रधान और सरपंचों को बहाल करने में शीघ्रता बरती गयी। कई प्रधान जो निलम्बित होने चाहिए थे, जिनको नहीं किया गया था उनको उस समय किया गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या यह भी सही है कि ....

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं पूछ रहा हूं। मेरा नाम पुकारा गया है।

क्या राज्य सरकार, किसी सरपंच या प्रधान को महज इस आधार पर कि वह अधिकारी के कहने पर उस दिन किसी कारण से नहीं पधारे, निलम्बित किया जा सकता है ?

श्री कैलाश मेघवाल : निलम्बित करने के निश्चत नियम हैं। अब ऐसी स्थिति में, जो आपने बताई है, यह देखा जायेगा कि जो अवज्ञा की गयी है वह जान बूझकर की गयी है ? यदि ऐसा है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी। निश्चित सही कारण है अनुपस्थित रहने के तो उस स्थिति में दूसरी तरह विचार किया जायेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर किसी कारण से वह हाजिर नहीं हो सका और उसने दरख्वास्त दे दी, उसके सेक्रेटरी ने दे दी या उसकी तरफ से किसी ने दे दी तो क्या महज इस आधार पर निलम्बित कर दिया गया कि एक पेशी पर वह किसी अधिकारी के सामने नहीं हाजिर हो सके ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह का कोई निश्चित केस बतायें तो मैं उस का अध्ययन करके जवाब दे दूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : कांग्रेस का एक प्रधान है वह नोटिस पर हाजिर नहीं हुआ था उसको आपके डिपार्टमेन्ट ने हाजिर नहीं होने के कारण निलम्बित कर दिया।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, जिस प्रकार से पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि बात सही थी कुछ को बहाल किया गया और निलम्बित किया गया, तो जिनको बहाल किया गया अप्रेल के चुनाव से लेकर विधान सभा के चुनावों तक तो इस बीच में क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनको इल्लीगल बहाल किया गया उनको दुबारा सस्पेन्ड किया जायेगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस विषय में जो मेरे पास निश्चित शिकायतें आई हैं उन शिकायतों का मैंने अध्ययन करके जो गैर-वाजिब बहाल किये गये हैं उनको कुछ को सस्पेण्ड भी किया है। निश्चित शिकायत आने पर पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जैसी भी उचित कार्यवाही होगी, करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में है कि सत्ताधारी पक्ष का विरोध करने के कारण भी बहुत से सरपंचों को निलम्बित किया गया है?

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसा अभी तक कोई मेरे सामने केस नहीं आया है जिसमें केवल यह हो कि सत्ताधारी पक्ष का विरोध करने के कारण ही निलम्बित किया गया है। मेरे सामने ऐसा केस नहीं आया। कहीं हो तो आप बता दें, मैं देख लूंगा।

श्री शंकरलाल : क्या बहाल किये गये सरपंचों के मामले पर फैक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने एक बार फैसला दे दिया चाहे वह आपने दिया या किसी और ने दिया हो तो क्या वापस उसको आप सस्पेण्ड कर सकते हैं नियमों के तहत? क्या पंचायत एक्ट में ऐसा है?

श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जेलों में बन्द रहते हुए और बिना सुनवाई का मौका दिये सरपंच को निलम्बित किया गया? 10 जुलाई, 1975 को पचपहाड़ के सरपंच को, जब कि वह मीसा में बन्द था, निलम्बित कर दिया गया और आज भी निलम्बित है? ऐसे और कितने केसेज सरकार के पास हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : जो प्रश्न पूछा गया था उसके परव्यू में यह जानकारी देना नहीं आता था अब आप चाहेंगे तो देख लूंगा।

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किये हैं, उनसे दो तरह की स्थिति पैदा होती है। एक तो विस्तृत जांच की बात होती है। राज्य सरकार किसी भी पंच, सरपंच को निलम्बित कर सकती है और विस्तृत जांच पूरी होने के बाद उस पर निर्णय देती है। लेकिन विस्तृत जांच पूरी होने के पहले ही अगर बहाल कर दिया जाता है जैसा कि भूतपूर्व सरकार ने कई प्रधानों और सरपंचों को किया है राजनैतिक आधार पर तो उनको पुनः देख कर जिनकी विस्तृत जांच हो रही है उनको पुनः सस्पेण्ड करने का राज्य सरकार को अधिकार है।

श्री शंकरलाल : यह कौनसा नियम है? बता सकते हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जब से आपने कुर्सी संभाली है उसके बाद से कितनों को निलम्बित किया है और कितनों को आपने बहाल किया है?

श्री कैलाश मेघवाल : यह जानकारी मैं आज नहीं दे सकता। किये जरूर हैं मैंने।

श्री मूलचन्द डागा : आप किस बिना पर कहते हैं, पंचों को राजनैतिक आधार पर बहाल किया गया? इसका आपके पास क्या सबूत है?

Page No 24

(24)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पत्रावली में कुछ आरोप लगाये जाते हैं वे ऐसे गम्भीरतम आरोप हैं जिनमें न्यायिक विवेक लेकर निलम्बित करने का अधिकार होता है। ऐसे आरोपों के बावजूद पुनः बहाल कर दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि न्यायिक विवेक को काम में न लेकर केवल राजनैतिक पक्षपात किया गया। ऐसी स्थिति में सरकार को अधिकार है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको तो कम से कम ऐसा नहीं करना।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता सरकार में ऐसा नहीं होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं . . .

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि एक बार किसी सरपंच या प्रधान को सस्पेण्ड कर दिया उसे बिना कार्यवाही किये ही बहाल किया ? अगर कार्यवाही की तो उसका क्या प्रोसीजर है ?

श्री कैलाश मेघवाल : जैसा मैंने निवेदन किया है कि यह राज्य सरकार का अधिकार है और न्यायिक विवेक को लेकर ऐसा किया जाता है।

श्री हरजीराम बुरडक : कोई प्रोसीजर है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : प्रोसीजर यही है। . . . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि एक चपरासी जैसे सस्पेण्ड किया जाता है और दो साल सस्पेण्ड रहता है और बहाल होने के बाद उस पीरियड की पूरी तनख्वाह उसको मिलती है उसी प्रकार सरपंच जन प्रतिनिधि है उसे सस्पेण्ड किया जाता है और दो दो साल सस्पेण्ड रहता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि बहुत बड़ा अन्याय है। अगर सरपंच सस्पेण्ड किया जाता है तो मैं कहता हूं कि एम. एल. ए. और एम. पी. को भी सस्पेण्ड करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने मेरे साथ अन्याय किया है और हो सकता है अब भी कभी आगे हो जाये इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ी बात है और बुरी बात है कि उसको सस्पेण्ड किया जाये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सुचना प्राप्त हुई है:–

(1) सर्व श्री शिवचरण सिंह, समरथलाल व रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम खोहरा गलावली, जिला अलवर में उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर 6 व्यक्तियों

(श्री अध्यक्ष)
द्वारा गत 23 जुलाई से मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर की जा रही हड़ताल के विषय में।

इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय दिया जावेगा।

(2) श्री शंकर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले के उपखण्ड, बाली का न्यायिक क्षेत्र जिला व सत्र न्यायालय, पाली से हटा कर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, सिरोही कर देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इस प्रस्ताव में उक्त निर्णय की तिथि नहीं दी गई है और यह अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है, अत: मैं इसे स्वीकार करने में विवश हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उमरावसिंह डाबरिया : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया है जो भीलवाड़ा में एक आदमी की मृत्यु से ताल्लुक रखता है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट के लिये बोलना हो तो बोल लीजिये।

(व्यवधान)
कृपया स्थान ग्रहण करें

व्यवस्था का प्रश्न

सत्ता पक्ष के सदस्य का स्थगन प्रस्ताव

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, पहले ऐसी व्यवस्था है कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों को स्थगन प्रस्ताव नहीं देना चाहिये। काल एटेन्शन नोटिस दिया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव देना संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। इस संबंध में आप व्यवस्था बतायें।

श्री अध्यक्ष : हर माननीय सदस्य को अधिकार है कि सदन के समक्ष स्थगन प्रस्ताव रख सकते हैं। यह कोई विपक्ष या शासन पक्ष से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेड़ा) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके अन्दर मैंने बताया है कि भीलवाड़ा के अस्पताल में हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता को उसकी पीठ में फोड़ा हो जाने से भर्ती किया गया था। डाक्टरों ने बिना किसी बात की जांच किये, न पेशाब की जांच की गई, न खून की जांच की गई और न किसी तरह की जांच की गई, फोड़े का आपरेशन कर डाला। उसके दूसरे ही दिन उसका सारा शरीर फूल गया और मौत के घाट उतर गया।

इसी तरह से 7–8 महीने पहले एक भयंकर डायबिटीज का बीमार था उसको भी अस्पताल के अन्दर भर्ती किया गया। उसके एपेन्डेसाइटिस का आपरेशन कर दिया गया। उसका भी उस अस्पताल में देहावसान हो गया।

जिस वक्त नसबन्दी की जा रही थी, उस वक्त इस अस्पताल में सात आदमी मर गये जिन में चार पुलिस कर्मचारी थे। भीलवाडा अस्पताल में डाक्टरों की इस तरह से

Page No 26

(26)

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)
व्यवस्था है कि इस तरह बेपरवाही बरती जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के अन्दर इस तरह का जो मौतें हुई उनकी जांच होनी चाहिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष जी ग्राम खाहरा गोलाबली के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहां 1947 का मिडिल स्कूल है। 10 किलो मीटर में कोई स्कूल नहीं है। बिल्डिंग की सुविधा वहां मौजूद है उनके बावजूद स्कूल नहीं खोला जाता है। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस बात का आश्वासन दें कि वहां स्कूल अपग्रेड हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर ...

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, 10–6–77 को यह निर्णय हुआ है। सुमेरपुर आदि क्षेत्र की जनता है वहां के जो विधायक हैं, वे जनता पार्टी के है उन्होंने भी न्यायालय में और सरकार के पास मांग पेश की है, वहां की जनता चाहती है कि पाली न्याय क्षेत्र बनना चाहिये। जनता की मांग है। माननीय मुख्य मंत्री गम्भीरता से विचार करें। वहां की जनता और वहां के एम. एल. ए. सभी इस बात को जानते हैं।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राजस्थान में एक हजार प्राइमरी स्कूल, 250 मिडिल स्कूल खुलने को थे। एक महीना हो गया स्कूल खुले परन्तु अब तक राज्य सरकार की तरफ से फैसला नहीं हुआ है इसलिये छात्र इधर-उधर भटक रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप कृपापूर्वक शिक्षा मंत्री जी को यह आदेश दें कि अपना वक्तव्य कल प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और सरकार शीघ्र निर्णय करेगी, ऐसी मुझे आशा है।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल भी सदन में कहा गया था। माननीय सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि कल सरकार वक्तव्य देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर चार दिनों से लगातार....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है। सरकार को कोई बाध्य नहीं कर सकता उत्तर देन के लिये। तो इस संबंध में बहस समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

माननीय राज्य मंत्री। श्री महबूब अली।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरे आइटम पर आ गया हूं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, डेयरी विकास) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1975–76 सदन की मेज पर रखता हूं ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद । माननीय श्री भंवरलाल एरन ।

आपका कल आधा भाषण हुआ था जल्दी समाप्त कीजिये ।

श्री भंवरलाल एरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

आज की बैठक के संबंध में व्यवस्था । बहस 4 बजे तक जारी रहेगी और चार बजे सरकार की तरफ से उत्तर दिया जायेगा ।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : नेता महोदय का चार बजे भाषण होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल एरन ।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा अभी तक भी श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इमर्जेन्सी लगाये जाने की वकालत की जा रही है । आपके माध्यम से सदन का ध्यान नसीराबाद में हुई घटना की ओर दिलाना चाहता हूं । 23–11–75 को श्रीमान थानेदार साहब, नसीराबाद के श्री नानूलाल मीणा और वहां के उस वक्त के डी. एस. पी. श्री उम्मेदाराम बिश्नोई का दरबार उनके कक्ष में लगता है । वहां दोनों विराजमान थे । दीवान श्री नन्दपुरी व मुरलीधर व दो सिपाही भी वहां थे । 7 बच्चों को वहां हवालात मे बन्द किया गया था उनको एक एक कर के वहां बुलाया गया । पहिले ओम प्रकाश को बुलाया गया कि वह बतायें कि उसके पास पर्चे कहां से आये । बच्चे से जब उत्तर नकारात्मक मिला तो उन्हें गुस्सा आया । उसके सारे कपड़े उतार दिये गये और नग्न करके उसे औंधा सीमेंट के फर्श पर लिटा दिया गया । एक तरफ से उनके पैर एक सन्तरी ने जूतों से दबाये और दूसरी तरफ दूसरे ने उसकी गर्दन पर पैर रख दिया । नन्दपुरी और मुरलीधर द्वारा बैल्ट से कूल्हों पर उसकी पिटाई की गई । लगभग 15 मिनट तक एक एक बच्चे को अलग अलग बुलाकर पिटाई की गई और पिटाई करते हुये उनकी बेइज्जती भी की गई । मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या ये अत्याचार काफी नहीं हैं यह बतलाने के लिये कि इमर्जेन्सी में पिछली

(श्री भंवरलाल ऐरन)

सरकार ने कितना अन्याय और अत्याचार किया ? तारीख 26 को पुलिस रिमान्ड के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो मैंने बड़ी मुश्किल से मालूम किया कि आखिर इतनी खराब हालत क्यों है। मैंने एप्लीकेशन दी कि इन बच्चों का डाक्टरी मुआयना कराया जाय। बड़ी मुश्किल से मुख्य दण्डनायक ने विचार किया और डाक्टरी मुआयना कराया गया। डाक्टरी मुआयने में जब पाजिटिव रिपोर्ट आई तो मैंने उचित समझा कि मुकदमा चलाया जाय। मैंने नसीराबाद के न्यायालय में तत्काल दर्ज करा दिया। यथा नाम तथा गुण कुं. बहादुर सिंह चन्द्रावत ने मेरा तथा बच्चों के बयान लिखकर मुकदमा दर्ज किया जो आज तक विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त मैं पिछली सरकार की अकर्मण्यता की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में दो गांव हैं लोड़ी और रामसर जहां नल योजना स्वीकृत की गई सन् 1971 में और गांव वालों से यह अपेक्षा की गई कि श्रमदान के एवज में 6–6 हजार की राशि सरकार में जमा करायें। यह राशि, अध्यक्ष महोदय, 1973 में जमा करा दी गई लेकिन आज तक उस नल योजना पर कार्य नहीं किया गया है। 1976 तक बराबर सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। 1977 की जनवरी में आदेश प्रसारित किये गये कि मेटेरियल की कीमतें बढ़ गई हैं अतः 2।। 2।। हजार रुपये की राशि और जमा करायें। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस 6 हजार की जमा राशि के ब्याज का अब तक क्या हुआ ? मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में कोई रकम न लेकर उस कार्य को क्रियान्वित किया जाय...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस नगर से चुनकर आया हूं वह केन्द्र शासित नगर है। वहां आज भी सन् 1924 का बनाया हुआ काला कानून प्रचलित है। मैं जनता सरकार से निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र उस नगर में म्यूनिसिपैलिटी कायम कर हमें भी वही अधिकार प्रदान कर जो आज दूसरी म्यूनिसिपल कमेटियों को हैं। हमारे यहां आज एक इन्च जमीन नहीं ले सकते हैं। हम आज भी उस जमीन के मालिक नहीं हैं, केवल मलबे के मालिक हैं व जमीन सरकार की है। हमें किसी प्रकार भी इजाजत नहीं मिल सकती है। हमें मजबूर किया जाता है कि केन्टोनमेंट से मकान बनाने की स्वीकृति ली जाय। इतनी बड़ी जो दुर्दशा और दयनीय दशा है, उस पर जनता सरकार विचार करेगी, यह मुझे आशा है और शीघ्रातिशीघ्र म्युनिसिपैलिटी कायम होगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें।

श्री भंवरलाल ऐरन : मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। जिस तरह एक

(श्री भंवरलाल ऐरन)

विधेयक पारित हुआ है उसी तरह इमर्जेन्सी में केन्टोनमेंट में चुनाव कराये गये। वे चुनाव भी अब इमर्जेन्सी हटने के बाद पुनः कराये जाने चाहिए।

मेरे क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय, 30 वर्षों में न सड़क बनाई गई, न बिजली पहुंचाई गई। आज भी कई ऐसे गांव हैं मोराझड़ो, सूरजपुरा, रवाब चांदसेन जो टापू बन गये हैं। आज न वहां कोई संचार की व्यवस्था है और न ही कोई जा सकता है, न कोई कान्टेक्ट है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि शीघ्रातिशीघ्र इस क्षेत्र मे भी कुछ किया जाना चाहिये।

दूसरी समस्या नसीराबाद क्षेत्र में स्कूलों की है। अजमेर जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे है किन्तु नसीराबाद शिक्षा के क्षेत्र में आज भी पिछड़ा हुआ है। बहुत दूर दूर तक शालाओं की व्यवस्था नहीं है वहां स्कूलों की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र होना आवश्यक है। मैंने नई शालायें—प्राथमिक शालायें और माध्यमिक शालाएं खोलने के लिए निवेदन किया, हाई स्कूल खोलने के लिए भी निवेदन किया है लेकिन मैं समझता हूं उस पर अभी विचार नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे। नसीराबाद में आज भी लड़कियों के के लिये कोई कालेज नहीं है। कालेज की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिये। मैंने निवेदन किया कि लड़कियों का एक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहा है जिसका मैं प्रबन्धक हूं। मैंने निवेदन किया उस उच्च माध्यमिक विद्यालय को सरकार शीघ्रातिशीघ्र हाथ में ले, उसे कालेज बनाये और जो एक बहुत बड़ी दुविधा है उसे दूर करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा गवर्नमेंट कालेज, नसीराबाद में शहर से लगभग 2 मील दूरी पर है, रास्ते में मिलिट्री एरिया है, बिल्कुल सुनसान और निर्जन रास्ता है। लड़कियों को पैदल और साईकिल से जाने में बड़ी मुश्किल होती है इसलिए कालेज की सुविधा शहर में ही प्रदान की जाय जिससे लड़कियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी बहुत काम हैं। यदि पांच मिनट का समय और दें तो मैं अर्ज कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भंवरलाल एरन : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा को शिरोधार्य कर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने गौर से पढ़ा। इसके दो हिस्से किये जा सकते हैं एक पोलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। श्रीमन्, जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि या तो गलती से जनता पार्टी के इलेक्शन मंच के भाषण को पढ़ रहा हूं या किसी पोलिटिकल नेता द्वारा किसी कान्फ्रेन्स में दिये हुए भाषण

(श्री मथुरादास माथुर)

को पढ़ रहा हूं। मैंने दुबारा पेज पलटकर देखा तो मैंने देखा कि मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को ही पढ़ रहा हूं। श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर जो कहा गया है, उससे ऐसा महसूस होता है कि राज्यपाल महोदय ने जो डाक्यूमेन्ट पेश किया है वह सरकार का एक पोलिटिकल डाक्यूमेंट है। हम उम्मीद करके चलते थे कि जनता पार्टी की पहली सरकार है और यह पहला ही दस्तावेज पेश किया जा रहा है तो उसकी रीति-नीति, उसका कार्यक्रम बड़े जोर शोर से आयेगा। मुमकिन है जनता पार्टी के मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल को समय नहीं मिला है। इसलिए नीतियों का प्रदर्शन नहीं किया गया है। मैंने इसके एक एक पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश की है। मुझे सब जगह यही पढ़ने को मिला कि हम प्रभावी कदम उठायेंगे, कारगर कदम उठाये जायेंगे, आवश्यक कदम उठाये जाने के प्रयत्न करेंगे, उचित प्रयास करेंगे और विचार करेंगे।

आप पूरे अभिभाषण के एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन को पढ़ जाइये। आपको हर सफे में यही मिलेगा, जैसे आप विरोधी दल के सदस्यों से खड़े हो करके यही कह रहे हैं कि सरकार प्रयत्न करेगी, सरकार कारगर कदम उठायेगी। तो अब इन विषयों पर ज्यादा चर्चा करना हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव माननीय मुख्य मंत्री को, मंत्रिमण्डल के कुछ बड़े बड़े मुद्दों पर देना पसन्द करूंगा, उसके बाद सरसरी तौर पर पांच सात पेज जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के हैं जिनमें पोलिटिकल बातें कही गई हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा।

श्रीमान्, सबसे पहले तो राज्यपाल महोदय ने यह दर्शाया है कि खाद्य पदार्थों की महंगाई नहीं बढ़ी है। अगर जनता पार्टी का सबसे पहला तोहफा हमको मिला है तो वह महंगाई का मिला है। इस महंगाई के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री और राज्य सरकार को इतना दोषी नहीं मानता, उनको इतना दोष नहीं देता क्योंकि उनको सत्ता सम्भाले अभी कुछ ही दिन हुए, पर महंगाई की समस्या को हल करना राज्य सरकार के वश की बात भी नहीं है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का महंगाई पर कण्ट्रोल होता है, नीतियों का कन्ट्रोल होता है, किस तरीके से इन्फ्लेशन रोका जायगा, किस तरह से स्मगलर्स से, ब्लेक मार्केटियर्स से, होर्डर्स और एण्टी सोशल एलीमेंट से डील किया जायगा, किस तरह की प्रोडक्शन की नीति रहेगी किस तरह की प्रोड्यूसर्स के प्रति नीति रहेगी, स्माल स्केल इन्डस्ट्री और बिग इंडस्ट्रीज के प्रति क्या नीति रहेगी, ये सब बहुत बड़ी नीति की बातें हैं जिन पर महंगाई निर्भर करती है। इसलिये जब से जनता सरकार देश में बनी, भारत में बनी मार्च के महीने से, यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि खाद्य पदार्थों के भाव नहीं बढ़े। मैं जयपुर के इण्डस्ट्रियल वर्कर्स के कंज्यूमर्स प्राइस इण्डेक्स का बेस ईअर 1960=100 मान कर 1974 और 1975 का कोट करता हूं। कन्ज्यूमर के बेसिक आइटम्स का प्राइस इण्डेक्स जो 1974 में 348 था वह 357 हो गया। पान, सुपारी, तम्बाकू, बीड़ी इसका इण्डेक्स जो 358 था वह 364 हो गया। लकड़ी, बिजली, पानी वगैरह वगैरह का जो 355 था वह 357 हो गया। हाउसिंग का जो पहले 217 था वह वही है। किराया

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं बढ़ा है। क्लाथिंग एण्ड फुट वियर्स आइटम्स का 410 से 422 हो गया। मिसलेनियस आइटम्स का 445 से 448 हो गया और जनरल 327 से 340 हो गया, यह जयपुर सिटी का प्राइस इण्डेक्स इण्डस्ट्रियल वर्कर्स का 1960 का हंड्रेड बेस मान कर पेश किया है इससे साफ सिद्ध होता है....

श्री केदारनाथ : आप 70 को बेस मान कर बताइये ?

श्री मथुरादास माथुर : 1960 को बेस इसलिए किया है कि जितने फिगर आपके हैं, जो मैथोडोलॉजी डवलप की है वह 1960 को बेस मानकर ही की गई है इसलिए मैंने भी 1960 को बेस मानकर फिगर रखे हैं। नेशनल इन्कम को केलकुलेट करने में भी 1960 को ही बेस मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, फिर उसके बाद में हम यह महसूस करते हैं, इस दल में बैठने वाले लोग हैं वे यह महसूस करते हैं कि जब से जनता सरकार सत्तारूढ़ हुई है, सत्ता में आई है तब से लॉ एण्ड आर्डर में कुछ कमी आई है, कुछ हालत बिगड़ी है। इसका कारण क्या है ? मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे होम मिनिस्टर काबिल नहीं हैं बड़ी कोशिश करते हैं, थानों में भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, दिन भर लोगों से उलझे रहते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं है। इसका कारण मैं यह समझता हूं कि जनता पार्टी की कामयाबी से कुछ ऐसे एण्टी सोशल एलीमेंट, कुछ ऐसे तत्व, जिन्होंने जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, यह महसूस करते हैं, चाहे जनता पार्टी के नेता या जनता पार्टी की सरकार उनकी बातों पर ध्यान न दे यह अलग प्रश्न है लेकिन वे यह महसूस करते हैं, जो मिडिल क्लास ट्रेडर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मगलिंग करते थे, ब्लैक मार्केटिंग और प्रोफिटियरिंग करते थे, होर्डिंग करते थे उन्होंने यह सोचा है कि हमने कांग्रेस का विरोध किया इसलिए जनता पार्टी समर्थक हो गये। इससे वह उम्मीद करके चलते हैं कि हमको होर्डिंग करने का अधिकार मिल गया। हमारी तरफ अब कोई इंस्पेक्टर नजर नहीं उठा सकता। यही कारण है इकॉनोमिक आफेंसेज बढ़े हैं। इसके अलावा कुछ और तत्व हैं जैसे सामन्ती तत्व, कुछ फ्यूडल और कैपिटलिस्टिक तत्व जो कांग्रेस सरकार के समय खत्म हो गये थे वे फिर हुकूमत पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो खेतसिंह जी का एक सवाल था, हमारे मुख्य मंत्री ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं उनसे आशा लेकर चलता हूं कि वे इसी तरह से अपनी नीति को चलायेंगे। जो फ्यूडलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कैपिटलिस्ट्स हैं वे यह समझने लगे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि जनता पार्टी की सरकार आने से अब हमारी हुकूमत आ गई है और हमारे वही पुराने दिन फिरने वाले हैं। उसी का परिणाम है कि गांवों में किसानों को अपनी जमीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। अगर इस तरह से गरीब किसानों को अपनी जमीन से बेदखल करने की कोशिश की गई तो यह शुरुआत बहुत खतरनाक होगी। मैं उम्मीद लेकर चलता हूं कि आपको अभी थोड़ा समय हुआ है, आप दिलचस्पी लेकर इन तत्वों को रोकेंगे और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन

(श्री मथुरादास माथुर)
डेटिरियोरेट हुई है उसको आप रोकेंगे।

श्रीमन्, फिर मैं एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब से मुख्य मंत्री ने पद सम्भाला है, बड़ी बड़ी कान्फ्रेंसेज हुईं और खास तौर से शिक्षा के मामले में और उसमें भी यूनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ली है। आपने बिल भी पेश किया है। उस बिल को मैंने पढ़ा तो वह तो केवल सिण्डीकेट के कम्पोजिशन के बारे में, सिण्डीकेट के स्ट्रक्चर के बारे में ही है, उस तक सीमित है। इतनी बड़ी कान्फ्रेन्सेज हुई हैं, शिक्षा मंत्री खुद एजूकेशनिस्ट हैं, टीचर रह चुके हैं, हम उम्मीद लेकर चलते थे कि यह बिल आएगा तो जो हमारी तीनों यूनिवर्सिटीज हैं, जोधपुर, उदयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो जयपुर में है, इनमें कुछ परिवर्तन आएगा। हम अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से कमाये हुए पैसे से यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं लेकिन वहां पर वही हंगामा, वही दंगे फसाद। आप भी इस बारे में कहते रहे हैं, आप भी इस ओर बैठते थे तो कई बार कहते रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में सुधार किया जाय। मगर इस बिल से तो मुझे यूनिवर्सिटीज में कुछ होता दिखता नहीं है। आज भी यूनिवर्सिटीज में वही हो रहा है, प्राफेसर्स के घरों पर हमले कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्रोफेसर के मकान को घेर लिया, आफिस को घेर लिया, कांच फोड़ दिए, यह यूनिवर्सिटीज में लॉ एण्ड आर्डर की हालत हो रही है। हम उम्मीद करते थे कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी लेकिन इस बिल में हमें कुछ चीज देखने को नहीं मिली। बाखड़े कहीं नहीं मिले, जब सोरवा हो सोरवा मिला। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री को खास तौर से यह कहूंगा कि जो दो चार खास बातें रखूंगा उन पर आप गौर करें। कोई जल्दी की बात नहीं है।

मैं इस बात को मानता हूं कि यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक आटोनोमी को हमें बरकरार रखना चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित है कि यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल आटोनोमी नहीं रहनी चाहिए। हमारा फाइनेंशियल कण्ट्रोल होना चाहिए। मैं एक एम. एल. ए. के नाते जनता के प्रतिनिधि के नाते कहता हूं कि आप हम जनता पर कर लगा कर जो पैसा इकट्ठा करते हैं, वह उनको देते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज पर फाइनेंशियल कण्ट्रोल नहीं होगा तो मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं कि राज्य सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, बड़ा पैसा बरबाद होता है। इसलिए फाइनेंशियल कण्ट्रोल यूनिवर्सिटी पर होना चाहिए, दूसरी बात।

तीसरी बात यूनिवर्सिटी में पोलिटिक्स और पोलिटीशियन्स का असर नहीं होना चाहिए। पोलिटीशियन्स की पोलिटिक्स को आप यूनिवर्सिटी से दूर रखें। Keep your hands off.

चौथी बात मैं तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए यह कहना चाहता हूं कि इनके रिक्रूटमेंट की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री को कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज के रिक्रूटमेंट के लिए यूनि-

(श्री मथुरादास माथुर)

वर्सिटी सर्विस कमीशन बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनने से जो राजस्थान की तीन यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सैकड़ों आदमी नौकर हैं उनकी भर्ती यह कमीशन करेगा। वास्तव में सारे झगड़े की जड़ यह रिक्रूटमेंट है। जो भी वाइस चांसलर आता है वह अपने बच्चे छोड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि यहां पर लोकल और नोन-लोकल को लेकर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की शिकायतें आती हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी कमीशन मुकर्रर होना चाहिए। हमारे यहां पर पंचायत राज संस्थाओं के लिए सर्विस सलेक्शन कमीशन है जो रिक्रूटमेंट करता है। रेल्वे सर्विस सलेक्शन कमीशन है भारत सरकार का। तो जब इतनी यूनिवर्सिटीज में सैंकड़ों लोगों का सलेक्शन होता है तो इनके लिए अलग से सर्विस कमीशन क्यों नहीं हो ?

ये कुछ बड़े-बड़े सिद्धांत की बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री चाहें तो विरोधी दल को भी साथ लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी दल की नहीं, कोई पोलिटिकल पार्टीज की नहीं, इसलिए हम सब मिल जुल कर एक अच्छा एक्ट बनायें जिससे इस सारी समस्या का समाधान हो सके और आगे जाकर देश की खिदमत कर सके।

श्रीमान्, मैं आपके सामने एक और प्रश्न की ओर संकेत करना चाहता हूं और वह है राजस्थान की अहम समस्या। हम सब जानते हैं कि वह राजस्थान कैनाल की समस्या है जिसका जिक्र यहां पर किया गया है। श्रीमन्, आपने यहां कहा है और मुझे खुशी है कि सैकिंड फेज 1983–84 तक खत्म कर देंगे, जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर फाइनेन्शियल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। ठीक है मगर मैं एक योजना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है और वह है लिफ्ट इरिगेशन की योजना। प्लानिंग कमीशन····

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह प्रेक्टिकल और इकोनोमिकल है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : यह योजना एग्रीकल्चर कमीशन के एक्सपर्ट ने बनायी थी जो राज्य सरकार के पास नहीं भेजी गयी। राज्य सरकार ने उस पर विचार किया है और उसका पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद कहा है, इस योजना के सैकिन्ड फेज में इसको लिया जाये। मैं जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि इससे पानी में कोई कमी नहीं आवेगी और आपके रामगढ़ तक पानी वैसे ही जायेगा, जैसा कि ओरिजनल प्लान में है। बरसात के दिनों में जो पानी पाकिस्तान चला जाता है, अगर उस पानी को आप लिफ्ट इरिगेशन के जरिए से चार जिलों के अन्दर पहुँचा दें, बीकानेर में लिफ्ट इरिगेशन बनी है, वैसे ही नागौर, फलौदी, चूरू और साचौर इनको इसमें कवर करके लिफ्ट इरिगेशन आप बना दें तो यह पानी जो पाकिस्तान चला जाता है, वह बच जायेगा और इन इलाकों के अन्दर लाखों एकड़ जमीन सिंचित हो सकेगी। डेजर्ट डवलपमेन्ट स्कीम जो एक इम्पार्टेन्ट स्कीम है, उसमें भी इससे खुशहाली होगी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बीकानेर लिफ्ट इरिगेशन कामयाब हो गयी या नहीं, पहले यह तो देख लिया जाये।

एक माननीय सदस्य : मैंने कल यह कहा था कि लिफ्ट इरिगेशन मेन कैनाल की कास्ट पर नहीं बननी चाहिये। पाकिस्तान को पानी जाता है, वह रोका जाये। परन्तु पाकिस्तान को बहुत सी चीजें जाती हैं। मथुरादासजी सहयोग देंगे तो मैं भी उनको सहयोग करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : इस स्कीम के बारे में इसलिए जिक्र किया गया है कि यह स्कीम अभी शिशु अवस्था में है। एग्रीकलचर कमीशन के एक्सपर्ट ने इरिगेशन के एक्सपर्ट्स ने इसको एग्जामिन किया है। मुझे मालूम है, राजस्थान सरकार की केबिनेट ने इस पर विचार किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस वक्त आप वित्त मंत्री थे, उस वक्त आपने लिफ्ट इरिगेशन को स्कीम को रिजेक्ट किया था।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया है। जब मैं वित्त मंत्री था, तब मेरे सामने यह स्कीम नहीं आई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में आपने कहा था। आप चाहेंगे तो मैं सदन की कार्यवाही निकाल कर आपको बता दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम बीकानेर की आई थी और वह कार्य रूप में परिणित कर दी गयी है। दूसरी ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे अच्छी तरह से याद है। आपने यह कहा था कि लिफ्ट इरिगेशन कास्टली है और इस पर गवर्नमेन्ट को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा!

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको निवेदन कर दूं, नागौर की एक मोटे रूप से चर्चा हुई थी। 1975 के अन्दर एक सर्किल क्रियेट करके सर्वे कराया गया है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद यह रिपोर्ट सन् 1977 के प्रारम्भ में आई है। उसमें राज्य सरकार का यह मत रहा है कि लिफ्ट इरिगेशन का समावेश राजस्थान कैनाल के दूसरे चरण के साथ किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रश्न पैदा हुआ है एग्रीकलचर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद। पिछली बार जब सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे और आप वित्त मंत्री थे, तो उस समय सदन में लिफ्ट इरिगेशन के बारे में चर्चा हुई थी और उस चर्चा के दौरान आपका उत्तर इस प्रकार का था।····

श्री मथुरादास माथुर : मैं जनता पार्टी के मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा···

(व्यवधान)

उस वक्त नागौर का जिक्र हुआ था परन्तु इस स्कीम का सर्वे नहीं हुआ था। उसके बाद एग्रीकलचर कमीशन ने वहां पर सर्वे कराया है और सर्वे होने के बाद यह रिपोर्ट आयी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपने इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया है? और अगर नहीं किया है

(श्री मथुरादास माथुर)

तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र किया जाना चाहिये था। अगर आपने इसको रिजेक्ट नहीं किया है तो इसको डिटेल में एग्जामिन करने की जरूरत है। यह एक अहम सवाल है। अलग अलग कैनाल्स है। साथ में लिफ्ट कैनाल भी हो, इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आशा है, आप इस पर पूरा चिन्तन करके, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, पेय जल के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने सभी विवादों से अपने को बरी रख कर कहा है। डेयरी डवलपमेंट पर भी उन्होंने जोर दिया है। यह खुशी की बात है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहे कि अभी तक राजस्थान में पेय जल की समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं हुआ है। पेय जल उपलब्ध कराना एक बहुत इम्पार्टेन्ट मसला है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि इसके ऊपर बहुत काम करना बाकी है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पेयजल की स्कीम के अन्दर उन एरियाज, जहां पर ब्रिकीश वाटर है, साल्टी वाटर है, जहां पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, उन स्थानों को, उन गांवों को आप प्रायोरिटी दें और अपनी योजना बनाते वक्त आप इन एरियाज का ध्यान रखें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस सम्बन्ध में खास तौर से नागौर जिले के बारे में कहूंगा जहां कि काफी मीठे पानी के कुए थे, वे सब बाढ़ आने के कारण खारे पानी के हो गये। इसलिए मैं आपका ध्यान इस स्कीम की तरफ दिलाना चाहता हूं आशा है आप उसकी तरफ तवज्जह देंगे।

श्रीमान्, एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर यहां पर काफी चर्चा हो चुकी है। वह है प्रोहिबिशन, नशाबंदी का। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। यह कहा गया है कि हम राजस्थान के अन्दर प्रोहिबिशन लाएंगे शनैः शनैः, इसका हम स्वागत करते हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के पास बैठने वाले हमारे वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने उनका बयान पढ़ा है। उन्होंने कहा है, हम टोटल प्रोहिबिशन पर विचार कर रहे हैं। हाउस में भी कहा है। यह स्टेटमेन्ट भी दिया है। टोटल प्रोहिबिशन नहीं होगा तो हम यह करेंगे, वह करेंगे और यह भी कहा कि इस्तीफा दे दूंगा। यह अहम सवाल है। प्रोहिबिशन के बारे में दो-चार बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी जब इधर बैठते थे, वे टोटल प्रोहिबिशन की बात करते थे। मैं भी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इधर बैठा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ने इस प्रोहिबिशन को स्टेट के 7 जिलों में लागू किया है। यह जो मौजूदा पार्शियल प्रोहिबिशन है वह निकम्मा साबित हुआ है, वह फेल हो गया है। मेरे नागौर जिले में प्रोहिबिशन है। मैं दूसरे जिलों की बात नहीं कह रहा हूं। उसके पास के जो जिले हैं, पाली और जोधपुर, वहां पर प्रोहिबिशन नही है। पाली में नहीं है। सीकर में नहीं है। इससे नतीजा कुछ नहीं हुआ है। जो इसकी इको-

(श्री मथुरादास माथुर)

नोमी है. वह कुछ नहीं बनती है। नाम के लिए, कहने के लिए वहां पर प्रोहिबिशन हो गया लेकिन वहां पर इल्लीसिट लिकर बनने लगती है। नागौर जिले के अन्दर, मुख्य मंत्रीजी, आप जांच करवा लीजिये। मैं यह कह सकता हूं कि वहां पर इल्लीसिट शराब इतनी बनती है कि वह पीपों के अन्दर भर कर ट्रकों से इधर उधर भेजी जाती है। लोग उस शराब को पीते हैं। हिन्दुस्तान में सब जगह ऐसा ही हो रहा है। आपकी सरकार की नीति प्रोहिबिशन की तरफ है। गोकुल भाई के आशीर्वाद से आप जीत कर आये हैं। मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी जैसे शरीफ आदमी प्रोहिबिशन में विश्वास करते हैं, वे इसके लिए त्याग-पत्र देने को भी तैयार हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रोहिबिशन करें तो पूरा करें। मैं आपको एक दोस्त के नाते सलाह देता हूं कि पार्शियल प्रोहिबिशन फेल्योर हो गया है। पार्शियल किया गया तो हिन्दुस्तान भर के मुकाबले हमारी आमदनी, गिर जायेगी। प्लान के रिसोंसेज आपके रुक न जायें, राजस्थान का प्लान डवलपमेन्ट पर इसका कोई असर न हो, उसको मद्देनजर रखते हुए आप यह करें। साथ ही प्रोहिबिशन कम्पलीट करें और नेशनल लेविल पर करें। प्रोहिबिशन के अन्दर पार्शियल करना तो कुछ नेताओं को राजी करना होगा। एक जिले की तीन तहसीलों में प्रोहिबिशन कर दिया, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। इसके साथ मजाक कर इसे बदनाम मत करिये। मेरा आप से निवेदन है कि आप प्रोहिबिशन करें तो पूरे राजस्थान का करें और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि राजस्थान के विकास की जो गति चल रही है, वह कहीं ठप्प न हो जाये। इस बात का आप ध्यान रख कर चलें। आप प्रोहिबिशन करेंगे तो हम इस बात का स्वागत करेंगे और मास्टर आदित्येन्द्रजी के गले में फूल मालाएं पहिनाएंगे।

श्रीमान्, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सभी महकमों के बारे में जिक्र किया है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक एक महकमे का जिक्र किया है लेकिन वे टूरिज्म डिपार्टमेंट को भूल गए हैं। टूरिज्म हिन्दुस्तान का, अध्यक्ष महोदय, वह महकमा है जो सब से ज्यादा फारेन एक्सचेन्ज अर्न करता है। यह वह महकमा है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान में टूरिज्म के लिए राजस्थान का चप्पा चप्पा महत्व रखता है। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है। डेजर्ट है, लेक है। राजस्थान का इतिहास है। तवारीख है। हमारे राजा महाराजाओं के महल हैं···

श्री चिरंजीलाल गर्ग : आपका अट्रेक्शन···

श्री दाऊलाल जोशी : आपने जो राजा-महाराजा पैदा किये हैं, वह हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कई विदेशी टूरिस्ट आकर कहते हैं, हम उस कमरे में सोना पसन्द करेंगे जिसमें महारानियां सोती थीं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि उदयपुर, जयपुर टूरिज्म के महकमे हैं।

एक माननीय सदस्य : अजमेर के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री मथुरादास माथुर : अजमेर तो लोकल टूरिज्म का स्थान है। जब वह जोधपुर जाएंगे तो रास्ते में अजमेर में विश्राम करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था। आप स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज से हैण्डीक्राफ्ट को अलग कर दीजिए। राजस्थान के हैण्डीक्राफ्ट की अलग विशेषता है। हैण्डीक्राफ्ट्स को मिला कर एक अलग डवलपमेन्ट कार्पोरेशन बनाइये ताकि बाहर से आने वाले लोगों का कोई एक्सप्लाइटेशन नहीं हो। इससे हमारे यहां की इकानामी डवलप होगी।

अब मैं, श्रीमान्, जो हमारे यहां के स्टेट मिनिस्टर हैं जेल के, उनसे कुछ कहना चाहूंगा। वह उत्साही हैं। नौजवान हैं। जेल डिपार्टमेन्ट में मेरी भी बहुत दिलचस्पी रही है। वह जेल भी गये हैं। मैंने उनका बयान पढ़ा है। इसीलिए मैं उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : जेल जाने की इच्छा है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जितनी जेल भुगती है, उतनी अगर किसी ने भुगती हो तो वह खड़ा हो जाए। मैंने 5 साल जेल भुगती है।

मेरे नौजवान साथी जो जेल मन्त्री हैं, वह जेल में सुधार करना चाहते हैं। मैं जेल मन्त्री रहा हूं। मैंने अपने समय में राजस्थान को जेलों के लिए जो कमीशन की रिपोर्ट ली है, उस पर कुछ तो अमल हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप उस रिपोर्ट को मंगवाने की कोशिश करें या आप दूसरी कमेटी बनायें। मैं जेल डिपार्टमेंट को आमदनी का डिपार्टमेन्ट मानता हूं। जो आदमी पांच साल जेल में रहे वह निकलने के बाद रीहेबिलिटेट हो सके, इसके लिए रिफार्मेशन के सिद्धांत को मैं मानता हूं। मैं पनिशमेन्ट के तरीके भी मानता हूं लेकिन वह एक दूसरी बात है। हमारे जो पुराने अधिकारी होते हैं, वह विकास में बाधा डालने वाले होते हैं। इसलिए रिफार्मेशन के सिद्धान्त को मानना पड़ेगा। सांगानेर के ओपन जेल और राजस्थान कैनाल में जहां काम कराया गया वहां से केवल एक ही आदमी भागा है। इस प्रकार से ओपन जेल का जो प्रयोग हुआ उसमें यह हो सकता है कि दो चार आदमी भागें। मुझे आशा है, हमारे स्टेट मिनिस्टर, जो नौजवान साथी हैं, इसको करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, आपके पास महकमें कम हैं। आप ही इसे ले लें। आपका तजुर्बा भी है। आपने गायें भेड़ें ली हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको दे दें ? क्या ख्याल है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हम सब यह महसूस करते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं कि इन दिनों चेंज हुआ है। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों को जो जमीनें दी गई . . .

एक माननीय सदस्य : आप जो कह रहे हैं . . .

श्री मथुरादास माथुर : सुन यार !

मेरा निवेदन है कि उनका पजेशन मिले। पजेशन जिन लोगों से मिले हैं, वह

(श्री मथुरादास माथुर)
लोग आज उसी माहोल में वापस पजेशन कर रहे हैं। बरसात होते ही ट्रैक्टर लेकर चले गये हैं कहीं मार कर निकाल रहे हैं। मेरे पास केसेज हैं। उन जमीनों पर वापस जबरदस्ती कब्जे कर लिये हैं। मुख्य मंत्रीजी के पास बहुत अर्जियां आती हैं। उनका बयान निकला है। पहले से ज्यादा अर्जियां आ रही हैं। आप समस्याओं को हल कर लेंगे। और अर्जियां आयेंगी पर मजमून बदल जायेंगे।

मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बहुत गौर से पढ़ा। आपने प्लान को डिसेण्ट्रलाइज करने को कहा है। यह तो पुरानी बात हो गई है। यह वही पुराना प्लानिंग बोर्ड है या उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं इसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। बड़ी उम्मीद लेकर चले थे कि आप तो ब्लाक लेविल पर पहुंच गये हैं और आप स्टेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्लानिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं, अच्छा होता हम उस पर विचार करते। मुख्य मंत्रीजी अभी नये हैं। आपको समय नहीं मिला है लेकिन आपने राज्यपाल महोदय को बोलने के लिए खड़ा किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी राय क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : आप अभी राय लेना चाहें तो अभी दे दूं। तनहाई में लेना चाहें तो तनहाई में दे दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप फर्माइये।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो भारत सरकार से प्लानिंग कमीशन को मिलना चाहिए। उसका 2/3 प्लानिंग कमीशन देगा जब कमीशन बना कर हर सब्जेक्ट पर विचार कर लेंगे। आज डिमाण्ड करना एक चीज है और प्लान बनाना दूसरी चीज है। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आपने इस आसन पर बैठ कर जो कहा है। मेरा निवेदन है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिये कुछ कहा जाए जो कि इस सदन में नहीं है . . .

एक माननीय सदस्य : उदाहरण के लिए?

श्री मथुरादास माथुर : मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। वह कोई भी हो। ऐसी कोई बात हो तो मिनिस्टर को नोटिस देते हैं और मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स न आपके हैं और न हमारे, ये अपने हैं। आप भी इनसे नाराज हैं और हम भी नाराज थे। मगर सदन में किसी एक्स और वाई का नाम लेकर कहें तो क्या उन लोगों को डिमोरेलाइज कर, उनको प्रेशराइज कर कुछ एडवान्टेज तो नहीं उठाया जा रहा है, इनमें से कोई बात तो नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सर्विस क्लास जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, आप इसको रखें या नहीं रखें, इससे इस ओर बैठने वालों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति प्रेशराइज करके और डिमोरेलाइज करके पैदा नहीं करनी चाहिए।

(श्री मथुरादास माथुर)

श्रीमान्, यहां पर सदन में बहुत सी चर्चाएं हुईं, और हम लोग यहां पर बैठने वाले माइनोरिटी के लोग हैं, हमारे लिए बार बार कहा जाता है। ठीक है हम लोग चुनाव में हार गये। डेमोक्रेसी में हार-जीत तो होती ही रहती है। हमने तीस साल तक बेटिंग किया और आप लोगों ने फील्डिंग किया। अब आप बेटिंग कर रहे हैं और हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गुनाह की या आश्चर्य की बात नहीं है। यह बार बार कहा जाता है कि हमने क्या क्या गलतियां की, उसकी सजा तो हमको जनता ने दे दी। इसलिए बार-बार कोई इस तरह का फतवा देने और मरशिया गाने की जरूरत क्या है? माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी ही बार इंगलैन्ड में लेबर पार्टी पावर में आई है और कितनी ही बार कन्जरवेटिव पार्टी, अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ, पिछला चालीस सालों का इतिहास है। यहां तो इण्डिया में तीस सालों का इतिहास है।

(व्यवधान)

मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को इण्डिपेन्डेन्स दिलवाई है। आज आप भी इस सदन में हैं और हम भी इसी सदन में हैं।

एक माननीय सदस्य : बहुत से गुनाह किये हैं आपने।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ सोवराइटी रखी जाय सदन में। आपका अपना मत है, आपने कह दिया, आपके लिए यही कहने की बात थी।

श्री दाऊलाल जोशी : आपको पाप-कृत्यों का भी अफसोस नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो एक मोमेन्टम था कि आज मथुरादास इधर है और भैरोंसिंह जी उधर बैठे हैं। यह तो एक खेल है। कौनसा रिवोल्यूशन इससे आ गया है, आपके पावर में आने से? कौनसा इन्कलाब आ गया है? यह तो एक चेन्ज है। रिवोल्यूशन तो अभी लाना है। अगर आपकी पार्टी रिवोल्यूशन लायेगी तो हम सिर झुकायेंगे। लेकिन आपकी पार्टी घटकों से मिल कर बनी है। माननीय मुख्य मन्त्री-जी, हमारी पार्टी की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं आप पांच साल तक काम करें, हम आपको छेड़ना नहीं चाहते, हमको आपको इन्टरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता का भला-बुरा सोचना आपके दल का काम है। जनता की भलाई का जो भी काम होगा उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन यह तो नहीं होना चाहिए कि डाबरियाजी का एक स्टेटमेन्ट आ गया कल सदन में, कभी जयप्रकाशजी बोलते हैं और कभी जगजीवन बाबू अपना स्टेटमेन्ट देते हैं। इब्तदाये-इश्क में यह हालत हो रही है। मुख्य मन्त्रीजी, यह इन्फेन्ट मोर्टेलिटी है इन्फेन्सी के अन्दर यह स्थिति है, शिशु अवस्था के अन्दर बहुत बच्चे मर जाते हैं इसलिए आप सावधानी से काम करें।

(व्यवधान)

(श्री मथुरादास माथुर)

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, एक चीज मुझे कहनी है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपने सबसे पहला तोहफा दिया हिन्दुस्तान को, आपकी जनता पार्टी बनी, यह तो बहुत खुशी की बात है, बने। लेकिन हिन्दुस्तान के इन्टलेक्चुअल की फीलिंग यह थी कि दो पार्टी बनें, ...।

एक माननीय सदस्य : आपको खुशी हुई इससे।

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दुस्तान में पांच स्टेट्स में कांग्रेस का शासन है, आठ में जनता पार्टी का, पंजाब में अकाली दल का, तामिलनाडू में अन्ना डी.एम.के. का, गोआ में और दूसरी पार्टी है। जब मैं मिजोरम गया तो वहां पर सिचुएशन बड़ी एक्स्प्लोजिव है। They asked me, when did you come from India. I said, I am very much in India. यह सवाल पूछते हैं। यह हालत है उनकी जो हिल्ली स्टेट्स कहलाते हैं। उन लोगों को नेशनल स्ट्रीम में डाला था कांग्रेस पार्टी ने, वहां पर क्या हालत है। वहां की हालत यह है कि They asked, when did you come from India. चीन उधर है, बर्मा उधर है, सी.पी. एम. बंगाल में है। इन स्टेट्स में इनस्टेबिलिटी रखना तो राष्ट्र के हित में नहीं है। ऐसे भी स्टेट्स हैं जो हिन्दुस्तान से अलग होना चाहते हैं, पंजाब में अकाली दल का शासन है, तामिलनाडू में अन्ना डी.एम.के. का है। आज हिन्दुस्तान में दो पार्टीज की बजाय आठ–नौ पार्टियां हो गई हैं।

श्री बाऊलाल जोशी : माथुर साहब, आपके काल में 35 पार्टियां थीं; आज तो आठ ही हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप 35 कहें या 73 कहें, मुझे इससे क्या एतराज है।

श्रीमन्, तो जनता पार्टी का पहला तोहफा हिन्दुस्तान को यह मिला कि जगह जगह सरकारें गिराईं। काश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार का क्या हुआ। उस शेर को पिंजरे से निकाल दिया। जनता पार्टी ने उसको पिंजरे से निकाला है। पंजाब भी बोर्डर पर है, तीसरा तामिलनाडू में अन्ना डी. एम. के. की सरकार है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी यह इच्छा है कि उसको पिंजरे में ही रखा जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अगर आप मुझे हुकूमत दे दें तो मैं बताऊं कि उसको रखना है या नहीं रखना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेर को पिंजड़े में रखा था आपने, जनता पार्टी ने उसको छुड़ाया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर दूं कि यह मतलब नहीं है––He was the Chief Minister with Congress support mind it.

हमारी पार्टी की कोशिशों से चीफ मिनिस्टर बना था, अब समझ में आ गया।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब समझ में आ गया कि पिंजरे में से किसने निकाला?

श्री मथुरादास माथुर : इधर पंजाब में अकाली दल है, काश्मीर में कुछ और है, उधर अन्ना डी. एम. के. है तो पहली बात यह हुई कि सबसे पहले आपने हिन्दुस्तान को एक नेशनल स्ट्रीम से निकाल कर उसमें आठ दस पार्टियां कायम कर दी हैं और देश को आज सेफ्टी का खतरा हो रहा है। यह क्या आपका सबसे बड़ा पालिटिकल तोहफा नहीं है ?

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप घंटी बजाने की सोच रहे हैं, लेकिन घंटी बजने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगा।

दूसरी बात, मैं शुद्ध भावना से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा विरोधी दल के नेता ने भी कहा, हम आपके साथ में सहयोग करना चाहते हैं। जितने प्रकार की योजनायें हैं, जिवेद का बेटर स्टेण्डर्ड हो, अनुशासन हो और किसी भी मामले में देश की जो तरक्की आप कर सकते हैं, उसमें हमारा सहयोग मिलेगा। मगर वहां हमारा सहयोग नहीं मिल सकेगा वहां जनता को तकलीफ होगी। कई कांग्रेस के सपोर्टर्स थे, कांग्रेस के सरपंच थे, इसलिए उस पंचायत को भंग कर दिया जाए, परेशान किया जाय, वहां हम आपको सहयोग नहीं दे सकेंगे। आप यदि हमारे रोड़े साफ करना चाहते हैं तो हम भी रोड़े साफ करना जानते हैं।

श्री केदार नाथ (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन बैंचेज पर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने अपोजीशन को टोन देने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि वे वह टोन सिएट नहीं कर पाये। उसके लिए बैक ग्राउण्ड देखिए। जब पांच साल संघर्ष की राजनीति को आप देखेंगे, मालेज की लड़ाई को देखेंगे उस समय आपकी आलोचना में तीखापन आएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को गहराई से सुन रहा था। इमर्जेन्सी एरा के समाप्त होने से पहले, जिन मालेज ने इमर्जेन्सी एरा को देखा है, जेलों की चहारदीवारी को देखा है, उसके सारे इम्पेक्ट, कॉजेज के बारे में अगर कांग्रेस बैंचेज पर बैठे हुए माननीय सदस्य गहराई से सोचते कि क्या कारण थे, इमर्जेन्सी क्यों लागू हुई, उन 19 महीनों में कौन-सी लीडरशिप थी, क्या कारण थे और अगर नए तरीके से आप अपोजीशन बैंचेज पर बैठते तो मैं एप्रीशिएट करता। वही आपकी एप्रोच है और वही आपका पोलिटिकल बैंक ग्राउण्ड है। आप चाहते हैं कि इन बैंचेज पर पुराना रोब आप अदा करें तो वह अदा नहीं कर पायेंगे। अगर राज्य में दूसरी पार्टीज का राज है तो यह बहुत बड़ा डवलपमेंट है, कहीं अकाली पार्टी का, कहीं ए. डी. एम. के. का, कहीं कांग्रेस का राज्य है तो हम इसका स्वागत करते हैं। जनता ने चेंज सोच कर किया है। आप इस चेंज का केवल यह आधार मानते हैं कि कुछ गलतियां हुईं, परिवार नियोजन में गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 25—30 साल से जो लोग राजनैतिक क्षेत्र में लड़ते रहे, संघर्ष और आंदोलन किए हैं, यह 30 साल के संघर्ष की देन है, इस संघर्ष के कारण यह चेंज आया है। कई ऐसे परिवार हैं जो 25—30 साल तक संघर्ष करते रहे, न उनका नाम अखबार में आया, न जब मरे तो कोई रोया। अनेक परिवार हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, आज उनके संघर्ष के कारण रिवोल्यूशन आया है। केवल स्मगलर्स का एजीटेशन नहीं था, केवल

(श्री केदार नाथ)

ब्लेक मार्केटियर्स या होर्डर्स का एजीटेशन नहीं था, मोनोपोलिस्ट्स का एजीटेशन नहीं था। किसी देश में ऐसी मिसाल नहीं कि इकानामिक प्रार्फेडर्स ने कभी एजीटेशन किया हो, एन्टी-सोशल एलीमेंट्स ने मूवमेंट बिल्ड किया हो। एजीटेशन लेबर ने किया है, विद्यार्थियों ने किया है, एम्पलाइज ने किया है, छोटे व्यापारियों ने किया है। उन एजीटेशन्स के बाद चेंज आया। 4 महीने आपने वाच किया प्राइसेज बढ़ गईं, ला एण्ड आर्डर की पोजीशन बिगड़ गई, स्मगलर्स रिवाइज हुए, ब्लेक मार्केट वापस चल रहा है–यह आपकी मीठी व तीखी आलोचना मुझे हंसी की ओर ले जाती है। कोई इकानामिक्स का विद्यार्थी या पोलिटिकल साइन्स का विद्यार्थी होगा तो हमारी नीतियों को छः महीने वाच करेगा। आप प्राइसेज की बात कर रहे थे। इमर्जेन्सी से 9 महीने पहले जो प्राइस इंडेक्स था, मैं 1970 को बेस मानता हूं, यह इकानामिक्स का मैटर है, इमर्जेन्सी से 9 महीने पहले 10-11 पर्सेन्ट प्राइसेज बढ़ीं, प्राइस इंडेक्स 180 था, और इमर्जेन्सी के छः महीने बाद 11 पर्सेन्ट प्राइसेज कम हुईं, मगर इमर्जेन्सी समाप्त होने से 9 महीने पहले 10-11 पर्सेंट प्राइस राइज हुआ। यह प्राइस इन्डेक्स का बैकग्राउन्ड है। 1972–73 में मनी सप्लाई में 16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई, 1973–74 में 15 प्रतिशत, 1974–75 में 7 प्रतिशत, 1975–76 में 11 प्रतिशत, 1976–77 में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इतना ही नहीं, आपने 24 साल इकानामिक डवलपमेंट किया। फाइव ईयर प्लान 632 करोड़ का था, प्रायोरिटीज आपने फिक्स कर दीं, इकानामिक व मोनेटरी पोलिसीज तय कर दीं, उसकी कमजोरियां व कमियां हमारे सामने हैं। अब हमको रीओरीऐंट करने और उनका ट्रेन्ड बदलने में मिनिमम छः महीने का समय लगेगा। मनी सप्लाई इतनी बढ़ गई। जब प्लानिंग स्टार्ट किया उस समय 2 करोड़ मार्केट में थे, अब 1500 करोड़ है। आपने जब लीगेसी हमको दी तो सात गुना ज्यादा मार्केट में मनी सप्लाई थी और जो आउटपुट बढ़ा है वह ढाई गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, इकानामिक ग्रोथ साढ़े तीन पर्सेंट बढ़ा हुआ है और पापूलेशन ग्रोथ ढाई पर्सेंट हुआ है, मगर इसको माइनस किया जाए तो एक पर्सेन्ट बचता है। यह फिस्कल पालिसी आपकी बोल रही है, आपकी योजना बोल रही है। ऐसी इकानामी देने के बाद 4 महीने में हम सारे के सारे प्राइस स्पाइरल को समाप्त कर दें, यह नामुमकिन बात है।

आपने जो बजट घाटे के पेश किये, आपने जिस तरीके से बजट बनाए, हेराफेरी की, उसके पोलिटिकल रीजन्स थे। उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने 1976-77 में 425 करोड़ का डेफिसिट दिखाया, 1974-75 में 721 करोड़, 1975-76 में 868 करोड़ का डेफिसिट दिखाया। हमने आपको 72 करोड़ का डेफिसिट दिया**

श्री परसराम भदेरणा : यह नेशनल बजट की बात कर रहे हैं?

श्री केदार नाथ : जी हां।

अब हमारी केंद्रीय सरकार आई तो .00 करोड़ का डेफोसिट था अब 72 करोड़

Page No 43

(43)

(श्री केदार नाथ)

का है। इतना ही नहीं, आज प्लानिंग बोर्ड बन गया है। ब्ल्यू प्रिन्ट्स तैयार किए हैं। जब छठे प्लान की एप्रोच आएगी, हमारा प्लानिंग का अरस्ट रूरल डेवलपमेंट की तरफ होगा, एम्पलायमेंट ओरियेन्टेड होगा, लोकल जीनियस को एन्जाय करना होगा। उसमें कन्ज्यूमर्स के इन्ट्रेस्टस को भी देखेंगे। हमने 10 साल का समय मांगा है। सारा सोश्यो-इकानामिक, सारा अरस्ट अब देहात के विकास की ओर है, एम्पलायमेंट की ओर है, कन्ज्यूमर्स की तरफ है जिनके हितों को आप इग्नोर करते रहे हैं उनको साथ लेकर हम चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो स्माल स्केल इन्डस्ट्री में, हैण्डलूम इन्डस्ट्री में जो अरस्ट है उसको दूर करने में हमें कम से कम दस साल का पीरियड तो लगेगा। जब ही जाकर हम देश में जो अनएम्पलायमेंट है वह समाप्त कर सकेंगे और तब ही गरीबी मिटेगी। तब हमारे यहां पर पूरी तरह से सोशलिज्म आयेगा। पिछले 24 साल में आपने देश में इकानामिक डवलपमेंट के नाम पर देश की इकोनामी को खराब कर के रख दिया। हमने 24 साल तक इन्तजार किया तो आप दस साल तक इन्तजार नहीं कर सकते? यह आपके सोचने की बात है। आपने झूठे सोशलिज्म के नारे दिये। हरिजनों के डवलपमेन्ट के नाम पर, गरीबों के डवलपमेंट के नाम पर आपने टाटा और बिड़ला जैसे बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को पनपाया है। यहां मैं इसकी एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अध्यक्षजी, सन् 1967 में जिस बिड़ला के असेट्स 418 करोड़ थे वहीं असेट्स 729 करोड़ रुपये के हो गये। यह आपने किया है हमने नहीं किया है। गरीबी और बेकारी आपने बढ़ायी है हमने नहीं बढ़ायी है। आपने गरीबों के नाम पर, हरिजनों के विकास के नाम पर, गरीबों के डवलपमेंट के नाम पर बिड़ला जैसे इन्डस्ट्रियलिस्टों को पनपाया है। गरीबों के डवलपमेंट के नाम पर यह किया है। बिड़ला के असेट्स जो, माननीय अध्यक्षजी, 418 करोड़ रुपये के थे, मैं सन् 1946 की, 1947 की या सन् 1949 की बात नहीं कहता लेकिन यह सन् 1967 के बाद 730 करोड़ रुपये हो गये। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्षजी, टाटा के जो असेट्स 505 करोड़ रुपये थे वह सन् 1967 के बाद बढ़ कर 729 करोड़ रुपये हो गये। इसी प्रकार जो हमारे इण्डिया के बिग हाउसेज हैं चाहे वह जे. के. हों, थापर हों, चाहे कोई भी हों, इस प्रकार हमारे देश में 75 हाउसेज हैं उनके खिलाफ में आपने कोई कमीशन नहीं बिठाया है। आपने उन्हें कर्ब नहीं किया है। आज उन्हीं के कारणों से गरीबी बढ़ी है, अनएम्प्लायमेन्ट बढ़ा है, उन्हीं के कारणों से लोगों में निराशा बढ़ी है।

इसके साथ ही, माननीय अध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी के दौरान इन 19 महीनों में मजदूरों का स्ट्राइक करने का हक छीन लिया चाहे प्रोडक्शन बढ़ा, उसके लिये आपने मजदूरों को आन्दोलन नहीं करने दिया, उनके हकों के लिये उन्हें आन्दोलन करने का लाभ नहीं दिया। स्टूडेण्ट्स को अगर एडमिशन्स नहीं मिले तो आपने उन्हें हड़ताल नहीं करने दी, आपने सर्विसेज में से लोगों को कम्पलसरी रिटायर कर दिया, लोगों की जबानें बन्द कर दीं। आज वही

(श्री केदार नाथ)

आप कहते हैं कि देश में लॉ एण्ड आर्डर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया है कि जनता पार्टी गवर्नमेंट के आने के बाद क्राइम्स बढ़ गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ एक हजार क्राइम्स हुए और एक आध केस मर्डर का हुआ है। फिर भी आप कहते हैं कि क्राइम्स इन्क्रीज हुए हैं। मुझे अफसोस होता है यह सुन कर। माननीय अध्यक्षजी, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सदन में विरोधी दल के नेता श्री परसरामजी बैठे हैं जो कि यह जानते हैं कि कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस को पनपाया है। यहां जो देश में लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ा है वह सारा का सारा इस यूथ कांग्रेस ने बिगाड़ा है। आज जो हुआ लॉ एण्ड आर्डर नहीं होने की यहां बनाई जा रही है वह सब इसी यूथ कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है। इस रोंग एलीमेंट को खत्म करना होगा।

श्री शिवचरण सिंह : यह एलीमेंट अब जनता राज द्वारा तो नहीं पनपाया जायेगा ?

श्री केदारनाथ : हम उसको कभी भी नहीं पनपने देंगे। यह सारी की सारी शैतानी जो की जा रही है वह सभी इसी यूथ कांग्रेस का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस राज में स्ट्राइक करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खोल दिये थे हम उनके लिए यह दरवाजे बन्द कर देंगे। जो लोग अपने राइट्स के लिए कहेंगे हम उनको सुनेंगे।

इसके साथ ही, अध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पिछले सालों में बहुत ही शान से ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताई है। जो लोग दिन में बड़े शानदार बंगलों में रहते हैं और रात को जाकर चोरियां और लूटमार करते हैं, जो लॉ एण्ड आर्डर बिगाड़ते हैं उनकी भी मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। यह लिस्ट तैयार है। मैं आप सभी लोगों के सहयोग से एक ऐसा ड्राइव शुरू करने वाला हूं जिससे एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर सभी को कार्नर कर दूंगा और इस एलीमेंट को समाप्त कर दूंगा। अब तो, अध्यक्षजी, यह यूथ कांग्रेस टूट गयी है पर फिर भी जो भी एलीमेंट रह गया है जो इस प्रकार के क्राइम्स करता है, उसे मैं समाप्त कर दूंगा।

माननीय अध्यक्षजी, यहां पर हरिजनों की इकोनोमी सुधारने के बारे में कई बार आज तक सुना गया है। पर मैं समझता हूं कि हरिजनों के नाम पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर कांग्रेस सरकार ने सिर्फ पालिटिकल फायदा उठाया है। उन्हें कभी भी नेशनल लेवल पर आर्गेनाइज नहीं किया। उन्हें हमेशा अलग-अलग रखा ताकि वह वेल आर्गेनाइज नहीं हो सकें। आपने हरिजनों को लैंड अलाटमेंट के नाम पर लैंड अलोट की पर मैं जानता हूं कि सिर्फ पेपर में अलाटमेंट हुए हैं। यहां परसरामजी विरोधी दल के नेता बैठे हुए हैं जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे। मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आपने जो

(श्री केदार नाथ)

अलाटमेंट करवाये थे उन पर आपने उन हरिजनों को पजेशन नहीं दिलाया था। आपने ऐसे कानून बना दिये कि इन गरीब तबके के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। आपने सिर्फ अपना वेस्टेड इन्ट्रेस्ट ही देखा, चाहे मजदूर हो, चाहे हरिजन हो, आपने गरीब को गरीब ही रखा और आपने पोलिटिकल कैपिटल ही बनायी है। लेकिन हम उनको पालिटिकल कैपिटल नहीं बनायेंगे। हम उन्हें उनके हक दिलायेंगे। इसीलिये हमने गवर्नमेंट आर्डर्स को यह आर्डर दे दिये हैं कि जहां कहीं भी हरिजनों को लैण्ड अलाट हुई और उनको पजेशन नहीं मिल रहा है तो चाहे थानेदार हो, तहसीलदार हो, वह जाकर उसका पजेशन रैस्टोर कराये। हम हरिजनों के नाम पर एम. एल. ए. और एम. पी. को ही सीट नहीं बाटेंगे या सर्विसेज में शिड्यूल्ड कास्ट्स के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सिर्फ रिजर्वेशन्स ही नहीं रखेंगे लेकिन हम एक केडर बनायेंगे। हम उनमें एक लीडरशिप पैदा करेंगे जो आपने उनमें पैदा नहीं की थी। हम उन्हें ताकतवर बनायेंगे ताकि वह लोग पोलिटिकली ताकतवर हो सकें। हम आपकी तरह उनको पोलिटिकल कैपिटल नहीं बनायेंगे। हम उन्हें बराबर के क्वार्टर के रूप में खड़ा कर देंगे।

माननीय अध्यक्षजी, मैं तो ज्यादा बोलना नहीं चाहता था पर यहां पर माथुर साहब ने यूनिवर्सिटीज के बारे में कहा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में हस्तक्षेप कर रही है। गवर्नमेंट जो एमेंडमेंट ला रही है उसके जरिये हम यूनिवर्सिटीज में इन्टरफियर नहीं कर रहे हैं पर जब यूनिवर्सिटीज में डेमोक्रेटिक रूप से कार्यवाही नहीं हो रही थी, जब यूनिवर्सिटीज की सारी आटोनामी समाप्त हो रही थी, जब वी. सी. वहां पर मनमाने ढंग से अपोइन्टमेंट्स कर रहे थे तो गवर्नमेंट एक स्पैक्टेटर की तरह से यह सारी कार्यवाही नहीं देख सकती। माननीय अध्यक्ष जी, वाइस चान्सलर जब अपनी पावर के ऊपर काम करें, स्टूडेन्ट्स के एडमिशन्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर मनमानी करें तो गवर्नमेंट का राइट होता है और टीचर्स के जो राइट्स वी. सी. ने छीन लिये थे, जो स्टूडेन्ट्स के राइट्स वी. सी. ने छीन लिये थे उन राइट्स को वापस दिलाना गवर्नमेंट का काम है। अब वी. सी. इस्तीफा दे देते हैं तो अलग बात है वरना हमें तो यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेसी रिवाइव करनी है, वहां पर आटोनोमी लानी है और इन सभी चीजों से अगर आप नाराज होते हैं···

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम तो नाराज नहीं हुए ?

श्री केदार नाथ : अगर आप नाराज होते हैं तो हमें अफसोस होता है। आज वह स्थिति नहीं है कि जो घुटन लोगों के मन में थी वह खत्म हो गयी है। कोई व्यक्ति अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता था, एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकता था, अब वह स्थिति समाप्त हो गयी। इसी प्रकार जो वी. सी. ने सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समाप्त कर दिया था उसको रिवाइव करना चाहते हैं। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्षजी, कई प्रकार के जो लेप्सेज हैं उन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। चाहे वह सर्विसेज के नाम पर हों चाहे कोई

(श्री केदार नाथ)

और बात हो हमें उन्हें दूर करना है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितनी कार्यवाही की जा रही है चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के अन्दर हो, चाहे और हो, आपने इन 25–30 सालों में जो डवलपमेंट के नाम पर कमीशन्स बैठाये हैं उनसे देश की इकोनोमी खराब ही हुई है। हम उनके खिलाफ में कोई रन्जिश की भावना से, राजनैतिक भावना से और बदले की भावना से काम नहीं करेंगे।

तीसरी बात आपने कही कि जनता से वोट लेने के बाद आप जनता को भूल गए, इमर्जेन्सी में वोट लेने के बाद भूल गए। साथ ही पब्लिक के इनवाल्वमेंट की बात आप बहुत कहते हैं। हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा सारा काम काज एम. एल. ए. चलायेंगे जिसमें आप भी शामिल हैं। जनता ने जो हमें पद दिया है हम जनता को इनवाल्व करेंगे। सारे डिपार्टमेंट्स का काम चालू है। नौकर यदि यहां डाइरैक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ जायेंगे, हमारी मंशा के खिलाफ जायेंगे, और जनता की मंशा के खिलाफ जायेंगे तो वह नौकर यहां नहीं रह पायेंगे। केवल 20–25 दिन का टाइम हुआ है, हम अभी पूरी तरह सीख नहीं सके, हम गहराई से सोच नहीं सके—अगर वक्त मिला तो जो रिश्ता जनता से कायम करना है वह कायम करेंगे और जिन एम. एल. ए. ने मौका दिया है उनसे रिश्ता सीधा कायम रखेंगे यह मैं विश्वास दिलाता हूं, हम राजस्थान में नयी फिजा पैदा करेंगे। यही शब्द कह कर माननीय अध्यक्षजी, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा !

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले से आया हूं जो जिला अंग्रेजों के जमाने में भी हिन्दुस्तान में सितारे की तरह चमकता था। जहां पहले हाई कोर्ट था। 1956 में जो अजमेर राज्य था वह राजस्थान में मिल गया और अजमेर एक जिला बन कर रह गया। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उस जिले को मटियामेट कर दिया और वहां की जनता के अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया। वह राज्य से जिला हो गया। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वहां पर 1951 में जो सैटलमेन्ट हुआ वह सैटलमेन्ट बहुत गलत तरीके से हुआ और बिलकुल निकम्मा हुआ। उस समय नक्शे गलत बनाये गये और खसरा के इन्द्राज गलत किये गये। इस प्रकार किसानों को जी में आया जैसे लूटा।

(1.24 म.प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, उन्हीं दिनों महकमा जंगलात कायम किया गया और उसमें किसानों को जी भरकर लूटा। जहां जंगल थे और जहां शेर रहते थे वहां खरगोश भी नहीं रहते हैं। महकमा जंगलात मौजूद है, उनकी चौकियां मौजूद हैं लेकिन जंगल साफ हो गए। जंगल से करोड़ों रुपये की आमदनी करके लोगों ने बंगले बना लिये और सोने

(श्री रतन लाल वर्मा)

के गहने बना लिए। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर सोचा जाये तो देश में सबसे बड़ा कोई गद्दार था और देशद्रोही था तो वह नेहरू परिवार था जिसने देश को रसातल में उतारा और जिसने देश को दो टुकड़ों में बांटा। आज भी वह परिवार हमारी जान को मुसीबत बना हुआ है। आज भी इन्दिराजी के गुण गाये जाते हैं। नेहरूजी ने पद लोलुपता के कारण और प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्ना को प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया और देश के दो टुकड़े किये थे। आज भी वह टुकड़ा हमारी जान को मुसीबत बना हुआ है। 30 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। इन तीस सालों में हम लोगों को उसने बाराबांट कर दिया। जनता ने जब इस बात के लिए सोचा कि कुछ करना है, जनता में जब कुछ रद्दोबदल की भावना आई बस उसी समय नेहरू परिवार ने हमारा ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान से छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस तरह मूल समस्या की तरफ से जनता का ध्यान बंटा दिया। तमाम सरकारी कर्मचारियों को, यह मेरा खुल्लमखुल्ला आरोप है, कांग्रेस पार्टी ने बेईमान बनाया, उनको रिश्वतखोर बनाया और अपना राजनैतिक उल्लू सीधा किया। अशिक्षित किसानों को और गांवों को मुगल काल में जिस तरह लूटा जाता था उसी तरह से इन तीस वर्षों में कांग्रेस वालों ने उन्हें जी भर कर लूटा। इसका जीता जागता उदाहरण है, श्री जसराज थे जो स्वतंत्र पार्टी से जीत कर आये थे और बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। उस समय वह सात रुपये मासिक किराये के मकान में रहते थे। कांग्रेस में आने के बाद उनको मंत्री बनाया और उनके पास अब 3 लाख का बंगला है, दो लाख का फार्म है, लाखों रुपया बैंक बैलेन्स है और उनकी औरतें सोने की पायजेब पहनती हैं। कहां से आया यह सब उनके पास? मैं सभापति महोदय, निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन्होंने गांव वालों को लूटा। सन् 1970 के अन्दर हमने आवाज उठाई कि सन् 1951 में जो सेटलमेन्ट हुआ, वह गलत हुआ है और उससे किसानों को लूटा गया है। सन् 1967 के अन्दर श्री मोहनलालजी सुखाड़िया भूतपूर्व मुख्य मंत्री भिनाय में आये थे और आने के बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उसमें राजस्व मण्डल के अध्यक्ष थे, उस समय के रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री के. एल. बराया, उस समय के जिलाधीश श्री बोर्दिया और श्री विशेश्वरनाथ जी भार्गव भी उसमें थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट आज भी सरकार के रिकार्ड में मौजूद है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1951 में जो सेटलमेन्ट हुआ था वह अजमेर का सेटलमेन्ट बिलकुल गलत हुआ। उसमें नक्शे बने, खसरों का इन्द्राज गलत हुआ, और इसके कारण किसानों की समस्यायें बढ़ीं। उनकी रिपोर्ट देख ली जाये। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि कमेटी ने रिपोर्ट दी और भू-संशोधन का काम चालू हुआ। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मौके की स्थिति के अनुसार नक्शे की तरमीम की जाये। रास्ते, मोरियां, तालाबों की आवें उसके अन्दर दर्शाया जाय, क्योंकि अक्सर किसानों में जो झगड़े पैदा होते हैं अक्सर जो मर्डर होते हैं अक्सर जो खून

(श्री रतन लाल वर्मा)

बनाया होता है, वह मोरियों के लिए होते हैं और रास्तों के लिए होते हैं। एक गांव का दूसरे गांव से झगड़ा नालाबों के ऊपर होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कांग्रेस ने अपने तीस साल के राज्य में किसानों के नक्शों को सही नहीं बनाया, उनके खेतों के नक्शों को सही नहीं बनाया। अगर मैं यह कहूं कि पढ़े-लिखे समाज ने इस तीस सालों में राज्य में किसानों को लूटा तो कोई गलत बात नहीं होगी। अगर जांच की जाये तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। आज कितने ही कांग्रेसियों ने अपने बंगले बना लिये हैं, जिनके घर के मकान नहीं थे, जिनकी इतनी बढ़ती नहीं थी उनके आज लाखों रुपयों के बंगले हैं। वे आज वहां बैठ बैठ कर डींगें मारते हैं।

सभापति महोदय, आज भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो किसान गरीब थे वह आज भी गरीब हैं, वह आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज भी उनको इस हालत में देखा जा सकता है। 30 साल के कांग्रेस के शासन में कितने ही मुकदमे किसानों के ऊपर धारा 91 के चल रहे हैं। सभापति महोदय, यह जमीन कोई द्रोपदी का चीर नहीं है, कोई रबर नहीं है जो बढ़ती जा रही हो। जमीन वही की वही है, किसान वही के वही हैं लेकिन पटवारियों की नालायकी और एस. डी. ओ. की नालायकी है। जमीन वही है लेकिन गिरदावरी के अन्दर कायत नहीं दिखाई गई। यह किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है और आज भी 91 के मुकदमे फैसल नहीं हुए।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में कई विज्ञप्तियां जारी की हैं, 1962, 63 और 64 में कि इनको खातेदारी दी जावे। 7॥ बीघा या इससे ज्यादा अगर खेत के बीच में जमीन है तो और उनके खेतों के पास बीच है तो उनको खातेदारी दी जावे। 1966 में जब श्री कुम्भारामजी रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय यह विज्ञप्ति निकाली गयी लेकिन उस समय के सामन्तों ने आज तक किसानों को खातेदारी नहीं दी और जांच की जावे तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। वह जमीन श्री परसरामजी के समय में, वह अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को अलाट की गयी है जब कि वह जमीन दूसरे किसानों के कब्जे में जो जो काश्तकार पुश्तों से, पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, उनसे कब्जे छुड़ाये गये। उन जमीनों को अलाट किया गया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की समस्या है जिस पर किसी सदस्य ने प्रकाश नहीं डाला है। सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों के साथ···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय हो गया। लेकिन आपको एक मिनट और दूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : 15 मिनट तो नहीं दिये हैं, मेरे साथ अन्याय···

श्री सभापति : 10 मिनट सबके लिये है। बोलने वाले बहुत सदस्य हैं। कृपया एक मिनट और ले लीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय; यह तो मैंने निवेदन कर दिया । सभापति महोदय, यह पंचायती राज...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय है ।

श्री सभापति : बोलने वाले 18 माननीय सदस्य हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रतनलाल वर्मा: सभापति महोदय, मैं केवल पाइन्ट्स बताऊंगा । बोलूंगा कुछ नहीं ।

सभापति महोदय, अंग्रेजों के समय में भी जबरदस्ती थी लेकिन आजादी के बाद मटिया मेट कर दिया । आज अजमेर विश्वविद्यालय का हकदार है लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने वहां विश्वविद्यालय नहीं खोला । जो अंग्रेजों के टाइम से हाई कोर्ट था वह वहां से हटा दिया । उसके एवज में विश्वविद्यालय दे देते तो...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इन्होंने जो अन्याय किया वह तो सुन लीजिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं अपनी बात दो मिनट में कह दूंगा । आगे समय नहीं मांगूंगा ।

ग्राम बडली में एक बीड है, वहां 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । उनको जेल भेज दिया गया । 11 दिन में जमानत हुई । 107 व 117 के केसेज लगाये ।

सभापति महोदय, अकोडिया का नारायण लाल ब्राह्मण है उसने नसबन्दी नहीं करवाई इसलिये उसको बेदखल किया गया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप मेरी भी कठिनाई देखिये । बहुत बोलने वाले हैं । आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन कर दूं, एक ही मिनट में समाप्त करता हूं..

श्री सभापति : आप विराजिये ।

माननीय श्री नवनीत पालीवाल !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भंवरलाल शर्मा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री राम रघुनाथ जी चौधरी ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, सदन में पिछले तीन-चार दिनों से अभिभाषण पर चर्चा हो रही है । कई माननीय सदस्यों ने पिछले 19 महीनों में जो कुछ हालात हुए थे उसके लिए

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कांग्रेस सरकार को काफी कोसा है लेकिन उस समय में जो उपलब्धियां हुईं उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिलाया है। राज्यपाल के अभिभाषण में भी उन दिनों के बारे में लिखा है और यह लिखा है कि काला काल था जो अब समाप्त हुआ है और असली स्वराज्य अब हुआ है।

मैं, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही हुई बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें जनोपयोगी कोई बात लिखी हुई नहीं है जिसको कि पढ़ कर जनता को प्रसन्नता हो सके। अभी गृह मंत्री जी ने कुछ एक घोषणाएं की थीं। इस तरह की घोषणायें इस अभिभाषण में होतीं तो बहुत प्रसन्नता होती। मैं इन बातों में अधिक न जाकर समय को देखते हुए कुछ एक मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। सदन में स्थगन प्रस्ताव की मार्फत भी सदस्यों ने यह प्रश्न रखा था कि राज्य में अति वर्षा से, बाढ़ से, कई तरह से किसानों की हालत बड़ी गम्भीर है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श न कर केवल सरकार का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष लगातार वर्षा से फसलें खराब हो चुकी हैं और जो फसलें खड़ी हुई हैं उनको कई तरह के कीड़े लग गये हैं। बहुत अच्छी उपलब्धि होगी हमारे कृषि के उत्पादन में यह बिल्कुल अब पोसिबल नहीं है। राज्यपाल महोदय के भाषण में लिखा है कि अच्छी वर्षा से कृषि उत्पादन बहुत अच्छा होने वाला है। अब हालत यह है कि बरसात इतनी ज्यादा हो गई है और कई तरह की बीमारियां हो गई हैं तो अच्छा उत्पादन होने की आशा बिल्कुल नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि कातरा नाम की लटें हो गई हैं जो फसल को काटती जा रही हैं इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। कांग्रेस सरकार के समय में जब ऐसी कोई बात होती थी और प्रकोप बीमारियों का होता था तो तुरन्त इस संबंध में सहायता दी जाती थी। मुझे आशा थी कि कृषि मंत्री जी इस बारे में कोई घोषणा करेंगे कि जो कुछ नुकसान होने जा रहा है उसके एवज में किसानों को यह सहायता दी जायगी। कुछ दवाइयां रिड्यूस्ड रेट पर दी जायेंगी, मुफ्त वितरित की जायेंगी लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया।

श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री) : आपका क्या सुझाव है?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सरकार को दवाइयां छिड़कनी चाहिये थीं, कातरा साफ हो जाता।

श्री श्रवणलाल : आप राज्य सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सदस्य, आप शायद जानते नहीं, आप यहां थे नहीं। इसके बारे में निवेदन कर चुका हूं।

Page No 51

(51)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सभापति महोदय, बैंकों के संबंध में यह कहूंगा कि किसानों को ऋण दिलाया जाये और जो दिक्कतें आती हैं उनको आसान किया जाये। जो बैंक इस कार्य में लगे हुए हैं उसमें जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उसको आप हटाने की कृपा करें। इस संबंध में पिछले तीन-चार महीनों में कई बार निवेदन किया गया है। बहुत से बैंक ऐसे हैं जिनके मैनेजर बिना कमीशन लिये काम नहीं करते। उसी प्रकार लूट चलाई जा रही है। इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत एक नियम है, एक कुआ दूसरे कुए से 100 मीटर दूर होना चाहिये, यह प्रेक्टीकल नहीं है जहां पानी होता है और छोटी छोटी काश्तें हैं, छोटे छोटे खेत हैं तो स्वाभाविक है कि खेत में किसान कुआ खोदना चाहेगा। अगर किसी के पास 10–12 बीघा की होल्डिंग है और कुआ खोदना चाहता है तो यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए इसमें रिलेक्सेशन किया जाना चाहिये। इस तरह के जो नियम बना दिये गये हैं जिनसे आम किसानों को दिक्कत होती हो तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए। आपका ध्यान इस ओर दिलाया ताकि आप उनकी कठिनाई को शीघ्र दूर कर सकें।

इसके साथ ही राजस्थान नहर के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने यह बताया कि यह नहर सन् 1983–84 तक सम्पूर्ण हो जायगी। खुशी की बात है, देर आयद दुरुस्त आयद। आपने गौर तो किया और बताया कि 1983–84 तक पूरी कर दी जायगी, यह खुशी की बात है। लेकिन इस सम्बन्ध में नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य, जो धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन पर बोल रहे थे, दो साल में पूर्ण करा देने की बात कह रहे थे। अगर यह दो साल में पूर्ण हो जाती है तो राजस्थान राज्य में जो उत्पादन होने वाला है वह सारे हिन्दुस्तान को उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति राजस्थान की बन सकती है।

इसके साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पशुओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति सरकार की दिखाई नहीं दी। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि पशु योजनायें चलती हो आ रही हैं। शीप में नई तरह की ब्रीड पैदा करना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना आदि योजनायें चलती रहनी चाहिये। जहां-जहां मवेशी हैं उनकी ब्रीड को बनाने की, दुग्ध योजनायें जो पहले से ही कांग्रेस राज्य में चल रही हैं उनको आगे ले जाने की बात हो सकती है। इस बारे में अब क्या योजना होगी, आप पशुओं का किस तरह की योजना बनाकर विकास करना चाहते हैं, इस तरफ राज्यपाल महोदय का कोई ध्यान नहीं गया है।

इसके बाद मैं आपका ध्यान विद्युतीकरण की तरफ दिलाना चाहता हूं। विद्युत के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह कहा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जा सकता था कि इतने गांवों में बिजली पहुंचेगी। जहां राज्य सरकार को नई लाइन नहीं डालनी पड़े वहां तो विद्युत् प्रोडक्शन के हिसाब से उपलब्ध करायी जा सकती है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से कुछ गांवों का विद्युतीकरण होगा लेकिन आप राजनैतिक दृष्टि से करना चाहते हैं या प्रोडक्शन और अन-प्रोडक्शन को देखकर करना चाहते हैं यह आपके देखने की बात है। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों में 11 के. वी. की लाइन पहुंच चुकी है और जहां विद्युत् की लाइन खींचने का अलग से कोई खर्चा नहीं आता है, केवल ट्रान्सफार्मर लगाने से ही काम चल जाता है वहां तो अवश्य ही राज्य सरकार को बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। इसका अभिभाषण में उल्लेख होना बहुत जरूरी था लेकिन कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिफिकेशन जब गांवों का किया जाता है या क्लस्टर योजना में कुछ ऐसे गांव छूट जाते हैं जिनको विद्युत् नहीं मिलती है, जिन गांवों का कोई धनी-धोरी नहीं है तो यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि ऐसे गांव राजस्थान में छूट गये हैं और उनके विद्युतीकरण में अधिक खर्चा नहीं आता है तो अवश्य ही उन गांवों का विद्युतीकरण किया ही जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पेय जल के सम्बन्ध में बड़े जोर-शोर से बातें कही गईं। यह बताया गया कि राजस्थान में पेय जल के लिए पहले की सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है और अब सारे राजस्थान की स्थिति को देख कर पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराई जायगी। मैंने, सभापति महोदय, प्रश्न के जरिये यह पूछा था कि नागौर जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनका पानी पायजिनस, जहरीला हो गया है और लेबोरेट्री से यह टेस्ट करके रख लिया गया है जो सूची दी गई है उसमें 15 गांव हैं। वहां जल प्रदाय योजना चल रही है। उन जल प्रदाय योजनाओं से विशेष खर्चा नहीं आता है। लेकिन मुझे कोई आश्वस्त नहीं किया गया कि उनको कब तक पूरा कराने की योजना सरकार की है। सभापति महोदय, यह उम्मीद करके चलते हैं कि पीने का पानी अत्यन्त आवश्यक है जो इस राज्य में रहने वालों को उपलब्ध होना ही चाहिए। क्या उन लोगों के लिए यह चिन्तन का विषय नहीं है, जहां पानी जहरीला हो गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो-तीन मिनट।

कम से कम एक साल में नहीं, दो साल में नहीं, तीन साल में, पांच साल में जो प्राथमिकता चल रही है उसके आधार पर उनको पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा तो निश्चय ही, सभापति महोदय, यह खुशी की बात होती। इस बात का भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है कि जहां पानी नहीं है और दूर पानी है वहां किस तरह पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। यह खेद की बात है।

मैं शिक्षा के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं। अभी बहुत से स्कूल खोले जा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

रहे हैं। माननीय खेतसिंह जी ने इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था। माननीय सभापति महोदय जनता पार्टी शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रही है लेकिन जो अब तक स्कूल खुलने चाहिये थे वे नहीं खुले हैं। इसके लिये स्पष्टतया यह उल्लेख होना चाहिये कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन क्या करने जा रहे हैं और जो स्कूल खोलने जा रहे हैं, वे कब तक खोल देंगे ?

चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हर जगह डिस्पेन्सरी खोलना शायद फाइनेंशियली पोसिबल नहीं है निवेदन यह है कि एक क्लस्टर योजना बनाई जाय, जिसके आधार पर छोटे छोटे गांवों में रेड क्रास खोल दी जाय जो चिकित्सा कर सके और यह भी देख सके कि किसी को डाक्टर की सलाह की आवश्यकता तो नहीं है। अगर इस तरह कर दिया जाय तो मैं समझता हूं चिकित्सा के क्षेत्र में काफी विस्तार हो सकता है।

परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। परिवार नियोजन के बारे में आपने बहुत कुछ कहा है और आपकी उपलब्धि शायद यही रही है। आपने 19 महीने के बाद बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया लेकिन कोई बड़ा रिवोल्यूशन नहीं है कांग्रेस पार्टी ने जनता की इस विषय में बहुत बड़ी नाराजगी ली और फेमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाया था। लेकिन आपने भी अब टार्गेट फिक्स किये हैं। जब आप निश्चित रूप से टार्गेट फिक्स कर देंगे तो यह राज्य कर्मचारियों को करना ही होगा अगर टार्गेट अचीव नहीं करते हैं तो उनकी सी.आर. खराब होने का अन्देशा है और अगर करते हैं तो जनता की वापस बहुत बड़ी नाराजगी लेनी होगी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, सभापति महोदय, हैड लाइन्स..

इस तरह के टार्गेट फिक्स करने से गड़बड़ी होती है। जो टार्गेट की पद्धति है, उसको समाप्त कर दीजिये।

आवंटन के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं साहूकार, आपकी सरकार बनने के बाद इतना शोषण करने लग गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स से जमीनें छीन सकता है, वह अपने पैसे के बदले उससे जमीन ले सकता है और कुछ स्थानों पर यह किया जा रहा है। जो अलाटमेंट की जमीनें हैं, वे उनसे खरीद रहे हैं। हालांकि जमीन ट्रान्सफर नहीं हो सकती है लेकिन यह देखने की बात है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जो भूमि अलाट होती है वह जमीन साहूकार उनसे ले न सके।

मद्य निषेध के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कुछ जिलों में मद्य निषेध की बात कही गई है लेकिन कुछ जिलों में मद्य निषेध करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। आज नागौर में हर घर में शराब की भट्टियां चलती हैं; चाहे वह जहरीली ही शराब बनती हो, घर घर में शराब बनाई जाती है। जिन जिलों में मद्य निषेध है वहां

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चोरी चोरी शराब की बिक्री होती है और लोग इधर उधर जाकर पीते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके पूरे राजस्थान में ही मद्य निषेध करें तो ठीक है। कुछ जिलों में मद्य निषेध करने से और मुश्किल होगी। इससे अपराध भी अधिक बढ़ेंगे। इसलिये जब तक पूर्ण मद्य निषेध नहीं होगा तब कुछ भी होने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ कि अभिभाषण में कुछ भी नहीं है इसलिये मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, आज हम इस विधान सभा में एक ऐसे अवसर पर मिल रहे हैं जो बड़ा ऐतिहासिक है। यह राजस्थान विधान सभा अपने पच्चीस वर्ष पूरे कर रही है। तीस वर्ष से इस देश में जो अराजकता, भ्रष्टाचारिता, कर्तव्य विमुखता व्याप्त थी, ऐसा जो राज्य था उसको जनता ने समाप्त करके एक प्रजातंत्र की स्थापना की है। ऐसे इन दो प्रसंगों के बाद हम यहां मिल रहे हैं। यह जो परिवर्तन आया है इसके लिए मैं सबसे पहले भारत की जनता का अभिनन्दन करता हूं। यहां विधान सभा में आने का मेरा तथा अन्य कई मेरे बन्धुओं का पहला अवसर है। जब हम विधान सभा से बाहर थे, विरोधी दल में काम करते थे तो कांग्रेस के नेता हमको यह उपदेश दिया करते थे कि विरोधी दल रचनात्मक भूमिका अदा नहीं करता। हर काम में रोड़े अटकाता है, विरोध करता है। तो मैं समझता था कि राजस्थान की विधान सभा में जब हम जायेंगे तो जो लोग हमको पिछले तीस वर्षों तक यह शिक्षा देते थे कि विरोधी दल को किस प्रकार से काम करना चाहिए, उनके आचरण को विरोधी के नाते देखने का अवसर मिलेगा और उनका सहयोग राजस्थान को आगे बढ़ाने में बहुत ही प्रशंसनीय होगा लेकिन बड़े दुःख की बात है कि यहां जो पिछले चार दिनों से बहस चल रही है उसमें हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्यगण जो कुछ बोले हैं यद्यपि उन्होंने जनता पार्टी से हार खा कर यह तो स्वीकार किया है कि हमने बड़ी गलतियां की हैं, हम शासन में रहने के काबिल नहीं थे इसलिए अब हमको क्षमा कर दिया जाय। मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो पाप किये हैं, जो कु-कृत्य किये हैं, उनका जो कलंक उनके सिर पर लगा है उसको एक गंगा तो क्या हजारों हजार गंगा की धारा भी नहीं धो सकतीं। इसलिए उनको माफ करना सम्भव नहीं है। उनको माफ करने का सवाल ही नहीं है। अब तो उनको अपने आचरण से, अपने व्यवहार से जो उन्होंने पाप किये हैं उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। यदि वे वास्तव में हृदय से माफी मांगना चाहते हैं तो फिर उनका आचरण भी उसी प्रकार का होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों में उन्होंने जो बातें कही हैं, जो मुद्दे उठाये हैं उनसे पता लगता है कि उनके मन में अभी कोई सुधार नहीं आया है। इतनी बड़ी शिक्षा के बाद भी, जनता से ठुकराये जाने के बाद भी उनमें कुछ सुधार दिखाई नहीं देता। यहां तक भी विरोध किया है एक माननीय सदस्य ने तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि राज्यपाल के, सम्माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति जो है वह वही रंग की किताब है, वही पन्ना है। इस प्रकार विरोध करने के लिए इस हद तक गए हैं।

एक बात जो ऐतिहासिक बात है, एक ऐतिहासिक घटना है उसकी ओर मैं; माननीय सभापति जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह घटना है 30 मार्च, 1949 की जब कि राजस्थान का निर्माण हुआ था। राजा-महाराजाओं ने अपने राज्यों को छोड़कर बृहद् राजस्थान की स्थापना करने के लिए सब कुछ समर्पण किया था। उस समय स्वर्गीय सरदार पटेल पधारे थे और शास्त्री मंत्रि-मण्डल का गठन किया था। उस समय भी हमारे तथाकथित माननीय सदस्य कांग्रेस के नेता के नाते उस समारोह में उपस्थित हुए थे, जो राजस्थान के भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम था उस समारोह का भी उन्होंने बहिष्कार किया था। वही बात, वही प्रक्रिया उन्होंने राज्यपाल के भाषण के दिन प्रारम्भ में ही उसका बहिष्कार करके यहां दोहराई। यह दिखा दिया है कि अभी उनके मन में, उनके आचरण में कोई सुधार नहीं है। यहां पर आरोप लगाए गए और यह बात स्पष्ट भी है कि तीस वर्षों के शासन में कांग्रेस ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। मंत्रियों ने बंगले बनाए, देश को खूब अच्छी तरह से लूटा आदि-आदि। अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, इन आरोपों को, उनके इन कृत्यों को बहुत बड़ा कर्म नहीं मानता। उन्होंने यह जो कुछ किया है यह तो ऐसा ही है, मान लीजिए कि घर के बाहर जो बाग है उसमें घास उग रही है और कोई गधा आया और घास चर कर चला जाय। बरसात आएगी और फिर घास खड़ी हो जाएगी। पैसा फिर कमा सकते हैं लेकिन इन्होंने जो इस देश का चरित्र है, देश की भावना है, देश की मान्यताएं हैं, उन सब को समाप्त किया है और मानव को मानव से पशु बना दिया। चरित्र का हनन किया है और उस चरित्र के हनन के कारण आज हम जिस तरफ देखते हैं वहीं यह दिखाई देता है कि चरित्रवान व्यक्ति कहीं नहीं मिलता। उसी का परिणाम है कि हम योजनाओं को भली प्रकार पूरा नहीं कर पाते, हमारा राज्य अच्छी तरह से चलाने के लिए इस प्रकार के काम करने वाले लोग नहीं हैं जो इस देश के निर्माण में लगें। यह जो नुकसान किया है वह पूरा होना मुश्किल है। देश का चरित्र बरबाद किया है, देश को भ्रष्ट कर दिया है इससे जो राष्ट्रीय चरित्र यहां के युवकों में, नागरिकों में होना चाहिए उसको समाप्त कर दिया है। यह इतना बड़ा जघन्य अपराध है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता।

अभी कुछ प्रश्न कांग्रेस के सम्माननीय सदस्यों ने पूछे। एक प्रश्न पूछा है हमारे शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने। उन्होंने पूछा है कि राजस्थान से भ्रष्टाचार को सदैव के लिए रुखसत कर देने के लिए राज्य सरकार क्या नई तजवीज कर रही है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार किसने पनपाया? इसको जन्म किसने दिया? आपने तीस वर्षों तक सरकार में रह कर क्या किया? सिवाय भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, के इस

(श्री भंवरलाल शर्मा)

देश के लिए, इस प्रदेश के लिए आपने क्या किया ? तीस वर्षों तक जिस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को आपने पनपाया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है उसके लिए आप दो दिन के बाद सवाल पूछते हैं। आप दो दिन में किस प्रकार से समाप्त कर देंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मैं माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बा न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि आप यह समझें कि यह ऐसा समय आया है जिस समय हम अपने प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए कुछ काम करें। जो हमारे विरोध में बैठने वाले बन्धु हैं वे अपने मन से विरोध का भाव निकाल दें और विरोध का भाव निकाल कर इस बात में लगें कि हम हमारे प्रदेश का भला किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि यह किया और सरकार के साथ सहयोग किया तो यह समझ में आ सकता है कि असल में वह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और जो पिछले पाप किये हैं उसको धो रहे हैं। इस देश के देहातों में, इस राजस्थान प्रदेश में बड़ी निधि छुपी हुई है उसको निकाल कर हम गरीब जनता को समृद्धिवान बना सकते हैं। लेकिन यह सब तभी होगा जब जनता पार्टी की सरकार के कार्यक्रमों में हमारे विरोधी पक्ष में बैठने वाले लोग रोड़ा न बन कर सहायक बनें। जनता पार्टी जनता की भलाई के लिये कटिबद्ध है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं जनता की भलाई के लिए है। यह हम तभी पूरा कर सकेंगे जब हमारे विरोधी बन्धु अपने पुराने भावों को छोड़ कर, पुराने स्वभाव को छोड़ कर जनता पार्टी का सहयोग करें। तो मेरा विश्वास है कि हम इस देश को और प्रदेश को तरक्की के मार्ग पर ले जा सकेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नवनीत कुमार जी।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : माननीय सभापति जी, इस सदन के अन्दर राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण देने की कृपा की है, मेरी दृष्टि में वह मात्र अभिभाषण ही नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो इस देश के इतिहास में पहली बार लिखा गया है।

सभापतिजी, इसके दो भाग हैं, जैसा हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कहा, एक भाग में राजनीतिक चर्चा की गई है और दूसरे भाग में हम क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, उस पर महामहिम ने प्रकाश डाला है।

सभापति जी मैं आभारी हूं कि 19 महीनों के अंधियारे, अत्याचार के काल पर राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाल कर, जिस सरकार को इस देश की जनता ने ठुकराया है, उसके काले कारनामों पर रोशनी डाली है। आपात स्थिति के बारे में प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्य बार बार यह अपील करते हुए पाये गये हैं, जो कुछ हो गया, वह हो गया, उसे भूल जाओ बार-

(श्री नवनीत पालीवाल)
बार उसको मत दोहराओ, उसकी सजा हमको मिल गयी है, हमसे भूलें हुई हैं। अगर यह भूल है तो भूल अनजाने में होती है। किसी बच्चे के हाथ से कांच के गिलास का टूट जाना भूल हो सकती है। परन्तु देश के स्वाभिमान को, देश की स्वतंत्रता को समाप्त करना और देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना, आम नागरिकों को प्रताड़ित करना अपराध ही हो सकता है, भूल नहीं हो सकती है। ऐसे अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराधी को निश्चित रूप से दंड दिया जाना चाहिये। सभापति जी, केवल क्षमा याचना से काम नहीं चलेगा। इसका एक इतिहास बनेगा। इतिहास बनेगा आपके काले कारनामों का। लोकतंत्र आपको सौंपा गया था, जनता की सेवा करने के लिए। जनता ने आपको मत दिया था, जनता का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए। परन्तु आपने उस जनता के साथ विश्वासघात किया। इस देश की जनता को इस देश के एक एक नागरिक को आपने गहरे अंधेरे में डाल दिया, सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए। आपने जो पाप किया है, उससे आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। एक एक अपराध के लिए पूरा जवाब देना होगा। आप कहते हैं बार बार अखबारों में आता है। दो-चार लोगों ने मिल कर गलतियां कर दीं। नौकरशाही ने गलती की है। इन अपराधों के दोषियों को दंड भुगतना पड़ेगा। वे जो पाप कर रहे थे, उस पाप के आप भी साझीदार थे। आप उस वक्त मौन रूप में बैठे हुए थे। लेकिन हां तो भर रहे थे। इसलिए आप भी इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। आप में से हर एक आदमी इसके लिए जवाबदार है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने जो अपराध किए हैं, उसका दंड मिलना चाहिये।

सभापति जी, आपातकाल इस देश का एक ऐसा दुःस्वप्न है, जिसको अगर भुलाना चाहें तो नहीं भुला सकते। माननीय सदस्य उस ओर के, बार बार यह कहते हैं, भूल जाओ। मैं पूछूंगा बदरीलाल सुखारा, जो कांकरोली के रहने वाले थे, की पत्नी से कि उसके पति की मृत्यु इनके काले कारनामों से हुई या नहीं हुई? क्या वह इनको माफ करना चाहती है? मैं पूछना चाहूंगा, उस व्यक्ति से, प्रभाकर शर्मा से जिसने लोकतन्त्र की रक्षा के लिए आत्मदाह कर देश की जनता का ध्यान इस ओर खींचा है। मैं पूछना चाहूंगा, सभापति महोदय, उन सैकड़ों आदिवासियों से जिनको रात रात भर भागना पड़ा, कितने लोग मर गये, कितने लोग घर में परेशान हुए हैं। उन लोगों के हमदर्द बनते हैं ये प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य। मैं आदिवासियों से पूछना चाहूंगा कि ये अत्याचार किस पर हुए थे? क्या किसी माननीय सदस्य ने अपनी नसबंदी करवाई है? क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी नसबंदी करवाई है? क्या इस देश, प्रदेश के सम्पन्न लोगों ने नसबन्दी करवाई है? ये तो इन भोले आदिवासियों पर ऐसे टूटे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर लाया गया है। उनके साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं किया गया। वे रात-रात भर घर से बाहर रहे हैं। आप उनके परिवारों से पूछिये, क्या वे आप को माफ करने को तैयार हैं?

(श्री नवनीत पासीवाल)

शायद इस देश की जनता इनको माफ कर दे परन्तु, सभापति महोदय, ये माफ करने के लायक नहीं हैं। आपने अपराध किये हैं, गलतियां की हैं परन्तु अब भी आपको इसका पश्चाताप नहीं है।

आप कहते हैं कि भाव बढ़ गये हैं। इन तीन महीनों में इस देश का बहुत ही नुकसान हो गया है। लोकतन्त्रीय परम्पराएं समाप्त हो गयी हैं। मैं पूछता हूं क्या हो गया है इन तीन महीनों में ? आज से चार महीने पूर्व जब इस देश में तानाशाह का शासन था, आप बोल नहीं सकते थे। आप घूम नहीं सकते थे। आपने जो नगर-पालिकाओं के चुनाव करवाए हैं, वे जेल के सींखचों में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को बंद कर के करवाये थे। जनता सरकार ने पहली बार विधान सभाओं के चुनाव करवाए हैं। उसका नतीजा आपके सामने है। क्या आपने इससे पहले किसी प्रतिपक्ष के नेताओं को आकाशवाणी से बोलने दिया था ? क्या आपने भी कभी पहले इस तरह उन्मुक्ता से बोलने का साहस किया था ? जब आपकी हुकूमत थी, जब आपका शासन था, आप बोल नहीं सकते थे। उस प्रधान मंत्री की बात छोड़िये, उनके पुत्र न तो प्रधान मंत्री थे, न राष्ट्रपति थे, न किसी राज्य के मंत्री थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वे किसी गांव के पंच भी नहीं थे, उनका आतंक इस देश में किस सीमा तक था ? राजस्थान की धरती पर जब वह आये तो राजस्थान के मुख्य मंत्री उनके चरणों में गिर पड़े। करोड़ों रुपया इस प्रदेश की जनता का उनके स्वागत पर खर्च किया गया। इस देश के नैतिक मूल्यों को खत्म किया गया। किस प्रकार भय के वातावरण में 19 महीनों की जिन्दगी थी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में यह स्थिति फिर कभी नहीं आयेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जनता पार्टी की ओर से, हमारा यह संघर्ष था यह संघर्ष इसलिए था कि लोकतान्त्रिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा हो और भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आये।

सभापति जी, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कल यहां पर कहा था कि आप केवल 19 महीनों को याद करते हैं। '30 वर्ष तक जो विकास के कार्य किए हैं, उनको आप भुला बैठे हैं। प्रतिपक्ष के सदस्य बार बार हम पर आक्षेप लगाते हैं। सभापति जी, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश इस सदन के माननीय सदस्यों को सुनाना चाहूंगा। इस पुस्तक में कहा गया है, "दुर्भाग्य से, 1947 की स्वतंत्रता के बाद लगातार 25–26 वर्षों तक देश में कुछ ऐसा ही वातावरण बना रहा और 'राष्ट्रीय हित सर्वोपरि' जैसी भावना, कामना और निष्ठा पैदा नहीं हो सकी। अभाव, असफलताएं, बिखरे सपनों की निराशाएं, अनास्थाएं पनपती रहीं। और एक ऐसी अवस्था आ गई कि इन स्थितियों से निपटने के लिए और इन्हें अधिक न बढ़ने देने के लिए अंकुश लगाना आवश्यक हो गया।" यह इस पाठ्य-पुस्तक में कहा गया है। 'राहत की सांस' यह एक पाठ है। विपिन बिहारी बाजपेयी और रमेशचन्द्र शर्मा के सम्पादन में यह प्रकाशित की गई है। सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री नवनीत पालीवाल)

आपात काल के यशोगान में यह जो अध्याय लिखा गया है, इस अध्याय को इस पुस्तक में निकाल देना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में भी यह आया है। इसलिए इस किताब का यह अध्याय हटाया जाना चाहिये, इस किताब को समाप्त करना चाहिये चाहे हजारों रुपये और खर्च करने पड़ें···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बहुत थोड़े समय में ही मैं अपनी बात निवेदन कर दूंगा।

यातायात के सम्बन्ध में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी सेवाएं क्या रही हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आदमी जब बोलता है तो आप ढेर सारे बोलने लगते हैं। आपने फलां फलां का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। सड़कों का, मार्गों का, यातायात का राष्ट्रीयकरण आपने कर दिया परन्तु इसके साथ ही आपने साधन नहीं जुटाये। व्यवस्थाएं नहीं कीं। उदयपुर जिले के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जिन मार्गों पर बसें ज्यादा चलनी चाहिये, वहां पर एक बस नहीं। कहीं कहीं एक घंटे में 5 बसें आ जाती हैं और कहीं कहीं 5—5 घंटे तक कोई बस नहीं आती। आपने ज्यादा रास्तों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जब कि आपके पास साधन नहीं थे। जितने साधन थे, उस स्तर पर आपने इनका उपयोग नहीं किया। आपने तो यह इसलिए कर दिया क्योंकि प्रधान मंत्री ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसलिए हमको भी प्रगतिशील बनना चाहिये। इस प्रगतिशीलता को बताने के लिए आपने सड़कों का अन्धाधुन्ध राष्ट्रीयकरण कर दिया। आज स्थिति यह हो गई, सभापति जी, देहातों के लोग सुबह से शाम तक बसों का इन्तजार करते रहते हैं····

श्री ओंकारलाल चौहान : यह किस की वकालात आप कर रहे हैं ?

श्री नवनीत पालीवाल : यह आपके पापों का भंडा फोड़ा है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय। माननीय सदस्य दूसरे के घर में झांकते हैं। जैसे भैंस गाय को कहती है, गाय तेरी पूंछ काली है तो गाय ने कहा, अरे, मेरी तो पूंछ काली है परन्तु आप तो सारी की सारी काली हैं। ये जनता पार्टी के विघटन की बात करते हैं। कहा जा रहा है, ये अलग अलग घटक हैं। मैं कहना चाहता हूं, यह जनता पार्टी एक बगीचा है, जिसमें गुलाब है, चमेली है, जुही है। आप तो बंजर खेत हैं, जहां पर घास ही घास उगती है। जनता पार्टी में इस तरह की बातें होती हैं, जो जनतन्त्र में विश्वास करता है, वहां ऐसी बातें होती हैं। इससे जनता पार्टी के विघटन की आशा करना फिजूल है।

अन्त, में सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए और यह संकल्प व्यक्त करते हुए कि इस देश को, प्रदेश को हम और आगे प्रगति की ओर ले जाएंगे, इसके लिये जनता पार्टी अडिग है और उन लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी जो ऐसा सोच कर चलते हैं कि यह टूट जायेगो, मैं राज्यपाल महोदय

(श्री नवनीत पालीवाल)
के अभिभाषण का हार्दिक अनुमोदन और समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी के बगीचे में बबूल भी हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सदस्य को पता नहीं कि बबूल बगीचे में नहीं जंगल में होते हैं।

श्री सभापति : श्री शिवचरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरचन्द सिंह।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए जो समस्याएं हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री परसराम मदेरणा, जो विरोधी दल के नेता हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले किसानों के खातेदारी हकों के लिए संघर्षरत रहे लेकिन जब वह उपनिवेशन और राजस्व मंत्री बने तो उन्होंने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 ए को अमेन्ड करवा कर हजारों काश्तकारों को खातेदारी के हकों से महरूम कर दिया। उस सामन्ती युग में न केवल खातेदारी हक रखते थे बल्कि मौरूसी हक रखते थे। उनको गैर खातेदार काश्तकार की परिभाषा में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए आज राजस्थान का कृषक और समाज गैर खातेदार बन गया है····

श्री परसराम मदेरणा : यह टिनेन्सी एक्ट में अमेण्डमेण्ड 1962 का है। हमने कोई संशोधन नहीं किया है।

श्री हरचन्द सिंह : लेकिन आप राजस्व मन्त्री रहे। आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने ध्यान नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 35/45 की बात थी।

श्री हरचन्द सिंह : सुरजाराम बनाम राजस्थान सरकार के मामले में राजस्थान सरकार हार गयी तो उसके बाद आपने 15 ए को संविधान के नाइन्थ शिड्यूल में डलवाया।

श्री परसराम मदेरणा : पिछले दस वर्षों में इसमें कोई अमेण्डमेण्ट नहीं किया गया है। जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। धारा 15 ए में कोई अमेण्डमेण्ट नहीं हुआ है। यह मैं कह रहा हूं।

श्री हरचन्द सिंह : बराबर किसानों ने मांग की है लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। सारे किसानों के सामने विकट समस्या है। वह खातेदारी के हकूक से महरूम हो रहे हैं।

इसी तरह से कांग्रेस शासन में अकेले गंगानगर जिले में डिफेंस पर्पज के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। आज हजारों बेघरबार लोग पड़े हुए हैं जिनका अपना कोई रोजगार नहीं रह गया है। इसी तरह से राजस्थान कैनाल एरिया में सैंकड़ों गांव हैं, जो घग्घर कण्ट्रोल स्कीम ने एक्वायर कर लिये थे उनको भी आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। वह परेशान हैं अपने रोजगार से महरूम हो गये हैं। इसी प्रकार से जो पानी का डायवर्शन हुआ उससे सैंकड़ों गांव सबमर्ज हो गये। वह 10 सालों से रिफ्यूजी के माफिक पड़े हैं।

(श्री हरचन्द सिंह)

1963 से लगाकर देखा जाये कि किस प्रकार से किसानों के उपभोग की चीजों की कीमत बढ़ी हैं और किसानों के द्वारा उत्पादित चीजों की कीमत गिरी है। लेकिन लेवी वसूली में भोपालगढ़ में दो किसानों की हत्या कर दी। लेवी वसूल करने में गोलियां चलाई गईं। काश्तकारों पर डबल तरीके से जुल्म ढाया गया। काश्तकारों के उत्पादन की चीजों की कीमत नीचे गिरी। उनके उपयोग और उपभोग की चीजों की कीमत बढ़ी है। आपके कार्य-काल में सिंचाई के वाटर कोर्स की अवरिया रेट थोपी गई है। जिसमें एक मुरब्बा पर केवल 6 हजार रुपया खर्च आता है, आपके द्वारा दोनों ओर का डबल करके 21 हजार तक वसूल किया गया है। काश्तकार बार-बार आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं लेकिन कोई गौर नहीं किया गया है।

इस अभिभाषण में कहा गया है कि हम स्वच्छ और निष्पक्ष प्रशासन देंगे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राजस्थान में यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके 3 केडर हैं और जुडिशियल सर्विस के भी 3 केडर हैं। लेकिन उनके पे स्केल्स में अन्तर है। जुडिशियल सर्विसेज के पे स्केल्स बहुत लो हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता और दक्षता पर असर पड़ता है। वह हीनता की भावना से ग्रसित हैं। उनकी क्षमता पर असर पड़ता है। इसलिए जो पे स्केल हैं, वह एक होने चाहिए ताकि जो राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है, हम उसको पूरा कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, जो यहां पर दिया गया है, का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर विचार प्रकट करना चाहूंगा। भारतवर्ष में आजादी के बाद आज जिस प्रकार का वातावरण बना है, जिस प्रकार से पार्टियां गठित हुई हैं ऐसा बहुत पहले ही हो जाता तो सौभाग्य की बात होती। माननीय सदस्यों ने कहा है, चाहे वह पुराने सत्ताधारी हैं, जो यह शोषित जातियां हैं, वह उनके दबाव में हैं। जिस सिद्धान्त को लेकर यह जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। इतने दिनों तक मैं कांग्रेस के साथ रहा, मैं नहीं कहता कि उसके कार्यकाल में ज्यादतियां नहीं हुईं। निश्चित तौर से उसके कार्यकाल में भी ज्यादतियां हुईं, गलतियां हुईं और अगर उनकी गलतियां नहीं होतीं तो आज वे इस तरफ नहीं होते और उनकी यह हालत नहीं होती। दो साहबान, आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं वे भी कांग्रेस में बैठते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि गुणावगुणों के आधार पर उनका भी यही हाल होना है। इतना डाइरेक्ट चेन्ज हुआ है।

(श्री शिवचरण सिंह)

आपने अभिभाषण में यह लिखा है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने की बात भी कही है। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर मैं दो नमूने सदन के सामने रखना चाहता हूं–एक तो मेरे पास अखबार है और दूसरी बात सोसायटीज के सम्बन्ध में है। इस अखबार में जनता पार्टी के एक विधायक को सरकारी जीप का दुरुपयोग करते हुए बताया गया है। यह मैं एक नमूना आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा, मेरे पास एक आदेश की प्रतिलिपि है जिसमें यह लिखा गया है कि क्षेत्रीय विधायक की शिकायत के आधार पर निम्न स्थानान्तरण किये जाते हैं। यह दोनों चीजें, सभापति महोदय, मैं दिखा सकता हूं। यह तो ठीक है कि सत्ता पलटी है लेकिन अभी से यह हालत रही तो काम चलने वाला नहीं है। मैंने इनकी रीति नीति और कार्यप्रणाली को देखा है, इनके घोषणा-पत्र को भी देखा है।

श्री परसराम मदेरणा : इनके घोषणा पत्र को भी देखा और यह भी देखा।

श्री शिवचरण सिंह : इन्हीं को देखने के बाद मैं भ्रम में आया हूं। इन्होंने लिखा है, सबसे गरीब तथा पिछड़े हुए लोगों का जीवन स्तर तथा दर्जा ऊपर उठाने के काम को ही पार्टी प्राथमिकता देगी। मजदूरों को न्यायोचित हड़ताल करने की छूट, भोजन, पानी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबन्ध, गांव व शहरों के बीच असन्तुलन को दूर करना, ढाई हैक्टेयर तक का लगान माफ करना, मजदूरों को उचित वेतन तथा बोनस मिले; यह बातें कहीं हैं, साथ में भागीदारी की बात भी कही, बिक्री कर समाप्त करने की बात कही, गरीबों को घर दिलाये जायेंगे, अल्प-संख्यकों के हितों का संरक्षण करेंगे, पिछड़े वर्गों की शिक्षा तथा सम्पन्नता की दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों और गरीबों के बीच खाई न रहे, उनके लिए 25 से 30 पर्सेन्ट नौकरी सुरक्षित रहेगी। यह इनके घोषणा-पत्र का सार है। लेकिन, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ने के बाद मुझे इसमें दो बातें नजर आई हैं। एक बात तो यह है कि ढाई हैक्टेयर तक का रेवेन्यू माफ किया गया है दूसरी बात सागड़ी प्रथा के बारे में कही गई है कि वर्तमान सरकार सागड़ी प्रथा उन्मूलन कानून को पूरी तरह लागू करने के लिए कारगर कदम उठायेगी ताकि बन्धुआ श्रमिक प्रथा का अन्त हो सके। इन दो बातों का मैं स्वागत करता हूं। और कोई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव इसके अन्दर नहीं दिये गये हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इस पक्ष को सत्ता मिली है, लेकिन अगर इस प्रकार से इनका काम करने का तरीका रहा तो अच्छा नहीं होगा।

एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर है उसमें बड़ी भारी खामियां हैं, उनको अगर जारी रखा तो इनकी हालत भी कांग्रेस की जैसी ही होगी। कुछ लोगों ने सर्विसेज को क्रिटिसाइज किया है। आज अगर कोई कहता है कि अधिकारियों की गलती है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। सर्विसेज को और स्टाफ को डिमोरेलाइज करके कोई काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमको इस प्रकार से उनको डिमोरेलाइज करने का काम नहीं

(श्री शिवचरण सिंह)

करना चाहिए। हमारे यहां पर गवर्नमेण्ट का एक सिस्टम है, काम करने का तरीका है इसमें कर्मचारियों की संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इसका कारण भी मालूम करना चाहिए कि राज्य कर्मचारी भ्रष्ट क्यों होते हैं? इसका एक कारण पोलिटिशियन्स भी हैं और दूसरी बात सत्ता की चमक-दमक होती है। अगर प्रशासन में इन दो बातों का असर रहा तो निश्चित तरीके से सर्विसेज के अन्दर डिमोरैलाइजेशन आयेगा और आप जनता को जो स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं वह नहीं दे सकेंगे। होता क्या है, सर्विसेज के लोग ट्रान्सफर और पोस्टिंग आदि के लिये क्यों भागते हैं, यह आप देखें। आज मैं एक मंत्रीजी के घर गया था तो ट्रान्सफर कराने वालों की फौज लगी हुई थी और मंत्री जी को बात करने की फुरसत ही नहीं थी। आज हर कर्मचारी यह विचार रखता है कि अमुक जाति का मंत्री कौन है और उस तक ट्रान्सफर के मामले में किस प्रकार से एप्रोच करना है। अगर यही व्यवस्था जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस शासन से वार्ज में ली है, तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा निवेदन करना यह है कि सर्विसेज को इण्डिपेन्डेन्ट रखना चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए और उन्हें प्रमोशन के अवसर मिलने चाहिए, तभी आप जनता को स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं।

अब मैं आपको डवलपमेन्ट के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। आपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि ग्रामीण उद्योग धन्धों के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे। यह भी कहा कि टेक्नोक्रेट्स को भी रोजगार दिया जायगा। आज आपके ग्रामोद्योगों की क्या दशा है? मेरे क्षेत्र में दो सहकारी समितियां हैं, करौली खादी एवं ग्रामोद्योग सहकारी समिति और बयाना खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति। उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग लगे हुए हैं लेकिन सारी सोसायटी की बोडी को देखें तो उनमें संभ्रान्त परिवार के लोग हैं जो कताई और बुनाई करना नहीं जानते, उन्होंने कभी कताई-बुनाई नहीं देखी। इसीलिए नीचे तबके के लोग मरते जा रहे हैं और वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे क्षेत्र में एक सोसायटी है उसके अन्दर भी कताई और बुनाई का काम होता है। उसके अन्दर सभी एक ही जाति के लोग हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि सारे लोग अग्रवाल जाति के हैं। वे ही कताई-बुनाई करते हैं और वे ही सब्सिडी लेते हैं, सारी सुविधायें भी वही उठाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से व्यवस्था रह तो ग्रामोद्योगों से कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है और जो टेक्निकल लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, इन्जिनियर हैं, एम. ए. हैं, वह ग्रामोद्योगों में . . .

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

नहीं जाने वाले हैं।

सभापति महोदय, मुझे दस मिनट का समय मिला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दस मिनट हो चुके हैं।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे मेरे दल के हिसाब से समय मिलना चाहिए । थोड़ा सा समय और चाहता हूं मैं इनको भी कह रहा हूं और इनको भी । यह राजस्थान के हित की बातें है । इनको राज चलाना है, ये राज चला रहे हैं और...

एक माननीय सदस्य : इस सरकार का रजिस्ट्रेशन किसने किया ?

श्री टीकमचन्द कान्त : आप दुधारी तलवार चला रहे हैं ।

श्री शिवचरण सिंह : यह तो आपको मैंने दो नमूने बताये हैं । घर पर बुला लें तो बता दूंगा ।

सभापतिजी, कई पढ़े लिखे लड़के मेरे पास आए इस ग्रामोद्योग की ओर जनता पार्टी के रोजगार दिलाने के कार्य-क्रम की बात आई तो कहा, चलो हम और आप चलें, कताई बुनाई शुरू करें । कोई एम.ए. है, कोई इंजिनियर है, मेडि-कल ग्रेजुएट है लेकिन रोजगार मिलना पासिबल नहीं है । पढ़े-लिखे लोग इसमें लग जायं यह सम्भव नहीं है । इन उद्योग के माध्यम से रोजगार आज मिलने वाला नहीं है । मैं कृषि आधारित आदमी हूं । डेयरी विकास का काम है, फिशरीज और माइनिंग डवलपमेंट का काम है उसमें निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा । लेकिन जो माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनके पीछे 50–50 लोगों की भीड़ लगी हुई है, उनको रोजगार कहां से मिलेगा ? मेरे घर में कोई नौकरी नहीं करता लेकिन समस्या उन लोगों की है जिनके यहां क्यू लगी हुई है सिफारिशों की । मैं आपकी बीमारी का हल बता रहा हूं । डेयरी का विकास हो पूर्वी राजस्थान में डेयरी विकास का काम है, 4–5 डेयरियां हैं लेकिन आज तक डेयरी विकास का काम नहीं हुआ है । दूध उत्पादन बढ़ा लेकिन खरीददार नहीं है, भरतपुर व सवाई माधोपुर में खरीददार नहीं ।

जहां तक फिशरीज का सम्बन्ध है, राजस्थान में फिशरीज उद्योग का स्कोप है । 1964-65 में केवल 5।। लाख की आमदनी थी अब करीब 55 लाख आमदनी है, भारी स्कोप है लेकिन सारा प्लानिंग पोलि-टिकल होता है । यदि को-आर्डिनेटेड प्लान बने फिशरीज, सिंचाई और सोइल कन्जर्वेशन का तो अच्छा रहे । तब परिणाम आयेंगे । पूर्वी बेल्ट में जो आमदनी फिशरीज से होती है वह लैंड रैवेन्यू से नहीं । लेकिन बीमारी चलती है भ्रष्टाचार की । हमारे जिले में 3–4 जनों ने किसानों को पानी नहीं दिया है । हमारे यहां एक बांध है, वहां 12–13 गांव हैं जो इरिगेशन के कमाण्ड एरिया में हैं, वहां पानी नहीं दिया गया, पानी रोका गया केवल इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अलग–अलग हैं । किसी ने चिन्ता नहीं की कि उत्पादन बढ़ेगा, वाटर का यूटीलाइजेशन बढ़ेगा लेकिन फिशरीज के ठेकेदार जब आये तो पानी निकाल दिया । इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं जिनमें अनियमितता बरती गई है ।

फोरेस्ट्स के बारे में मेरा निवेदन है कि भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है ।

(श्री शिवचरण सिंह)

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जब भरतपुर आयीं तो उन्होंने कहा, यहां बहुत डिस्टबेंस है उसके बाद, वहां दीवार बनाने की योजना बनी। जितने पशुपालक और किसान थे उनका आना बंद कर दिया कि ये इधर से नहीं जायेंगे। तो आप किसानों पर दया करके इस फैसले को उल्टा कर दें। आज भरतपुर में हजारों आदमी अपना दूध बेच कर धंधा करते हैं वे परेशान हैं। हमारे यहां बढ़िया किस्म के जंगल थे वहां आज डिफोरेस्टेशन हो गया।

सभापति महोदय, पहले वाली सरकार में कुछ ऐब थे। प्लान और नॉन-प्लान के जरिए खर्च किया जाता था, उसमें बड़ा भारी रीजनल इम्बेलेंस था, सारा रुपया साउथ के अन्दर, उदयपुर डिविजन में जाता था और पूर्वी राजस्थान के पोटेंशियल जिलों को इग्नोर किया जाता था। चाहे माइनर इरिगेशन का प्रश्न हो प्लान और नॉन-प्लान में, चाहे रोड डवलपमेंट का प्रश्न हो, रेवेन्यू माफ़ करने की बात हो, सिंचाई चार्जेज की बात हो। मैं सत्ता-पक्ष को आगाह करना चाहता हूं इस प्रकार के रवैये की पुनरावृत्ति न हो। राजस्थान की जनता आभारी होगी यदि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए।

भरतपुर में ड्राई पोर्ट की बात चल रही है। किन्हीं कारणों से पैट्रोलियम रिफाइनरी मथुरा में लगी हुई है उसको राजस्थान में लगाने के लिए मौजूदा सरकार कोशिश करे। वह मथुरा से भरतपुर तो नहीं आएगी लेकिन उद्योग मंत्री इस बात को देखें और जो उस पर आधारित उद्योग हैं उनको पनपायें। यू. पी. सरकार ने कोशिश की है और मथुरा के आसपास पैट्रोलियम-रॉ-मेटीरियल्स पर आधारित उद्योग लगाए हैं, भरतपुर में भी ऐसा किया जा सकता है।

इसके अलावा जो राजनैतिक आधार पर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड जिले घोषित किए गए हैं उस पर पुनर्विचार करें। भरतपुर व सवाई माधोपुर को औद्योगिक रूप से बैकवर्ड घोषित करना चाहिए क्योंकि वहां पर कम्यूनिकेशन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, रॉ-मेटीरियल है।

अब शिक्षा मंत्री, जो बैठे हुए हैं, से निवेदन करूंगा। उन्होंने कहा है कि सब काम नियमों से करेंगे। कालेजों के लिए आपने निर्णय लिया है। एक्सपर्ट्स की कमेटियां बिठाई हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं उनका एग्जीक्यूशन किया है। हमारे इलाके में अधिकांश लोगों ने इस बात की तारीफ की है जो कालेजों के लिए पिछली सरकार निर्णय कर गई थी उनको जनता पार्टी की सरकार सुधार रही है। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं लेकिन स्कूलों के लिए ऐसा न हो कि ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य सारे स्कूल्स ले जायें, और बाकी दूसरे वंचित रह जायें। मंत्री-गण सारे स्कूल्स अपने क्षेत्रों में न बांटें।

श्री दाऊलाल जोशी : जब आप मंत्री थे, आपने अपने एरिया में काफी स्कूल खुलवाए। हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं।

श्री शिवचरण सिंह : मैं स्कूल्स खुलवाने की वकालत करने आया हूं। मैं अलग-अलग

(श्री शिवचरण मिश्र)

जगह से चुनाव लड़ता हूं। जहां बड़ा पहलवान होता है वहां से लड़ता हूं, कभी एक जगह से नहीं। स्कूल खुलवाने के लिए स्थगन-प्रस्ताव के माध्यम से जब निवेदन किया तो उस समय मौका नहीं मिला।

भरतपुर से हिंदू-मुस्लिम दंगों के बाद मुसलमान चले गए, वहां एक हजार वर्ष पुराना मीराना है। खसरा नम्बर बताता हूं। वक्फ मंत्री बैठे हैं 45 बीघा है। श्री नूर भाई और इन्सपेक्टर का नाम है स्वाओमल्ला, इन दोनों ने और कुछ लोगों ने सोसाइटी बनाई, सब लखपति हैं। वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और गरीब आदमियों ने कोशिश की, अस्पताल बने, कालेज बने, बस स्टैंड बने, किसी ने परवाह नहीं की लेकिन कुछ धनाढ्य लोग थे, उन्होंने एक फर्जी सोसाइटी बनाई, उसके बाद एन्क्रोचमेंट किया। 5160) सालाना 99 साल के लीज पर एक नए पैसे प्रति गज के हिसाब से जमीन ली जिसकी मार्केट वैल्यू 200) रु. प्रति गज है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस जमीन की कीमत क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस जमीन की कीमत है एक करोड़ रुपयें। तो मैं आपके सामने जो बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं वह पेश कर रहा हूं। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी रिपोर्ट भी हुई और मन्त्री स्तर पर आर्डर्स भी हो गये थे कि इसमें एनक्रोचमेंट हुआ है और यह भी इमर्जेन्सी के दौरान। यह एक ऐतिहासिक घटना है। इससे पब्लिक सेन्टीमेंट को बहुत ठेस लगी। पर, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय पर इसका पोलिटिकल प्रेशर पड़ा और ऐसी स्थिति हो गयी कि वह फाइल कहीं पर रुकवा दी। उस फाइल के बारे में मैंने भी बहुत कोशिश की पर मुझे वह फाइल कहीं भी नहीं मिली। मेरे पहले इस विधान सभा क्षेत्र से जो आते थे वह इस पक्ष में बैठे हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान इस केस के लिये दो लाख रुपये का चन्दा किया, सभापति महोदय, चन्दा लेने के बाद इस बात की गारन्टी दी गयी कि उस एनक्रोचमेंट को रेगुलेराइज कर दिया जायेगा। सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि यह एक धार्मिक प्रश्न है, मीराने का प्रश्न है। चुनावों के दौरान में पब्लिक कमिटमेंट किया था कि मैं इसके लिये आवाज उठाऊंगा। इसके अलावा, सभापति महोदय, जनता पार्टी अपने आपको धर्म निरपेक्ष पार्टी मानती है जिसने अपने चुनाव मेनीफेस्टो में धर्म निरपेक्ष होने का ढिंढोरा भी पीटा था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे कोई जाति का हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो जहां कहीं भी धार्मिक जमीन पर अगर कोई एनक्रोचमेंट हुआ हो तो उसे हटाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, एक समस्या मैं आपके सामने मेरे ही क्षेत्र की और निवेदन करना चाहूंगा। अभी तक तो, सभापति महोदय, मैंने इस पक्ष की कथा बांची है अब थोड़ा मैं उस पक्ष की भी कथा बांचूगा। नहीं तो वह पक्ष नाराज हो जायेगा। सभापति महो-

(श्री शिवचरण सिंह)

दय, हमारे इलाके के भूतपूर्व एम. एल. ए. हमारे यहां पर कृषि विपणन बोर्ड की कृषि उपज समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने बयाना क्षेत्र में एक कृषि भूमि खरीदी थी। वह जमीन, सभापति महोदय, एक मुसम्मात बीबलिया बेवा जवाहर बिरजी भगवानसिंह जाति माली निवासी कस्बा बयाना की थी। उस व्यक्ति की जमीन अब तो खरीद ली गयी, रजिस्ट्री हुई उस जमीन की एक लाख पांच हजार रुपये की पर उस गरीब को सिर्फ दिये गये साठ हजार रुपये ही। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो गया। इसकी जांच तुरन्त ही राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिये। उस गरीब को पूरे पैसे दिलाये जाने चाहिये। आप यह भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। जब तक आप इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी व्यक्तियों को दण्डित नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार आप कैसे मिटा पायेंगे? मेरा मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से सुझाव है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, दो मिनट में और लूंगा।

एक माननीय सदस्य : उस मन्डी समिति के चेयरमेन का नाम क्या है?

श्री शिवचरण सिंह : नाम तो मुझे पता नहीं पर आप जानते होंगे क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह सुझाव है कि शिक्षा का प्रचार शहरों के बजाय देहातों में अधिक होना चाहिये। सभापति महोदय, अभी तक तो शहरों में ही शिक्षा का विकास हुआ है। अब शहरों में देहात से वही बच्चे आ जा सकते हैं जो कि साधन संपन्न घर के हैं। इस कारण बेचारे गरीब लोगों के बच्चे देहात में अशिक्षित ही रह जाते हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह सुझाव है कि गांव में हर पांच मील पर एक स्कूल होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : मन्डी समिति बयाना के भूतपूर्व चेयरमेन कौन थे?

श्री शिवचरण सिंह : मैंने निवेदन किया कि मुझे उनके नाम का पता नहीं है। मैं इतनी डिटेल नहीं जानता हूं। मुझे तो जो चुनाव के दौरान में बताया गया वह आपके सामने बता दिया है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हर पांच मील के बाद स्कूल होना चाहिये। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं उनको स्कालरशिप दी जानी चाहिये जैसे कि दूसरे अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को दी जाती है। सभापति महोदय, ऐसा करने पर ही गांवों के गरीब लोगों के बच्चे पढ़ सकेंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं थोड़ा यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये रिजर्वेशन

(श्री शिवचरण सिंह)

पोस्ट्स के अन्दर रखा था उसी तरह के रिजर्वेशन आप बैकवर्ड क्लासेज के लिये रखें। ताकि उन लोगों के बच्चों को नौकरियों में लाभ मिल सके। सभापति महोदय, बैकवर्ड क्लासेज के लोग यू.पी. में उन लोगों को माना गया है जो लोग गुर्जर हैं, जाट हैं, धाकड़ हैं और वह लोग जो टिलर्स है उन्हें भी आप सुविधायें दें। जब जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ने के लिये गये तो आपने कई वायदे किये थे, आप उन्हें भूलें नहीं उन्हें आपको पूरा करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, थोड़ा और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : आपको काफी समय हो गया है। तीस मिनट होने को हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, बोलने दें, हमारे नेता हैं।

श्री दाऊलाल जोशी : यह आपके नेता कब से हो गये हैं ? आप भी इन्हें नेता मानते हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : आप भी मुझे नेता मान लो तो सुखी हो जाओगे।

इसके अलावा अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के बारे में किसी भी बात का उल्लेख नहीं है। जो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो लोग देश के लिए लड़ते हैं उनको आपने सबसे कम तनख्वाह रखी है। उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, वह होना चाहिये। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें।

इसी के साथ ही सदन जब चलता है तो विधान सभा के बाहर प्रहरी खड़े होते हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इन लोगों को सिर्फ चार रुपये रोज का ही भत्ता दिया जाता है। सभापति महोदय, आप सोचिये कि इन चार रुपये में यह प्रहरी बेचारे कैसे अपना गुजर यहां जयपुर में चला सकते हैं। इनका निर्वाह भत्ता बढ़ाया जाना चाहिये।

इसके बाद मैं उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जिन्हें इमर्जेन्सी के दौरान नौकरियों से निकाल दिया गया था। आज उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वापस नहीं लिया गया है। वह बेचारे यहां बैठे हैं। सभापति महोदय, जिनकी सिफारिश थी उन्हें तो वापस ले लिया गया लेकिन जिन लोगों की सिफारिश नहीं थी उन्हें नहीं लिया गया। सभापति महोदय, जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें राजस्थान सर्विस रूल्स की 242(2) धारा के तहत निकाला गया। सभापति महोदय, सन् 1974–75 में तो सिर्फ 150 व्यक्तियों को ही निकाला गया लेकिन सन 1975–76 में 3 हजार लोगों को नौकरी से निकाला गया। इन तीन हजार लोगों को जो रिटायर किया गया वह आफिसर की पर्सनल नोलेज के आधार पर निकाला गया था। जो भी आफिसर या कर्मचारी अपने आफिसर की जी हुजूरी

(श्री शिवचरण सिंह)

नहीं करते थे या खातिर तवाजह नहीं करते थे अच्छी तरह से, उनकी ही हालत खराब हुई। उन्हीं लोगों को पर्सनल प्रिजुडिस पर निकाला गया है। सभापति महोदय, मैं मंत्री रह चुका हूं। उस समय जब मैं दौरे पर गया था तब मैंने इन्सपेक्शन नोट एक जगह का लिखा। उसको सबमिट किया गया तो मुझे यह कहा गया कि आप यह क्या नयी बीमारी पैदा कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि इन्सपेक्शन के दौरान जिसने भी खातिर नहीं की उसके खिलाफ में आफिसर लोग लिख देते थे। यह सिर्फ खातिर तवाजह नहीं होने की वजह से लिखा जाता था। तो मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को पर्सनल प्रिजुडिसेज के आधार पर कम्पलसरी रिटायर किया गया उन सभी को बहाल किया जाय ताकि उन लोगों को राहत मिले।

इतना ही निवेदन करके मेरा निवेदन है कि जितनी मेरी औकात थी उतना मैंने निवेदन किया। जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर आप अमल करेंगे तो मैं आपका बहुत ही आभारी होऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय जरूर मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कई रोज से सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार यहां रखे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए पिछली सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण और उनकी मनमानियों के कारण जो जनता के ऊपर ज्यादतियां हुई हैं और उसके साथ ही साथ उनको काफी तंग किया है मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता यहां बड़े जोरों से बोले और बोलने के साथ ही साथ कुछ चार्जेज भी लगा रहे थे लेकिन वह स्पष्टीकरण नहीं कर रहे थे। मैं उनकी तरफ नहीं जाते हुए पूछना चाहूंगा, पिछली सरकार, जिसके अन्दर वह मिनिस्टर थे, ने क्या-क्या काम किये ? उनको सारा अनुभव है कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाना चाहिए और किस प्रकार से हो सकता है और अधिकारियों से किस प्रकार से बातचीत की जाती है, किस प्रकार से उनसे चौथ बटोरी जाती है, किस प्रकार से उनसे व्यवहार करके और किस प्रकार से चापलूस व्यक्तियों को साथ लेकर किस-किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है—इन बातों का सारा उनको अनुभव है।

माननीय सभापति महोदय, इनके साथ-साथ पिछली सरकार दुहाई देती थी कि हमने गरीबों को अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा ऊंचा उठाने के लिए, उनके रहने के लिए मकान, पीने के लिए पानी का इन्तजाम और स्कूलों की व्यवस्था की है।

(श्री श्रवण लाल)

यहां विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर इसके बारे में भाषण दिया करते थे। मैं उसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर विमुक्त जाति सेवा संघ के नाम से एक संस्था है। विमुक्त जाति सेवा संघ के नाम से जो संस्था है वह संस्था बांसवाड़ा के अन्दर है और राजस्थान के अन्दर अन्य जिलों में भी उसका कार्य चलता है। उसके अध्यक्ष भी हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे। इस संस्था के पास जो 25 बीघा जमीन थी उसके ऊपर मेरे से पूर्व वक्ता निगाह उठाकर देखें तो मालूम होगा कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री का उसमें बंगला बना हुआ है। जो सांसियों और गरीबों की जमीन है उस पर लाखों रुपयों की लागत का बंगला बना हुआ है। अनुदान के रूप में जो उस संस्था को पैसा मिलता था, उसमें उन्होंने और उनके बाद में जो उसके अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने भी लाखों रुपयों के घोटाले किये हैं। उन घोटालों के लिए जब महालेखापाल द्वारा रिपोर्ट दी गयी और लाखों रुपयों के घोटाले की बात आई तो उसकी जांच की गयी। जांच में जब तथ्य सामने आने लगे और पोलें खुलने लगीं तो उसको दबा दिया गया। सभापति महोदय, आज भी मैं मांग करता हूं अपनी जनता पार्टी की सरकार से कि जो भष्टाचार करने वाले थे उनको ढूंढ़ा जावे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि अब इन भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म किया जायेगा तब जाकर सारी बुराइयां खत्म होंगी। जो भ्रष्टाचार है यह बड़े आदमियों से पनपता है। उनको खोजकर घोटालों की जांच कराकर जब तक जनता के सामने नहीं रखेंगे तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकेंगे, फेल हो जायेंगे।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने काफी नारे लगाये, हम भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं। हमारी जो मौजूदा सरकार है उसने भी आने से पहले इस प्रकार की घोषणा की थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं और वह मेरा सुझाव यह है कि भ्रष्टाचार बड़े अधिकारियों के ट्रान्सफर से समाप्त नहीं हो सकता, उनको एक जिले से दूसरे जिले में लगाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठाने से हम समझें कि भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा तो वह खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जो आई. पी. एस. और आई. ए. एस. सर्विसेज के लोग हैं, मुख्य मंत्री जी चाहे रोज लिस्ट निकालें एक जिले से दूसरे जिले में और एक जगह से दूसरी जगह उनको बैठा दें लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उनका जो व्यवहार है और वातावरण है वह पिछले 30 सालों का बना हुआ है और वह कभी बदलने वाला नहीं है। उसके लिए मेरा सुझाव है कि जो आई. पी. एस. और आई. ए. एस. के मौजूदा अधिकारी हैं उनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजा जाये और दूसरे स्टेट के हमारे यहां रखे जायें। इससे न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री श्रवण लाल)

आज ट्रान्सफर वगैरह के लिए मंत्री महोदय के पीछे अनेक व्यक्ति लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बिजली मंत्री बन गये और बनने के साथ-साथ उन्होंने अपना कार्य-भार संभाल लिया। बिजली बोर्ड के नये चेयरमैन भी बन गये। लेकिन पूछें, वह कौन हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि लाखों रुपयों की चौथ ली जा रही है और इसलिए ली जा रही है कि प्रमोशन हो रहे हैं वहां इल्लीगल प्रमोशन दिये जायेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है। उन प्रमोशन्स में 6–6 हजार और 10–10 हजार की रकम ली जा रही है····

श्री सम्पतराम : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि कौन ले रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : चेयरमैन, बिजली बोर्ड।

श्री श्रवणलाल : माननीय सभापति महोदय, मेरी जानकारी में कल इस प्रकार की बात आई है। चेयरमैन जो इस समय मौजूद हैं वह नये आये हुए हैं। उनकी नालेज में नहीं है कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है····

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति जी, अगर माननीय सदस्य यह बता देंगे तो मैं सक्षम से सक्षम और ईमानदार से ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति कर दूंगा और गलती होगी तो दण्डित भी करूंगा।

श्री श्रवणलाल : माननीय सभापति महोदय,···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समय हो गया, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : मुझे बहुत कुछ कहना है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : समय हो गया। 12 मिनट हो गये।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इसके लिए आश्वासन दिया, मुझे बहुत खुशी है।

इसके साथ ही साथ में पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपातकाल के 19 महीनों में जिन्होंने जनता के ऊपर सख्ती से डंडे बरसाये उन्होंने लोगों को जाकर पीटा है, उनसे चौथ भी वसूल की गयी है और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं बनाया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : दो मिनट ज्यादा हो गये, माननीय सदस्य। 13 आदमियों को और बोलना है, आप बिराजिये।

श्री श्रवणलाल : वह ठीक है। मैंने आग्रह भी इसीलिये नहीं किया। चार दिन के बाद बोल रहा हूं।

श्री सभापति : 13 आदमियों को और बोलना है इसलिये आप विराज जायें।

श्री श्रवणलाल : ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल पांच मिनट लूंगा।

श्री सभापति : आप विराजें, इस समय कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : आपने जो आदेश दिये हैं वह मैं शिरोधार्य करता हूं लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा समय नहीं लूंगा। केवल पांच, मिनट।

श्री सभापति : आप बिराजें। मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा।

श्री श्रवणलाल : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री सभापति : मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री श्रवणलाल : दो मिनट का समय दें।

श्री सभापति : दो मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री श्रवणलाल : माननीय सभापति महोदय, तो मैं यह कहने जा रहा था कि पुलिस अधिकारियों ने जिस तरह के अत्याचार किये हैं उन अत्याचार करने वालों के प्रमोशन हो रहे हैं। जनता के ऊपर डंडे जिसने ज्यादा बरसाये, उनका प्रमोशन हो रहा है। आज ईमानदार व्यक्ति, जो पुलिस के अन्दर अच्छे व्यक्ति हैं, उनको पीछे करके, जिन्होंने ज्यादा अत्याचार किये हैं उनको आगे लाकर उनका प्रमोशन हो रहा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि...

एक माननीय सदस्य : नाम बताइये।

श्री श्रवणलाल : आप मुझसे पूछ लीजिये, मैं बताऊंगा। अभी समय नहीं है। सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा इसको रोका जाये।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, एक मसला आपके सामने और रखना चाहूंगा और वह है 1।। करोड़ रुपये का। माननीय सभापति महोदय, जयपुर स्पिनिंग मिल है। उस मिल के अन्दर शुरू से लेकर अब तक घाटा चला आ रहा है। उस मिल को आपातकालीन स्थिति के अन्दर 1।। करोड़ रुपया और दिया गया। वह 1।। करोड़ रुपया किसलिये दिया गया? उसको बैंक ऑफ इण्डिया की ओर से 1।। करोड़ रुपया दिया गया क्योंकि राजस्थान के संजय गांधी श्री जनार्दनसिंह गहलोत इन्ट्रेस्टेड थे। 1।। करोड़ रुपया मिलने के बाद जल्दी ही कुछ खर्च हो गया और कुछ रुपया चन्दे में चला गया। इसलिये यह सोचा कि उसका कैसे एडजस्टमेंट बैठाया जाये। बाद में इस प्रकार से एडजेस्टमेंट बैठाया गया। उस बैंक के अन्दर जो कर्मचारी थे उन्होंने इन्कार किया था कि हम किसी कीमत पर नहीं दे सकते तो वित्त मंत्रालय के द्वारा उस सारे केस को डील किया गया और डील करने के बाद में यह स्थिति रही कि 1।। करोड़ रुपया, जो इनको मिला था, उसी समय खर्च किया गया उसके

(श्री श्रवण लाल)

बाद अब वसूल करने की नौबत आई है । क्योंकि समय का अभाव है मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता लेकिन आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : 111 करोड़ का घोटाला है।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री) : सभापति जी, माननीय गवर्नर साहब के अभिभाषण पर पिछले कई दिनों से इस सदन में वाद-विवाद चल रहा है। काफी लम्बे चौड़े पैमाने पर दोनों पक्षों की तरफ से राजनैतिक पहलुओं पर भी काफी विचार किया गया है। मैं इस पहलू पर ज्यादा जाना जरूरी नहीं समझता क्योंकि यह विषय काफी वादविवाद का हो चुका है । काफी बातें कहीं जा चुकी हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, वे भी प्रकाश डालेंगे।

देश में 30 वर्षों के बाद जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ उसके बाद संसार को भी कुछ सोचने का मौका मिला और देश को सोचने का मौका मिला कि नई व्यवस्था देश में कायम की जाये । जनता की आशायें और आकांक्षायें बहुत बड़ी हैं। मेरी मान्यता यह है कि गवर्नर साहब के भाषण में किसी न किसी रूप में हर मुद्दे पर चर्चा है । उसके बावजूद भी अगर विरोधी पक्ष में बैठे हुए कुछ माननीय सदस्य उसको सही रूप में नहीं ले सके हों या सही रूपांतर नहीं कर सके हों तो यह दुर्भाग्य की बात है।

किसानों की समस्याओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जमीन के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान में कायदे कानून बने हुए हैं। यह बात हमेशा सरकार की तरफ से भाषणों में, असेम्बली में कही जाती रही है कि गरीब, कमजोर वर्ग, हरिजन, आदिवासी और खेतिहर मजदूर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस जमीन पर आबाद किया जाये और उनको जमीन दी जाये...

(3.10 म. प.)

(श्री फतह सिंह, सभापति, पीठासीन)

जहां इस बात की शुरूआत की गई वहां दूसरी तरफ ऐसे काम किये गये जिससे यह काम सफल न होकर असफल रहा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। गांव में सरकारी जमीन पड़ी हुई होती है । उस पर जबरन कब्जा कौन करता है ? जो वहां शक्तिशाली तबका है वह जबरन कब्जा करता है, जिसकी गांव में तादाद बहुत ज्यादा हो, जबरन कब्जा वह करता है, जो प्रशासन को भ्रष्ट करने की शक्ति रखता हो, जो अपने में कुछ ताकत रखता हो, जबरन कब्जा वह भी करता है और जिसके पास राजनैतिक शक्ति है वह भी जबरन कब्जा करता है । पिछली सरकार उसको रेगुलराइज करती चली गई। उनमें कार्यवाही करने की व्यवस्था है। सजा तक की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जबरन कब्जा करने वाले को दण्ड देते हैं इसको मानते हैं लेकिन जिस जमीन की कस्टोडियन सरकार होती है उसका प्रतिनिधि पटवारी होता है, तहसीलदार होता

(श्री सम्पतराम)

है, एस. डी. श्रो. होता है तो क्या सदन इस बात से सहमत नहीं है कि किसी न किसी रूप में उनका भी इन्वाल्वमेंट होता है। उनके इन्वाल्वमेंट के बिना कब्जा नहीं होता। उन दोषी व्यक्तियों को भी दण्ड मिलना चाहिये। सबसे पहिले सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जबरन कब्जा करने वाला तो दोषी है ही लेकिन उससे कम दोषी वह अधिकारी नहीं है जिसने जबरन कब्जा करवाया है।

इसके अलावा शहरों में, गांवों में आम तौर से आप देखते हैं कि जो प्राकृतिक प्रकोप है वह आम तौर से किस पर आता है? समाज के गरीब तबके पर इसका असर पड़ता है। आप देखेंगे और यकीन करेंगे कि आम तौर से गरीब आदमी का छप्पर गिर जाता है, अमीर आदमियों के महलों को नुकसान नहीं होता है। उसको आबाद करने का सवाल पहले आया, कोशिश को गई और सब कुछ करने की कोशिश की गई लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं जिस कमजोर वर्ग के गरीब लोगों को जमीन दी है वह 80 प्रतिशत ऐसी जमीन दो है जिस पर न वह बस सकता है और न ही खेती कर सकता है। इससे बड़ी गलती और है हरिजन और आदिवासियों के मसले को हल करने की। चाहे यह सरकार हो और चाहे पिछली सरकार हो मुझे लगता है जब तक राज्य स्तर पर इसकी कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

आप जानते हैं चुनाव कैसे होते हैं? कहीं जातिवाद पर चुनाव होते हैं, कहीं वंश परम्परा के आधार पर चुनाव होते हैं। हमने काफी कोशिश की कि हम आबादी के इस मसले को हल करें लेकिन हम हल नहीं कर सके। मैंने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की और हम आगे भी कोशिश करेंगे, इस मसले को चाहे थोड़े प्रतिशत में ही कर सकें लेकिन करेंगे और उन लोगों को वहीं बसायेंगे जहां बसाने की उनको जरूरत होगी और जहां वे अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। नारे लगाने की जरूरत इसमें नहीं है।

हमने पहले यह फैसला किया कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं में जो कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों में हरिजन और आदिवासी आबाद होते हैं। जब मैं इन शब्दों का उपयोग करता हूं तो देश की भावना को लेता हूं। राजनैतिक तौर से, सामाजिक तौर से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के नाते इनको कुछ रियायतें दीं, कुछ सहूलियतें दीं। सरकार ने प्रथम बार यह निर्णय लिया कि वे पंचायतें और नगरपालिकायें अगर खर्चा बर्दाश्त करने को तैयार होंगी तो राजस्थान सरकार निश्चित रूप से उनके मोहल्लों में अधिक सुविधायें देने की कोशिश करेगी।

समय बहुत कम है, कहने को तो बहुत सी बातें है मगर, सभापति जी, इस समय राजस्थान के अन्दर वर्षा अधिक हुई और इस वर्षा के कारण बहुत सी दिक्कतें पैदा हो गईं। किसान समाज की बुनियाद हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन समाज की बुनियाद है। सारे विकास के कार्य उस पर आधारित होते हैं। आज अगर खेती फेल

(श्री सम्पत राम)

होती है तो सारा इधर उधर हो जाता है, हमारे जो औद्योगिक संस्थान हैं वे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। निश्चित ही ज्यादा वर्षा हुई है। एवरेज से ज्यादा वर्षा सब जगह हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि गरीब आदमियों के मकान गिरे, गरीब आदमियों के कच्चे झोंपड़े गिरे, गरीब आदमियों के कुओं का नुकसान हुआ और कहीं कहीं आदमी भी इधर उधर हुये हैं। इस बात की चर्चा विधान सभा में भी हुई है और काफी चिन्ता माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है। उस चिन्ता के समाधान के लिए ही हमने सभी जिलाधीशों को आदेश दे दिया है कि टॉप प्रायोरिटी के आधार पर इस विषय को लें। इस रूप में उन्होंने इस ओर काम भी किया है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, इससे पहले अगर किसी भी आदमी का मकान फ्लड से गिर जाता था तो उसको अधिक से अधिक 100) रु. दिये जाते थे। आज की सरकार ने उसे बढ़ाकर 300) रु. कर दिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक जानकारी चाहता हूं, सभापति महोदय, Flood includes damages by heavy rains only but...

श्री सभापति : यह अलग बात है।

श्री सम्पतराम : I cannot be forced to give any reply.

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य!

(विराम)

माननीय सदस्य। पहले वक्तव्य पूरा होने दें।

श्री सम्पतराम : सभापति जी, जो फ्लड का पैसा है इसमें भारत सरकार का पैसा भी शामिल होता है। समय समय पर उन्होंने यहां के कार्यकलापों को देखा है और सहायता दी है। इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व भारत सरकार को विश्वास में लेना पड़ता है। इसका मूल कारण यह है कि भारत सरकार से पैसा मिलता है। माननीय सदस्य की जो भावना है उससे सहमत भी होऊंगा लेकिन इस मसले को भारत सरकार के पास ले जाना पड़ेगा। तो जो आंशिक रूप से मकान गिरते थे उसके लिए 25 से लेकर 50 रुपये अब तक मिलते थे। इसे बढ़ा कर हमने 25 से 100 रु. तक कर दिया। इस सहायता के लिये मिनिस्टर तक आने की जरूरत नहीं है। हमने रिलीफ कमिश्नर को यह आदेश दे दिये हैं कि जहां कहीं से भी इस प्रकार की इत्तला आती है तो जो तय किया हुआ मापदण्ड है उसके अनुसार सहायता दे दी जाय।

राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। राजस्थान में रबी की फसल इतनी नहीं होती है जितनी खरीफ की फसल होती है। हमारा बहुत लम्बा चौड़ा प्रान्त है—जोधपुर, बीकानेर, जयपुर जो बड़े-बड़े डिविजन हैं इनमें जमीन काफी है लेकिन रेगिस्तानी इलाका भी है इसलिये खरीफ की फसल के यहां अच्छे आसार रहते हैं।

आज जो कातरे की सूचना मिली है। आंशिक रूप से कातरे से नुकसान हुआ है

(श्री सम्पत राम)

और सरकार ने बड़ी गंभीरता से इस पर विचार किया है। 1975-76 में पिछली सरकार ने शायद सब्सिडी देना बन्द कर दिया था। हमने पुन: इस पर विचार किया है और मैं यह मानकर चलता हूं कि आम तौर से गांवों में रहने वाले किसान गरीब हैं, वैसे कुछ साधन सम्पन्न भी हो सकते हैं, तो साधन सम्पन्न लोग अपना उपाय स्वयं भी कर लेंगे लेकिन गरीब किसान अपना स्वयं का कोई उपाय धनाभाव के कारण नहीं कर सकता है। हमने यह डिक्लेयर किया है जो दवाई होगी उसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी देंगे। इसके अलावा जो माननीय सदस्य ने अतिवृष्टि के बारे में बताया है, उसमें तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। इसके बाद हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी भी सब्सिडी हो। सब्सिडी अब तक दी भी है। इसको सम्भालने की और कोशिश करेंगे। अतिवृष्टि के कारण किसान बरबाद हुआ है। किसान की पैदावार नहीं होगी तो मण्डी में क्या जायगा और जब मण्डी में नहीं जायगा तो पैदावार करने के लिये पैसा कहां से आयेगा। इसलिये इस फसल की बुआई के लिये रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो हम सहायता भी करने को तैयार रहेंगे और आम तौर से तकावी के रूप में सहायता देंगे।

अब बिजली के बारे में इधर से और उधर से दोनों तरफ से कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायतें की हैं, कुछ दलीलें भी पेश की हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम बिजली बेचते हैं और उसको खरीदता है इन्डस्ट्रियलिस्ट या किसान। सरकार को सही मायने में एक सेल्समैन का पार्ट अदा करना पड़ता है। हम बिजली बेचते हैं तो सही मायने में वे भी अपना फर्ज अदा करें। मेरे पास बिलों की शिकायत आई है और बहुत बड़ी भारी संख्या में शिकायत आई है। मैंने सदन में भी दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सुना, गलत बिल क्यों होते हैं, क्या मीटर की खराबी से होते हैं या अन्य कारणों से होते हैं। मैं समझता हूं इसमें कंज्यूमर की भी गलती है। मीटर हम कितने ही कामयाब कर दें लेकिन इनको चैक करना कठिन है। किसानों को सहायता देने के लिये चाहे अलग से टीम बनानी पड़े तो बनायेंगे, किसी सुपरविजन की गलती से किसान बरबाद होता है तो उसको बचाने की कोशिश भी की जायगी। सभी जगह हम इसके बारे में जागरूक हैं।

जहां तक मिनिमम चार्जेज का प्रश्न है आम तौर से यह बात आई है और शायद हमने घोषणा-पत्र में भी जिक्र किया है। यह समूचा मामला मंत्रिमण्डल के सामने विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि चन्द समय के अंदर ही हम कोई न कोई निर्णय लेंगे जो कि आप लोगों को ज्ञात हो जायगा।

इसके अलावा जहां पर बिजली नहीं गई है उसके बारे में माननीय सदस्यों की उचित व्यथा है और हमको भी इसकी चिंता है। आम तौर से स्कीमें बनती हैं। हमारा प्रान्त इस प्रकार का है जिसमें एरिया बहुत है, पापूलेशन स्केटर्ड है। इस समय आम तौर पर हरियाणा का उदाहरण दिया

(श्री सम्पत राम)

जाता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सूबा हमारे जयपुर जिले के बराबर है। जोधपुर से जैसलमेर तक बिजली ले जायं तो बहुत बड़ा खर्चा होगा। हम इस दिशा में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि सिंचाई के साधनों के लिए और दूसरे कामों के लिए जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचे।

इरिगेशन के मामले में भी जितने प्रोडक्शन के साधन हैं उनको एक्सप्लोर करें। हमारे इण्टर स्टेट झगड़े हैं। मैंने आज तक सारे मामलों को अच्छी तरह से समझा भी नहीं है। सरकार समझने की कोशिश करेगी और इण्टर स्टेट मामले चाहे वह गंगानगर जिले से ताल्लुक रखते हों, चाहे सीकर और झुंझुनूं से ताल्लुक रखते हों, इन सब मामलों को टाप प्रायोरिटी देकर हम भारत सरकार से बात करेंगे, सम्बन्धित सूबों से भी बात करेंगे और इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे।

इसके साथ जो पिछले दिनों में जबरदस्त गलती हुई है वह यह है कि हम नए बांध बनाने की तो कोशिश करते रहे हैं लेकिन जो बांध मुद्दत से बने हुए हैं जिनमें रेत और पानी भर गया है, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई है और बांधों का परिणाम यह हुआ है कि जो नजदीक में कुए थे उनका वाटर लेवल नीचे चला गया है, काफी पानी उनमें नहीं रहता है इसलिए उन बांधों को ठीक करके सिंचाई के साधन बढ़ाए जायं। इस दिशा में भी सरकार गौर करेगी और जितना जल्दी हो सकेगा ठीक करने की कोशिश करेगी बशर्ते कि पैसा कितना अवेलेबल होता है।

इसके बाद और भी बहुत सी बातें रखी गई हैं। हर बात में गवर्नर साहब के भाषण का रेफरेंस दे दिया गया है। इसको आप स्वयं जानते हैं, अनुभव है आप सबका कि जब बजट आएगा उस समय हमने जो कमिटमेंट किए हैं उनका रिफ्लेक्शन हमारे बजट में आयेगा इसलिए मैं कहता हूं कि कहने का और करने का फर्क है। बजट के समय आप देखेंगे कि हम कितनी बातों को इनकोरपोरेट करते हैं और कितनी बातों को इनकोरपोरेट नहीं करते हैं। मुझे इतनी ही बात सदन के सामने कहनी है। इसके बाद में अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसके बाद हमारे मुख्य मंत्री जी बोलेंगे वह सारे मसलों पर प्रकाश डालेंगे और आपको बतायेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने नौ जिलों की बात कही है जहां पर कातरे का प्रकोप है। क्या आप बतायेंगे कि वह नौ जिले कौन–कौन से हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : झुंझुनूं तो है उसमें, सीकर भी है।

श्री सम्पतराम : चूरू, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर और जालोर–ये नौ जिले हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें बांसवाड़ा क्यों नहीं आया ? बांसवाड़ा में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बारिश की नहीं, कातरे की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो फ्लड से क्षतिग्रस्त घरों के लिए अनुदान आप सौ रुपये से बढ़ा कर तीन सौ रुपये देने जा रहे हैं वह नेचुरल कैलेमिटी फण्ड से दे रहे हैं या कंसोलिडेटेड फण्ड आफ स्टेट से दे रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : इसमें 1.9 करोड़ का प्रावधान फ्लड के लिए है....

श्री परसराम मदेरणा : नेचुरल कैलेमिटी फण्ड को, जिस 10.19 की आप बात कर रहे हैं जब स्टेट के साउण्ड फाइनेंसेज थे वह राशि 20 करोड़ 38 लाख थी। आपको उसके लिए भारत सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता है या स्वयं खर्च कर सकते हैं भारत सरकार की इजाजत के बिना ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार ने खर्चा करने के लिए नोर्म तय कर रखे हैं और वह नोर्म्स आपकी सरकार ने तय किए थे।

श्री परसराम मदेरणा : उन नोर्म्स में डेढ़ सौ रुपये का अनुदान, जिसका फ्लड से मकान गिर जाय, उसको देने का प्रावधान है। यह नोर्म्स सेंक्शंड हैं भारत सरकार से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा है।

श्री परसराम मदेरणा : वह अनुदान है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अनुदान ऐसा है जिसमें पिछले साल तक सौ रुपया था....

श्री परसराम मदेरणा : डेढ़ सौ रुपये था। आपकी जानकारी सही नहीं है। पहले हम भी तीन सौ रुपये दे रहे थे लेकिन भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी इसलिए इसको रिड्यूस करके डेढ़ सौ रुपया किया गया। आपने भारत सरकार से इसकी अनुमति ले ली है या नहीं ? कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में हानि उठानी पड़े।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें हानि होने का सवाल पैदा नहीं होगा। हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह है कि आज जनता को यह समझाना कठिन है कि यह मकान बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है या फ्लड से क्षतिग्रस्त हुआ है। जनता को यह समझाना कठिन है कि यह मकान फ्लड से टूटा है या अधिक बरसात के कारण। जो नोर्म्स दिए हैं उसमें आपकी ही सरकार द्वारा वर्ड 'फ्लड' दिया हुआ है। अब फ्लड से नहीं अधिक बरसात के कारण लोगों के मकान टूट जाते हैं तो उन टूटे हुए मकानों को बनाने में सौ रुपये की सहायता से कुछ भी नहीं होता है। उनको किसी प्रकार से राहत मिले इसलिए तीन सौ रुपया रखा है। हम भारत सरकार को यह भी लिख रहे हैं कि अधिक बरसात के कारण मकान टूटे हैं उस पर भी सहायता देने की अनुमति दी जाय।

श्री परसराम मदेरणा : फ्लो आफ वाटर से जो मकान क्षतिग्रस्त हों उसको वे नहीं मानते हैं। वास्तव में एक्सेस रेन्स से मकान पूरा का पूरा गिर जाता है तो वह गरीब आदमी अपने मकान का कुछ निर्माण कर सके इसके लिये मैं समझता हूं कि आप अपने गुड आफिसेज को यूज करके जनता

(श्री परसराम मदेरणा)
सरकार, जो केन्द्र में बैठी है, से यह गलत नौर्म जो तय हुआ है उसको निश्चित रूप से सही करायें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह सही है कि यह नौर्म पिछली सरकार का तय किया हुआ है और उसमें आप भी शामिल थे। इसलिए मैं समझता हूं कि सारा इल्जाम हम पर नहीं लगायेंगे, हम लोग तो अभी आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : सहयोग के लिए तो मैंने पहले ही आपको आश्वासन दिया था जब आप अनुपस्थित थे सदन में। भारत सरकार से जो सहायता मिलती है, उसके बारे में मैं खुद भी लड़ता रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि मकान गिरने पर डेढ़ सौ रुपये के बजाय तीन सौ रुपये दिए जाने चाहिए। आज प्राइसेज बढ़ गई हैं और रुपये की वेल्यू कम हो गई है उसमें सौ, डेढ़ सौ रुपये से तो झोंपड़ा भी खड़ा नहीं कर सकता कोई। एक झोंपड़े की कीमत भी एक हजार हो जाती है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय मुख्य मंत्रीजी, अभी माननीय मंत्री ने घोषणा की थी कि तीन सौ रुपये के लिए हम भारत सरकार को लिखेंगे और वह मान लेंगे। आपने यहां पर घोषणा तो कर दी कि हम तीन सौ रुपये देंगे, इससे जनता को यह विश्वास हो जायगा कि तीन सौ रुपये मिलेंगे। अब अगर भारत सरकार ने जैसे पहले मना कर दिया था, फिर मना कर दिया तो डेढ़ सौ रुपये तो उस फण्ड में से मिल जायेंगे लेकिन बाकी के डेढ़ सौ रुपये क्या राज्य सरकार अपने कंसोलिडेटेड फण्ड में से देगी ? इसकी तसल्ली हो जाय ताकि हम भी जनता को कह सकें कि तुम्हें तीन सौ रुपये मिलेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाद में जाकर कहीं रिकवरी नहीं हो।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, इस वर्ष के लिए तो मैं उनको जानकारी दे दूं कि इस तरह से जिनके मकान गिरे हैं उनको रुपया दे भी दिया गया है। अगर भारत सरकार नामंजूर करेगी तो फिर हम विचारेंगे। इस साल जहां भी नुकसान हुआ है तीन सौ रुपया दे दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी मंशा यह तो नहीं है कि भारत सरकार को पहले से ही आगाह कर दिया जावे कि वह तीन सौ रुपये मंजूर नहीं करे ?

श्री मथुरादास माथुर : भारत सरकार तो आपकी है। पापुलेरिटी लेने का इरादा तो आपका नहीं है ? यह रुपया कहीं दिया ही नहीं हो, यही हमारी शंका है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : रुपया दे दिया है।

श्री सभापति : वाद-विवाद जारी रहेगा। माननीय श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय माणकचन्द जी सुराणा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है,

(श्री जीतमल जैन)

उसका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

आपातकाल और उसके अन्दर हुई ज्यादतियों का जिक्र इस सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों की ओर से किया गया है और प्रतिपक्ष की ओर से यह कहा गया कि इन ज्यादतियों का जिक्र बार-बार करना उचित नहीं है। इसकी सजा जनता ने हमको दे दी है। मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाला इतिहास जब लिखा जायगा तो आज ही नहीं आने वाली पीढ़ियां इनके कृत्यों के लिए इनके मुंह पर कालिख पोतती रहेंगी। आज वर्षों के बाद भी रावण, हिरण्यकश्यप और तैमूरलंग की याद को नहीं भुलाया जा सकता है। उनके काले कारनामों की आज भी निन्दा की जाती है। इस आपातकालीन स्थिति के अन्दर जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं उनको हम कभी नहीं भुला सकेंगे और आने वाली पीढ़ियां बराबर इनको धिक्कारती रहेंगी।

आपातकाल की चर्चा हुई है इसलिए मैं जो एक घटना अलवर जिले के अन्दर हुई है, उसका विशेष रूप से वर्णन करना आवश्यक समझता हूं। अलवर जिले के भूतपूर्व महाराजा के सुपुत्र प्रतापसिंह की जिस रहस्यमय तरीके से हत्या की गई, वह रहस्य आज भी वहां की जनता में बना हुआ है आया उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की है? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। उनके साथ, सरकार का जमीन का मामला, झगड़ा चल रहा था। कोर्ट में भी मामले चल रहे थे लेकिन सरकार ने आपातकालीन स्थिति का फायदा उठा कर, उनके मकान को घेर लिया और रात दिन पुलिस के सिपाही उनके मकान को घेरे रहे। उनके रसद का जो रास्ता था, उसको बंद कर दिया गया। जो रसद पहुँचाने वाले थे, उनको जेलों में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, उनका जो टेलिफोन का कनेक्शन था, उसको भी नाजायज तरीके से काट दिया गया, जब कि किसी प्रकार का पेमेन्ट बाकी नहीं था। बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया। उनके जो 300-350 नौकर थे उनको भी मजबूर किया गया। इन परिस्थितियों में उन्होंने आत्म हत्या कर ली। इस प्रकार सरकार ने उनको आत्म हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार ने इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दीं कि उनको मजबूर होना पड़ा। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने चुनावों के दौरान अलवर की आम सभा में यह घोषणा की थी कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद महाराजकुमार की हत्या की जांच करवाई जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब जनता पार्टी की सरकार बन गयी है इसलिए इस रहस्यमय हत्या का पर्दा अब उठना चाहिये। इसकी जांच करवाई जानी चाहिये और जिन-जिन अधिकारियों, पोलिटिकल लोगों ने उन पर प्रेशर डाला था, उन पर मुकदमे चलाये जायं और उनको दंडित किया जाये।

सभापति जी, प्रतिपक्ष की ओर से ऐसा कहा जाता है कि 30 वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा विकास के कार्य भी किये गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विकास

(श्री मीठालाल जैन)

के कार्य हुए हैं। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या दूसरी, विकास के कार्य होते ही रहेंगे। अंग्रेजों के शासन काल में भी विकास के कार्य हमारे यहां पर हुए थे। देश में रेलें चली थीं देश में कपड़े की मिलें लगी थीं। चीनी के कारखाने लगे थे। तो विकास के काम तो चलते रहेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि इस जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, सरकार के खजाने में आता है, उसका जो एक-एक पैसा गरीब जनता के नाम पर खर्च किया गया है, उसका लाभ गरीब जनता को मिला है या नहीं? स्थिति यह है कि राजकोष का 25 प्रतिशत पैसा तो जनता की भलाई के लिए लगा और 75 फीसदी पैसा दूसरे लोगों की जेबों में चला गया। इससे राजस्थान की जनता को, देश की जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। विकास के कार्यों को भुलाया नहीं जाना चाहिये, यह ठीक है। लेकिन मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि विकास कर के ही वोट नहीं मिलता है। जनता के अन्दर केवल विकास से ही लोकप्रियता नहीं बढ़ती है। हरियाणा जैसे छोटे प्रान्त में विकास के काफी कार्य हुए हैं। लेकिन लोगों ने स्वतन्त्रता के लिए रोटी का त्याग किया है। आपात काल के अन्दर स्वतन्त्रता का गला घोंट दिया गया था। प्रेस सेंसरशिप लागू की गई। चारों ओर भय का आतंक था। बाद में चुनावों की घोषणा हुई और लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि रोटी से अधिक स्वतन्त्रता उनको प्रिय है। इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस के लोगों को प्रतिपक्ष में बैठना पड़ा है।

माननीय सभापति जी, प्रतिपक्ष का यह भी कहना है कि जनता सरकार के आने के बाद कोई उपलब्धि नहीं हुई है। इस छोटे से काल में आप क्या उपलब्धि देखना चाहते हैं? आंख बंद कर कल्पना के लोक में विचरण करना चाहें, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। वास्तव में, देश के अन्दर जो भय का वातावरण बनाया गया था, वह आज दूर हो गया है। लोग निर्भीक रूप से अपनी बात बड़े से बड़े अधिकारी के पास पहुंच कर कहने की स्थिति में हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि जो भय का वातावरण पैदा हो गया था, वह दूर हो गया है। इसके बाद सेंसरशिप को हटाया गया है। रेडियो, टेलिविजन पर पहली बार यह स्वस्थ परम्परा डाली गयी है कि विरोधी पक्ष के लोगों को भी वहां से पहली बार बोलने का मौका मिला है। क्या यह कम उपलब्धि है?

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमारे घोषणा-पत्र में कहा गया है। मैं समझता हूं कि सरकार इसको दूर करेगी। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव आपके समक्ष रखना चाहूंगा सब से बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार है और वह सामाजिक जीवन में व्याप्त हो गया है। प्रतिपक्ष का कहना है कि स्वार्थी तत्व जनता में घुस जाते हैं और वे भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। मेरी मान्यता है कि राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार फैला और धीरे-धीरे उसका परिणाम यह हुआ कि वह समाज के अन्दर व्याप्त हो गया। कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन काल में भ्रष्टाचार राजनीतिक जीवन में फैला। यदि राजनीतिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त होता

(श्री जीतमल जैन)

है तो मेरी निश्चित मान्यता है कि देश में से, सामाजिक जीवन में से भी भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। जिन-जिन लोगों ने 30 साल के शासन काल में धन कमाया है ऐशो आराम किया है, भौतिक साधनों का अम्बार लगा दिया है, उन लोगों की शासन में आने से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है ? मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन सब लोगों की, चाहे वे सरकारी पक्ष के हों, अधिकारी हों, जांच कराने के लिए एक आयोग बिठावें जो उन से पूछा जाये कि इतना पैसा उनके पास जो पहले नहीं था, कहां से आया है ? इसकी जांच करवाई जाये तो आपको पता होगा कि भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ है और यह कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जिन लोगों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया है, राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलाया है, वे दोषी हैं, उनको दंड देना भी इस सरकार का कर्तव्य है।

स्वच्छ प्रशासन के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। ट्रान्सफर, प्रमोशन को लेकर भी भ्रष्टाचार पनपता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इसके लिए सरकार कोई नीति का निर्धारण करे कि किस आधार पर ट्रान्सफर, प्रमोशन होंगे ताकि भ्रष्टाचार न हो। आज ट्रान्सफर करवाने के लिए, प्रमोशन करवाने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी रिश्वतें दी जाती हैं। इसके लिए एक नीति का निर्धारण होना आवश्यक है।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज का जो कानून है, वह बड़ा काम्प्लीकेटेड है। इसका सरलीकरण होना चाहिए। जनता इसको पूरा जानती नहीं है और इन्सपैक्टर वगैरह इसका लाभ उठा कर नाजायज तौर से हमारी जनता को तंग करते हैं, उनसे रिश्वतें लेते हैं। मेरा निवेदन है कि कानून का सरलीकरण किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि युवकों के बारे में इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। आज का युवक भयग्रस्त है। उसके सामने स्पष्ट भविष्य नहीं है। उसको यह आश्वासन मिलना चाहिये कि मैरिट के आधार पर उसका चयन होगा। सर्विस के लिए उसको सिफारिश करवानी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आज के युवकों को आश्वस्त करना होगा कि मैरिट के आधार पर उनका चयन होगा।

एक बात और कहना चाहूंगा। 30 साल के पिछले प्रशासन ने गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आंसू बहाये हैं। किसी भी मोहल्ले में चले जाइये, जहां पर कि पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, आज वहां के वही टूटे फूटे मकान हैं। गंदे लड़के हैं। इनकी विशेष रूप से आवास की समस्या कठिन है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार यू.आई.टी. बड़े बड़े लोगों के लिए प्लाट काट कर बढ़िया कॉलोनी बनाती है, उसी तरह यू.आई.टी. को चाहिये कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सस्ते रेट पर मकान बना कर दे। इनके आवास की समस्या हल की जाये।

(श्री जीतमल जैन)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री माधोसिंह कछवाहा।

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा) : सभापति महोदय.....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

श्री सभापति : बोलने दीजिए, माननीय सदस्य आपको भी मौका मिलेगा।

श्री माधोसिंह कछवाहा : माननीय सभापति महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं कि पिछले तीन दिनों से जोधपुर डिविजन और जोधपुर शहर के सरदारपुरा क्षेत्र से आने वाले विधायक को आपने अवसर दिया। तीस सालों से जो पिछली सरकार थी उसके कारनामों का लेखा जोखा इस 30 घण्टे के अवसर के साथ मुझे कुछ अधिक याद आ गया इसलिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ विचार पेश करना चाहूंगा।

श्रीमान्, हमारे ना पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि यह जो अभिभाषण है, यह किसी राजनेता का लिखा हुआ है। ऐसी उनको अनुभूति हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन में "सत्यमेव जयते" सामने लिखा हुआ है। जो कुछ आपातकाल में हुआ है, दो तीन पृष्ठों में उनके काले कारनामे के बारे में है, जिनके कारण जनता ने उन्हें सत्ता से दूर किया है। अभिभाषण के पहले पृष्ठ में लिखा है:–

"अधिनायकवाद के विरुद्ध हुए भारतीय जनता के संघर्ष तथा उसकी सफलता की विश्व का जनमत आज मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहा है। हम सब इस अहिंसक क्रांति के भागीदार हैं।"

मैं समझता हूं कि ये शब्द जो लिखे हुए हैं, वह ना पक्ष वालों को पसन्द नहीं आये होंगे। एक विधायक महोदय को ना बिल्कुल ही पसन्द नहीं आये थे। मैं निवेदन करूंगा कि यह एक बहुमत का निर्णय है। ज्यादातर यह कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में जो हुआ है, उसका ही वर्णन अधिक है। जिन माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा है, उनको मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे अन्याय राम और रावण के राज्य से अन्य रजवाड़ों में भी नहीं हुए और किसी ने भी गत सरकार की तरह नहीं किया है। अब सुनकर शायद उनके सिर में दर्द होता है। दिल में भी दर्द हो जाता है। तो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि वह अपनी जेब में सिर दर्द व दिल के दर्द की गोलियां रखें।

उन्होंने कहा है कि 28 साल की उपलब्धियों का कोई जिक्र नहीं है। मैं माननीय सभापति जी, कहना चाहूंगा जोधपुर डिविजन से अधिकतर ना पक्ष के आये हैं। जोधपुर शहर में विकास का कोई भी काम

(श्री माधोसिंह कछवाहा)

नहीं हुआ है। कोई भी महत्वपूर्ण विकास का काम नहीं हुआ है। कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लगाया गया है। न इस दिशा में कोई विकास हुआ है। आज भी उनकी वैसी ही मन्शा है। उनके भाषणों में उनका वही दृष्टिकोण है। कोई ठोस बात का विचार उनके भाषणों से इस सदन के सामने नहीं आया है। उनके द्वारा हाई कोर्ट के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। कांग्रेस के कार्यकाल के मन्त्री यहां बैठे हैं। उनके कार्यकाल में हाईकोर्ट जोधपुर ले जाया गया। यह वह कहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा, जोधपुर में किस प्रकार से काम किया है उन मन्त्रियों ने। यह बड़े दुःख का विषय है। तीस वर्ष के अन्दर जोधपुर का जिस प्रकार से विकास होना चाहिये था वह नहीं हुआ है जब कि अन्य प्रांतों में हुआ है, देश के अन्य भागों में हुआ है, जयपुर में हुआ है, उदयपुर में हुआ है। जोधपुर में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कोई बड़ा उद्योग वहां नहीं लगा है।

एक माननीय सदस्य : यह आप मानते हैं ?

श्री माधोसिंह कछवाहा : मैं यह कहना चाहूंगा, असेम्बली के अन्दर, सदन के अन्दर, अधिकांश ना पक्ष के सदस्यों की बोलने वालों के बीच में रोड़ा अटकाने की भावना रही है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह रोड़ा न अटकाएं और संयम बरतने की कृपा करें।

जहां तक जोधपुर में पानी का प्रश्न है; मैं कहना चाहूंगा कि 28 साल के अन्दर कांग्रेस की जो सरकार थी वह पानी के मामले में बहुत उदासीन रही है। उसका दृष्टिकोण जोधपुर के मामले में उदार नहीं रहा है। खास तौर से रामपुरे का उद्घाटन शायद श्री मथुरादास माथुर ने किया था। आज वह पानी पीने के लायक नहीं है। जो जवाई बांध से ओपन कैनाल आ रही है, उसके बारे में भूतपूर्व सरकार के सामने प्रपोजल आया था कि एक बड़ी पाइप लाइन लगाकर वह पानी जोधपुर में लाया जाये। आज बहुत सा पानी खुला होने से इवेपोरेट होता है, चोरी होता है, अन्य कारणों से वेस्ट होता है। अगर यही हालत रही तो दो तीन साल में जोधपुर में पीने को पानी नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : एक मिनट और।

श्री माधोसिंह कछवाहा : सभापति महोदय....

श्री सभापति : मैं जानता हूं। एक और सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री माधोसिंह कछवाहा : सभापति महोदय, कल तो 15 मिनट सदस्यों को समय दिया गया। मुझे 7–8 मिनट का दिया गया है। ठीक है। जरा आप एक मिनट हो जाने के बाद कृपा रखें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यह पाइप लाइन की योजना बनाकर जोधपुर शहर की पानी की समस्या को हल किया जाये। अगर यह कर लिया गया तो मैं समझता हूं कि पाइप

(श्री माधोसिंह कछवाहा)
लाइन को जो कीमत है, अगर पांच साल बाद हिसाब लगाया जायेगा तो प्रथम दो तीन साल में ही वह वसूल हो गई पाई जायेगी। मेरा इस मामले में इस सरकार को यह सुझाव है।

एक सबसे बड़ी गलती जो कुछ महीने पहले कांग्रेस सरकार ने की है, उसको मैं थोड़ा सा, सभापति महोदय, पेश करना चाहूंगा। आप समय बहुत कम दे रहे हैं। समस्यायें बहुत हैं। जो समस्या है वह है एफ.सी.आई. के गोडाउन्स की। 11.2 करोड़ के गोडाउन्स राजस्थान में जनवरी से जून तक बनने थे। उन गोडाउन्स के बारे में पहले वाली सरकार बिल्कुल ही उदासीन रही और आज भी यह समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि अब मुख्य मन्त्री महोदय इसमें रुचि ले रहे हैं और इस समस्या को हल करने पर जो रोक लगी हुई थी, मैं चाहूंगा कि जो भी अधिकारी किसी प्रकार से फाइलों को रोके हुए थे या कार्य के आड़े आये थे, और जानकारी देने में या और कोई सूचना में देरी की थी उनको भी किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि जोधपुर डिविजन में यह काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जायगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि जो भूल पहले वाली सरकार ने की वह इस सरकार द्वारा नहीं की जायगी।

अब मैं बिजली के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : क्या आप मुझे सहयोग देंगे?

श्री माधोसिंह कछवाहा : माननीय सभापति महोदय, आपने चार बजे का टाइम मुख्य मन्त्री जी के लिए दिया है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो आपकी कृपादृष्टि हो····

श्री सभापति : मैं यह चाहता हूं कि अभी समय है, एक माननीय सदस्य और बोल लें।

श्री माधोसिंह कछवाहा : मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं और यह निवेदन करता हूं कि भविष्य के अन्दर आप मेरे पर कृपा दृष्टि रखें।

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में दिया है उसके लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और ना पक्ष वालों ने जो खेद प्रगट किया है उसके लिये उनके प्रति खेद प्रगट करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : फतह सिंह जब उधर बैठता है तब फतहसिंह भी घंटी से डरता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय श्री बंशीलाल।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : आदरणीय सभापतिजी, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं किन शब्दों में समर्थन करूं, समर्थन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं जिससे मैं अपने विचार प्रगट कर सकूं।

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

माननीय सभापति जी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर रामराज्य का सपना साकार होता नजर आ रहा है।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण किया उसमें वह सपना साकार होता दिखाई देता है जो महात्मा गांधी ने देखा था, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। इसलिए मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा, हम आशा करते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं उनको वास्तविक रूप देने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिये हम और हमारी सरकार जान की बाजी लगा देगी और वास्तविक लक्ष्य को पूरा करके रहेगी ...

श्री मूलचन्द डागा : कब तक जान की बाजी लगा देंगे ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : हमेशा के लिए धरती माता के सपने साकार कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन कराना चाहूंगा। कांग्रेस सरकार ने मानवता की अवहेलना की। हमारे यहां पर कोई भी सरकारी काम नहीं हुआ, वहां पर किसी प्रकार के साधन नहीं हैं। हमेशा ही इन कांग्रेसियों ने गरीबों का गला घोटकर अपनी सरकार को कायम रखा। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनायी उसी प्रकार की नीति को अपनाते हुए यह लोग राज्य करते रहे। इनकी वजह से प्रशासन में भ्रष्टाचार पनपता रहा ...

(3.55 म. प.)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

इन्होंने हमेशा गरीबों और अमीरों के बीच खाई पैदा की, पैदा करने की कोशिश करते रहे। अब जनता पार्टी ने इनके शासन को समाप्त कर दिया है, इनकी चालों को नाकामयाब कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत विकट समस्या है, जाड़े के दिनों में भी लोग पांवों पर पट्टी बांधकर चार चार कोस से पानी लाते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने लोगों को बहुत दुःख दिया है। वास्तव में जो यहां की योजनायें थीं वह सब कागजों में अटकी हुई पड़ी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को हमारे क्षेत्र के अन्दर समाप्त करने की ओर शीघ्र ध्यान देने की कृपा करें। मानव जीवन के लिये और मनुष्य को जिन्दा रखने के लिए सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस वालों ने हमेशा गरीबों को बोलने का मौका भी नहीं दिया और अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए हमेशा इस प्रकार की नीति अपनाते रहे जिससे जनता पिसती रहे और इनका कुछ भी नहीं बिगड़े, ये राज करते रहें। इन्होंने गरीबों को जो जमीन देने की घोषणा की थी उसके पीछे इनका वोट लेने का उद्देश्य था। आप अन्दाज लगाइये कि पांच बीघा जमीन से क्या कोई अपना जीवन यापन कर सकता है। हम

Page No 87

(श्री बंसीलाल सारस्वत)

यहां पर 15 बीघा जमीन अलाट की गई। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पांच बीघा और कम से कम एक दो बीघा अलाट की गई। न उनको बैल दिये गये, न कृषि के लिए और कोई साधन दिये गये, न बीज दिये गये और न उनका कोई लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ाने के लिये कोई उपाय किये गये। यह बात जरूर है, इन लोगों ने इस बात की हिम्मत तो की कि इन्होंने हम लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की, हमारे प्रति हमदर्दी दिखाई पर साथ ही उन्होंने यह भी कोशिश की कि ये लोग संगठित नहीं हो जायं। इस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी किस प्रकार से जीवन यापन कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनके द्वारा गरीब आदमियों का गला जिस प्रकार घोटा गया है, उसी प्रकार से गायों का गला भी घोटा गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे यहां पर गायों की बहुतायत है लेकिन उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। न हमारे लिए कोई काम हुआ और न गायों के लिए ही कुछ किया गया। कई लोग सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास गये लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग मरते गये और दूसरे लोग इनकी गुलामी करते रहे।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में समाप्त करें।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं अधिक समय न लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हुआ, मैं उस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि वाद विवाद में जहां आलोचना हुई वहां कुछ सुझाव भी दिये गये, आलोचना को रचनात्मक स्वरूप देने का प्रयत्न भी किया गया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख नहीं हुआ उस सम्बन्ध में भी कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े से समय में राज्य सरकार जिन प्रश्नों पर विचार कर सकी उनका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में समावेश करने की चेष्टा की गयी। मैं नहीं कहता कि कुछ अहम मुद्दे छूटे नहीं हैं। प्रश्न यह था कि अभिभाषण में जिन मुद्दों को लिया जाये वे ऐसे हों जिनका अगले बजट में ठीक प्रकार से रिफ्लेक्शन हो सके। इस दृष्टि से जिन मुद्दों को लिया गया और जो मुद्दे रह गये, हमें उसी आधार पर उनके विषय में विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह विधान सभा के इतिहास में पहला दिन है या पहला अवसर है जब कि नए चुनावों के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद विधान सभा में चुनाव के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जानते हैं कि 1952 से लेकर 1972 तक, जैसा कि सदन का मुझे अनुभव है, हर चुनाव के बाद जब भी पहला मौका इस सदन में वाद विवाद का मिलता था, तब चुनाव में क्या क्या अनियमितताऐं हुईं, सरकारी पक्ष ने चुनाव में किस प्रकार का व्यवहार किया, सरकारी अधिकारियों ने नियमों का किस प्रकार से उल्लंघन किया, इस पर चर्चा हुआ करती थी। यह पहला अवसर है कि जनता पार्टी के राज में, जब कि केन्द्रीय सरकार जनता पार्टी की थी, यहां पर राष्ट्रपति शासन था, विधान सभा के चुनाव हुए और उन चुनावों के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की...

श्री अब्दुल अजीज : गलत मत किए गए, मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है, अपनी बात भी कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब कभी चुनाव होते थे तो चुनावों के संबंध में चर्चा होना स्वाभाविक था। चुनाव में अनियमितताऐं होती थीं, पदों के कारण चंदा इकट्ठा किया जाता था लेकिन माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे, यह देश के इतिहास में पहला चुनाव है जिसमें सरकारी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव का चंदा वसूल नहीं किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार आपकी उस समय बनी नहीं थी, इसलिए हम आपको क्या कहें, अब और चुनावों में देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, माननीय सदस्य इस बात को किसी भी रूप में स्वीकार करें लेकिन यह तथ्य है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। न सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, न चुनाव के नियमों का उल्लंघन हुआ, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और निष्पक्ष चुनावों का परिणाम आज हम जिस रूप में बैठे हैं उससे स्पष्ट होता है। ऐसी हालत में, माननीय सदस्य कम से कम यह विश्वास तो करेंगे कि किसी भी नए दल के प्रशासन में उसकी शुरूआत यदि अच्छी होती है तो उसका अन्त भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। जब चुनाव के अन्दर इतनी ईमानदारी बरती गई तो मैं आपको इतना भी विश्वास दिला सकता हूं कि प्रशासन में भी निश्चित रूप से ईमानदारी बरती जाएगी। इस बात का दृष्टिकोण नहीं रहेगा कि अमुक व्यक्ति किस दल से संबंध रखता है। राजस्थान के विकास की दृष्टि से चाहे पूर्व में किसी प्रकार का पक्षपात हुआ हो, दलगत भावना से उठकर काम नहीं किया हो लेकिन मैं जनता पार्टी की ओर से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के दृष्टिकोण में विकास की दृष्टि से जनता है, कोई दल नहीं है। हम जनता का भला करना चाहते हैं, किसी दल विशेष का नहीं हम जनता की सेवा करना चाहते हैं किसी दल विशेष की नहीं। यह विश्वास रखकर आप चलें। चाहे आप हमारी कटु आलोचना करें लेकिन राजस्थान में विकास की दृष्टि से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में भाग लिया, वे इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि राजस्थान की पुरानी तस्वीर को नहीं देखा जाए। पिछले दिनों में क्या हुआ, उसको भुला दिया जाए। मैं इमर्जेन्सी के प्रसंग में नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता सरकार को विरासत में क्या मिला। मोटे रूप से मैं कहूं कि विरासत में भूखा नंगा राजस्थान मिला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं यह बात आंकड़ों के आधार पर कहता हूं। ये आंकड़े मेरे बनाए हुए नहीं हैं, पिछली सरकार के बनाए हुए आंकड़ों के आधार पर बताना चाहूंगा कि आर्थिक विकास की दृष्टि से आज राजस्थान किस स्थान पर खड़ा है नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड एण्ड इकानामिक रिसर्च के अनुसार राजस्थान में 56.30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, ये आंकड़े आपके हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 42.43 प्रतिशत है। अब आप इससे अन्दाजा लगायें, इसमें भी 81 प्रतिशत लोग कृषक श्रमिक हैं। अखिल भारतीय स्तर से अधिक गरीबी है। इससे आप यह अनुमान तो लगायेंगे कि आपने विरासत में गरीबी दी है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इस सदन को सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान का देश में 21वां नम्बर है। हम से नीचे केवल जम्मू काश्मीर और सिक्किम हैं। बाकी के सब राज्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं। यह हमारा दोष नहीं है। इसी प्रकार बिजली की स्थिति है। यह तो माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रीय औसत 8.9 किलोवाट प्रति घंटा है जब कि राजस्थान का औसत 4 किलोवाट है। सड़कों की भी स्थिति यही है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 14.62 किलोमीटर है राजस्थान में जब कि नेशनल एवरेज 37 किलोमीटर है। यही स्थिति चिकित्सा व सिंचाई की है। सिंचाई में टोटल कल्टीवेटेड एरिया 17 प्रतिशत सिंचित राजस्थान में है और उसका नेशनल एवरेज 23.74 है। पीने के पानी की यही स्थिति है। आवास की स्थिति भी यही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता सदन के अधिक माननीय सदस्य आज नहीं तो कल इन सारे आंकड़ों से स्वतः परिचित हो जायेंगे। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी प्रकार की आशा करें, विकास का काम हम अपने हाथ में लें उससे पहले राजस्थान की वर्तमान स्थिति को सामने रखना होगा। उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ाना होगा।

दुर्भाग्य या सौभाग्य से राजस्थान विकास की दृष्टि से बहुत पीछे रह गया। आप इल्जाम लगा सकते हैं कि राजस्थान में जिस समय राजा-महाराजाओं का राज था, रियासतों का एकीकरण हुआ, राजस्थान में बिजली का उत्पादन नहीं होता था, स्कूलों व कालेजों की संख्या कम थी, सिंचाई के साधन कम थे, यह भाषण मैंने कई बार सुने हैं। अगर आप भी उन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करना चाहें, उन्हीं को सफाई के अन्दर प्रस्तुत करना चाहें तो बात दूसरी है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि पहले जो राज्य हमारे राजस्थान से पिछड़े हुए थे वह आज हमसे बहुत आगे बढ़ गये हैं। आप हरियाणा को देखिये जो कि पांच वर्ष पहले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमसे बहुत पीछे था हम उसका यहां उदाहरण देते थे, उड़ीसा को भी हमारे से पिछड़ा हुआ कहा जाता था। मध्य प्रदेश को भी बराबर लाकर खड़ा किया जाता था लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो राज्य राजस्थान के बराबर की कतार में आकर खड़े नहीं होते थे उनके पीछे की कतार में आपने लाकर राजस्थान को खड़ा कर दिया। यह क्यों हुआ? यह आप जानते हैं। इसके कारण क्या हैं, वह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं? राजस्थान को आगे बढ़ाने के आपको क्या उपाय करने चाहिये थे वह भी आप जानते थे पर आपने दुर्भाग्यवश किये नहीं। इसका कारण भी आप जानते है?

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो पिछले वर्षों की सरकार रही है उसके लिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि वह सरकार एक तरह से भारत सरकार के अधीनस्थ सरकार थी। उसने कभी भी राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को वाच नहीं किया। उस सरकार में जो मन्त्री थे उन्होंने सिर्फ अपनी गद्दी सुरक्षित रखने का ही प्रयास किया था, उन्हें अपनी कुर्सी का ही ख्याल था। भारत सरकार की तरफ से कितना इनवेस्टमेन्ट होना चाहिये राजस्थान के विकास के लिये, भारत सरकार की तरफ से कितने उद्योग राजस्थान के आर्थिक विकास के लिये स्थापित किये जाने चाहिये इसके बारे में दुर्भाग्यवश जाने वाली कांग्रेस सरकार ने कभी सोचा नहीं और यहां उद्योग लगाने के लिये कोई प्रयास भी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जो प्रयास, जो संघर्ष राजस्थान के विकास के लिये भारत सरकार से राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये करना चाहिये था वह कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं किया गया। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिये प्रयास करेगी कि भारत सरकार के उद्योग राजस्थान में लगाये जायें ताकि राजस्थान का आर्थिक विकास हो सके। जनता पार्टी की सरकार यह भी प्रयास करेगी कि राजस्थान को जो उसका उचित हिस्सा है वह पूरा मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में भारत सरकार का इनवेस्टमेन्ट पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 2.4 प्रतिशत है जो कि बिल्कुल ही कम है, नगण्य है। अध्यक्ष महोदय, यह जो 2.4 प्रतिशत है यह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान के बैंकों में जो पैसा जमा होता है और जो डिपोजिट्स हमारे यहां भारतीय बैंकों में हैं उसका सिर्फ 67 प्रतिशत रुपया ही हमारे राजस्थान के विकास के लिये खर्चा होता है; उन डिपोजिट्स का, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 67 प्रतिशत ही यहां खर्च होता है जब कि वेस्ट बंगाल में जो बैंकों में डिपोजिट होता है उसका 85 प्रतिशत खर्च होता है और तामिलनाडू में 100 प्रतिशत से भी अधिक खर्च किया जाता है। इसका क्या कारण है, अध्यक्ष महोदय? इसका कारण यह है कि यहां की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए कभी भी प्रयास नहीं किये। अध्यक्ष महोदय, रुपया राजस्थान की बैंकों में डिपोजिट कराया जाय और वह रुपया राजस्थान के आर्थिक विकास के लिये पूरा खर्च नहीं हो, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्यपूर्ण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
स्थिति राजस्थान की कांग्रेस सरकार की हो सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार चाहती तो हमारे यहां राजस्थान में ऊन उद्योग का काफी विकास कर सकती थी। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की जो टोटल ऊन उत्पादित होती है उसका 40 प्रतिशत भाग राजस्थान में कलेक्ट किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, उस चालीस प्रतिशत ऊन का 20 प्रतिशत ही सिर्फ राजस्थान में काम में लाया जाता है। जो राजस्थान देश में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करता है, देश में उत्पादन होने वाली ऊन का 40 प्रतिशत ऊन, उसका सिर्फ 20 प्रतिशत ही ऊन राजस्थान के औद्योगिक विकास के काम आता है। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में देश के टोटल ऊन उत्पादन का केवल सात प्रतिशत ऊन ही उत्पादित होता है लेकिन वहां पर ऊन के 104 हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र खुले हुए हैं जब कि, अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में सिर्फ दो केन्द्र ही ऊन के चल रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? वह आप और सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य सब ही जानते हैं। वह यह है कि राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने इस ओर कोई प्रयास नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, अगर ऊन उद्योग का विकास किया जाता तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में इसका काफी विकास हो जाता। आज राजस्थान के पश्चिमी इलाके से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर बेकारी की बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि ऊन उद्योगों के लगने से बेकारी का समाधान पश्चिमी राजस्थान में काफी हद तक हो सकता था लेकिन उसके लिये भी प्रयास कांग्रेस सरकार ने नहीं किये जो कि करने चाहिये थे। यह भी स्थिति आपने ही पैदा की हमने तो नहीं की। सभापति महोदय····

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Sorry. अध्यक्ष महोदय। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स जो राजस्थान को भारत सरकार से मिला वह सिर्फ 2.4 प्रतिशत ही था जब कि राजस्थान की आबादी हमारे देश की आबादी की सात प्रतिशत है और एरिया हमारे राजस्थान का हमारे देश का जो एरिया है उसका 10.43 प्रतिशत है। लेकिन इस बात के लिये कोई भी सहयोग हमें भारत सरकार से नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा कारण था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इसकी चेष्टा नहीं की। अगर कांग्रेस सरकार इस बात की चेष्टा करती तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगने से हमारे राजस्थान का काफी विकास होता और राजस्थान का विकास होने से राजस्थान का नक्शा ही कुछ और होता। अध्यक्ष महोदय, यह चेष्टा नहीं करने का एक कारण सबसे बड़ा यह भी था, माथुर साहब जानते हैं और वह स्वीकार भी करेंगे कि दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार के मन्त्रियों में भारत सरकार के सामने जाकर कुछ भी कहने का साहस नहीं था··

श्री मथुरादास माथुर : आप मुझे ही क्यों कह रहे हैं ? मेरे पास ही खेतसिंह जी बैठे हैं उन्हें आप क्यों नहीं कह रहे हैं !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी स्थिति में सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो मुझ में विश्वास प्रकट किया और मुझे नेता बनाया उसके लिये तो मैं आपका आभारी हूं। साथ ही मैं सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास के लिये भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा धन यहां इनवेस्ट कराने के लिये मैं प्रयास करूंगा। इसमें आप सभी लोगों का मैं सहयोग लेना चाहूंगा। मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जिस प्रकार से आज दिन तक राजस्थान की उपेक्षा कांग्रेस सरकार द्वारा भारत सरकार की ओर से होती रही वह उपेक्षा राजस्थान अब कभी भी सहन नहीं करेगा। कोई उपेक्षा को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण के दौरान और कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान यह कहा था कि जब हमने जनता की सरकार को सत्ता सम्भलायी तब राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने उस सुदृढ़ स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा। वह सुदृढ़ स्थिति क्या थी, वह सुन कर आपको पता लग जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जब पिछली सरकार ने बजट प्रस्तुत किया उसका मैंने पूरा अध्ययन तो नहीं किया क्योंकि उस बजट की गहराइयों में जाने का मुझे ज्यादा समय नहीं मिल सका लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत भी मैं उसे देख सका उसके आधार पर उस सुदृढ़ स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यहां पर, अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान का 1977–78 का बजट पेश हुआ तब उसमें राजस्थान सरकार ने 22.47 करोड़ का घाटा बताया था। उसके बाद में 11.04 करोड़ की योजनायें बजट के बाहर रखीं। इस प्रकार 33.51 करोड़ का निखालिस घाटा आप छोड़ कर गये हैं। आपने जब यह देखा कि लोक सभा के चुनाव में तो हार ही गये हैं तो जाते-जाते कुछ कमिटमेंट्स आप और दे गये। आप जानते थे कि आपको तो यह कमिटमेंट पूरे करने नहीं हैं जो आने वाला है वह इसका दुःख भुगतेगा, आने वाली सरकार इसके लिये परेशान होगी इसलिए आपने लोक सभा के चुनाव हारने के बाद 13.33 करोड़ के कन्सेशन्स और लुटा दिये। इस तरह जो पिछले साल का 7.73 करोड़ का घाटा था उसको और इन सभी को, अध्यक्ष महोदय, अगर जोड़ा जाय तो सब मिलाकर 54 करोड़ का घाटा आप जनता पार्टी की सरकार पर छोड़ कर गये हैं, श्रीमानजी। अगर आप इसको ही आर्थिक सुदृढ़ता कहते हैं तो भला इससे कमजोर आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, अध्यक्ष महोदय ? इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं खेतसिंह जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जाते जाते कई वेटेरिनरी अस्पताल खोल दिये, कई दवाखाने खोल दिये, कई स्कूल आपने खोल दिये। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप यह सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेंट की सैंक्शन लिये बिना स्कूल, दवाखाने, वेटेरिनरी अस्पताल कैसे खोले गये ? आपने इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल से पूछा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि कहां स्कूल खोलने चाहिये कहां नहीं? पर आप तो जानते थे कि हम तो हारेंगे ही हमें क्या मतलब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने जो भी स्कूल, दवाखाने, वेटरिनरी अस्पताल खोले हैं उसके लिये एक क्राइटेरिया बनाया था। उसके आधार पर खोले थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्राइटेरिया की बात करते हैं, डूंगरपुर में एक गांव है मीमनवाड़ा जहां कि आलरेडी एक वेटेरिनरी अस्पताल है वहां दूसरा और वेटेरिनरी अस्पताल खोलने की घोषणा कर दी। आपको पता ही नहीं कि वहां पर कोई आलरेडी वेटेरिनरी अस्पताल है। क्या यही आपका क्राइटेरिया है? आप यहां पर क्राइ-टेरिया की बात करते हैं। माथुर साहब भूतपूर्व वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। वह जानते होंगे, बजट में प्रावधान नहीं तो कैसे स्कूल आपने खोल दिये? आपने बिना बजट के प्रावधान के भी कन्टिन्जेन्सी फन्ड्स में से स्कूल खोल दिये। आपने कन्टिन्जेन्सी फण्ड में से 50 डिस्पेन्सरियां खोल दीं। क्या कन्टि-न्जेन्सी फण्ड की रकम से आप 50 वेटेरिनरी डिस्पेन्सरीज खोल सकते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो कुछ किया उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं नहीं देता, जनता ने धन्यवाद देकर आपको ठिकाने लगा दिया लेकिन आपने यह सारी व्यवस्थायें कीं, एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही, 500 मिडिल स्कूल खोलने की बात कही, 250 सेकेण्डरी स्कूल खोलने की बात कही, 50 पशु चिकित्सालय खोलने की बात कही, 25 डिस्पेन्सरीज खोलने की बात कही, 203 एड पोस्ट्स खोलने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि जहां 203 एड पोस्ट्स खोलने की बात कही वहीं बजट में हवाला केवल 200 का ही था। अध्यक्ष महोदय, कुछ इस प्रकार का सा लगता है कि पिछली सरकार ने मस्तिष्क इस प्रकार का सा बना लिया था कि जो कुछ राज-स्थान की जनता का पैसा है वह लुटाना है सो लुटा दो। यह मौका बार-बार नहीं आयेगा।

मुझे याद है किसी ने टेलिफोन कर दिया कि यहां स्कूल खोलो तो नाम लिख दिया, किसी ने टेलिफोन कर दिया कि यहां दवाखाना खोलो तो नाम लिख दिया...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर एक के टेलिफोन पर नहीं खोला। आप जैसे बड़े आदमियों ने कहा है तब उस पर ध्यान दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महो-दय, चाहे मेरे नाम से ही कहें लेकिन आखिर श्री खेतसिंह जी ने सत्यता तो स्वीकार कर ली कि टेलिफोन पर स्कूल और दवाखाने खोले गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो क्राइटेरिया और जो नार्म्स आपने तय किये थे वह कोई क्राइटेरिया नहीं था। राजस्थान में पिछले वर्ष भी स्कूल खुले हैं और उससे पहले भी खुले हैं। क्या आप में से कोई कह सकता है कि सन् 1952 से लेकर 1976 तक इतनी मात्रा में कभी स्कूल, दवाखाने और वेटेरिनरी हास्पिटल्स खुले हैं? कभी नहीं खुले। आप भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझते हैं कि खोलने नहीं हैं लेकिन जनता को गुमराह करने के लिये यह किया कि हमने इतने गांवों में स्कूल खोल दिये, इतने गांवों में डिस्पेन्सरी खोल दी इसलिए आप हमको ही वोट देना। तो मैं आपको बताऊं कि आज जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। यह 1977 की जनता है जिसने आपके आदेश भी देख लिए और वोट का टाइम आया तो आपको नमस्कार भी कर दिया और वोट भी नहीं दिया। इस स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कई रियायतें दीं। आप राजा-महाराजाओं के लिए बड़े चिन्तित हैं और प्रश्न पूछते हैं कि राजा-महाराजाओं को क्या रियायत देना चाहते हैं। कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि जनता पार्टी का राज्य आने के बाद स्मगलर्स की बन आयेगी, ब्लैक मार्केटियर्स की बन आयेगी। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं आपने बजरी और कंकड़ी पर से सेल्स टैक्स उठाया क्या वह गरीबों को राहत देने के लिए उठाया था? गरीबों को राहत देने के लिए नहीं था वह। क्या आपको पता है कि सागड़ी प्रथा मे जिन लोगों के खिलाफ केसेज बने थे उन लोगों के केसेज विथड्रा करने में आप क्या गरीबों का भला करना चाहते थे? उसमें भी गरीबों का भला नहीं है तो आपने जाते समय अपना स्वयं का चित्रण प्रस्तुत कर दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि जनता ने आपको जिस स्थान के आप लायक थे उसी स्थान पर लाकर बैठा दिया। इसलिए यह मत कहें कि हमारे आने से ब्लैक मार्केटिअर्स बढ़े हैं, हमारे आने से स्मगलर्स बढ़े हैं। मैं इस सदन को विश्वास दिलाकर चलता हूं कि न हमारा संबंध कभी ब्लैक मार्केटियर्स से रहा है, न हमारा संबंध कभी होर्डर्स से रहा है, न एन्टी-सोशल एलीमेंट्स से रहा है और न हमारा संबंध मुनाफाखोरों से रहा है। यदि इनसे सम्बन्ध रहा है तो किन्हीं और का रहा है। सम्बन्ध यदि रहा है तो जो इस बात का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं उन्हीं लोगों का रहा है। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि यदि विरोधी दल का कोई भी माननीय सदस्य किसी व्यक्ति के बारे में सूचना देगा कि अमुक व्यक्ति ने ब्लैक मार्केटिंग किया, अमुक व्यक्ति ने होर्डिंग किया या कोई एन्टी-सोशल वर्क किया तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जायेगी।

मैं कहना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में जब मंहगाई का प्रश्न उठने लगा और मंहगाई के कारण से लोगों को चिन्ता होने लगी--हम नये नये आये थे लेकिन नये नये आने के बावजूद भी हमने इसका प्रयत्न किया कि कोई यह न समझे कि सरकार बदली है इसमें स्मगलर्स की बन आयेगी, इसमें होर्डर्स की बन आयेगी, इसमें ब्लैक मार्केटियर्स को गुंजाइश होगी। हमने इस सारे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया है और आपको ताज्जुब होगा कि सारी चीजों पर नियंत्रण करने के लिए हमने सब जगह सरकारी अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि सरकार बदल गयी है इसलिए चुप रहने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सरकार बदल गयी है इसलिए ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। हमने आदेश दिये हैं कि यदि कोई होर्डिंग करते

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

हुए पकड़ा जाये तो उसके माल को जब्त करो। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी देने में खुशी है कि पिछले दिनों छापों के दौरान 9 लाख रुपयों का माल जब्त किया गया। उसके कारण से हम भावों पर काफी हद तक कन्ट्रोल कर पाये हैं। इसलिये आप आश्वस्त रहें, जनता पार्टी की सरकार स्मगलर्स के हाथों में खेलने वाली नहीं है। जनता पार्टी की सरकार के सामने जनहित का प्रश्न सबसे प्रमुख है। इस प्रश्न को प्रमुख रूप से समझ कर जो भी उपाय होंगे वह करने पड़ेंगे।

माननीय सदस्य, जो डीडवाना से आये हैं, ने वास्तव में सही बात कही कि मंहगाई का प्रश्न केवल राजस्थान के स्तर पर ही नहीं है और इस प्रश्न पर केवल प्रान्तीय स्तर पर ही नहीं निपटा जा सकता। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि यह प्रश्न केवल एक स्टेट का नहीं है, यह सारे देश का प्रश्न है और अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियां भी इसको प्रभावित करती हैं। 30 तारीख को प्रधान मंत्री जी ने सारे मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया है और इस मंहगाई के प्रश्न का किस प्रकार से निराकरण किया जा सकता है उसकी व्यवस्था के ऊपर विचार करने का सब को निमंत्रण दिया है। मैं एक बात और अवश्य साफ करना चाहूंगा कि यदि सदन आंकड़े देखना चाहे, माननीय माथुर साहब ने प्राइस इन्डेक्स बताया लेकिन यह प्राइस इन्डेक्स के आधार पर बता सकता हूं कि 1976 से मंहगाई बढ़ना शुरू हुई है। इमर्जेन्सी में मंहगाई बढ़ना शुरू हो गयी और जनवरी, 1977 में मंहगाई काफी बढ़ गयी थी तो जब मंहगाई इमर्जेन्सी में बढ़ सकती है, जब कि इमर्जेन्सी में लोग जेलों में भरे थे, जो एन्टी-सोशल एक्टीविटीज करने वाले थे और ब्लेक मार्केटिंग करने वाले थे उनको मीसा और डी. आई. आर. में डाला जा सकता था, उस इमर्जेन्सी में और उस समय यदि भाव बढ़ सकते हैं तो हमें राज्य करते हुए अभी एक महीना ही हुआ है। यह भाव कोई जनता पार्टी की वजह से नहीं बढ़े बल्कि आपकी नीतियों के कारण से बढ़े हैं। पिछले वर्षों में इन्फलेशन बढ़ा है जिसका चीजों के मिलने पर प्रभाव पड़ता है। यह आप भी मानते हैं और हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्री भी मानते हैं। यह बात सिद्ध हो चुकी है इसलिए केवल जनता पार्टी की वजह से भाव बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो समझ नहीं पाया कि हमने कौनसी ऐसी गलती कर दी एक ही महीने में कि जिससे भाव बढ़ गये हैं? कौनसा निर्णय हमने ऐसा ले लिया जिसके कारण से चीजों के भाव बढ़ गये? मुझे खुशी है कि प्रतिपक्ष की ओर से एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया गया जिससे यह सिद्ध हो जाता कि जनता पार्टी की सरकार ने अमुक प्रकार की भूल की जिसके कारण से भाव बढ़े हैं। मैं फिर भी सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हम सक्रिय हैं और हमारा प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी भावों के ऊपर नियंत्रण रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में जब से जनता पार्टी की सरकार बनी प्रमुख रूप से उन मुद्दों को हाथ में लिया है जिनका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संबंध जनमानस से है। सबसे पहले हमने ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं पूरे प्रदेश में पीने के पानी का इन्तजाम किस प्रकार से किया जाये उस प्रश्न को अपने हाथ में लिया है। आप यदि यह कहें कि राजस्थान में पिछले वर्षों में इस दिशा में कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको नहीं मानता। हमारे राजस्थान की यह समस्या बहुत विकट है। इस विकट समस्या के लिए जितना प्रयत्न होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, यह कह सकता हूं। आज भी समस्या विकट है और इस विकट समस्या का हमें समाधान करना है। आप जानते हैं भूतपूर्व सरकार ने पूरे राजस्थान का और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान बनवाया उस मास्टर प्लान के अनुसार 400 करोड़ रुपये इस सारी समस्या के समाधान के लिये आवश्यक होता है। राजस्थान की सरकार 400 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सकेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। भारत सरकार 400 करोड़ रुपया दे देगी, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। फिर भी हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इस समस्या का समाधान निश्चित समय में किया जाये। मैं कल दिल्ली गया था। मेरी एक विशेष रुचि यह जानने की थी कि अन्य राज्यों में ड्रिंकिंग वाटर कार्पोरेशन्स बनाये गये फिर भी इस काम में बड़ी ढील आ गई थी। इस सदन को यह जान कर बड़ा दुःख होगा कि केवल राजस्थान को एल. आई. सी. से एक करोड़ रुपया मिला है। बाकी के अन्य राज्यों को पैसा ज्यादा मिला है। यहां भी हम पीछे रह गये। अब राजस्थान की सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि हमारे सरकारी साधनों से पार नहीं पड़ने वाली, भारत सरकार की सहायता के भरोसे भी नहीं रह सकते इसलिये हमें फाइनेन्शियल रिसोर्सेज और बाकी के स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। राजस्थान की सरकार इस बात पर विचार कर रही है, ध्यान कर रही है कि इस समस्या का समाधान करने के लिये कौन कौन से साधन हो सकते हैं। कार्पोरेशन बनाये जायें इसके सम्बन्ध में मैं आज कोई वचन बद्ध नहीं। सारे माननीय सदस्य जानते हैं, मुझे भी काफी अनुभव है, यहां पर जल बोर्ड बना हुआ है उसका भी अनुभव है। यू. पी. ने बोर्ड बनाया, तामिलनाडु ने बनाया है, बाकी के राज्य विचार कर रहे हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार भी विचार कर रही है। कई जगह बरसात के कारण जहां पानी उपलब्ध था, वहां भी खराब हो गया। पानी के कारण लोगों के सामने दुनिया भर की समस्यायें खड़ी हो गई। इसको हम प्राथमिकता देंगे ताकि जो ज्यादा दुखी हैं उनके दुखों को दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जिसके बारे में चर्चा हुई है वह है अनुसूचित जाति और जन जाति का। हमें ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष यह हवा पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि जब से जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हरिजनों के साथ दुनिया भर के अत्याचार हुए हैं…

श्री मथुरादास माथुर : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने चुनाव में यह प्रचार किया था। खेतसिंह जी का भाषण मैंने सुना था।

श्री मथुरादास माथुर : आपका भी सुना था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मुझे याद है, मेरा आपको याद होगा।

फिर भी माथुर साहब आपके साथ बड़ी सहानुभूति है आपको शिड्यूल्ड कास्ट्स के वोट नहीं मिले। दुनिया भर का प्रयत्न कर लें, अब ये आपके हाथ में आने वाले नहीं हैं। तीस साल तक आपने इनका शोषण किया। हिन्दुस्तान में जितना इनको गरीब रखा जायेगा, उतना इनको खरीदा जा सकता है, यह सोच कर इनको जानबूझ कर गरीब रखा। आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान के लिये चाहे कितना रुपया खर्च किया हो, गरीबी उनकी बढ़ी है, मिटी नहीं। जब से जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आप लोगों में हवा पैदा कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ दुनिया भर के अत्याचार किये जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी किसी भी हरिजन के संबंध में इस प्रकार की सरकार को जानकारी दी कि अमुक हरिजन को तंग किया गया? जब से आपने मोरेटोरियम लागू किया था; आपने इस संबंध में कानून बनाया उसके बाद कोई केस रजिस्टर कराया? कोई चालान अदालत में गया? कानून तो आपने सागड़ी प्रथा का भी बनाया था किन्तु मैं प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यह लागू करने के बाद आपकी सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाये थे उनमें से किसी बोहरे का प्रासीक्यूशन किया गया? किसी बोहरे के बही खाते जब्त किये?

झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने इसी तरह कुछ नाम भी बताये और नाम बताते हुए मांगू चमार का नाम लिया। दूसरा उदाहरण उन्होंने चिड़ावा तहसील के रामकुमार हरिजन को पीटने का दिया। मैंने झुंझुनूं के जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने रिपोर्ट दी। मांगू चमार को ग्राम लालू के ग्राम वालों के सामने लाये। वहां मांगू चमार ने कहा है कि उसका खेती पर खुद का कब्जा है उसमें बोता है। गिरदावरी भी उसके नाम है। इस खेत का मुकदमा उसके भानजे प्रहलाद से चल रहा है और सरपंच भानजे की मदद कर रहा है।

हरिजन का केस आप उठायें लेकिन सही उठायें, मुझे आपत्ति नहीं है।

आपने एक दूसरी बात और कही, रामकुमार पुत्र लीलू के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। यह तथ्य सामने आये और आपने कहा कि उसकी रिपोर्ट नहीं ली। मैं आपकी जानकारी और सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि रामकुमार पुत्र लीलू की मारपीट दिनांक 8–7–77 को हुई। मुकदमा नं. 33 धारा 147, 448, 223 आई. पी. सी. के तहत जय सिंह, राम सिंह, मोहन सिंह के खिलाफ 18–7–77 को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। आप एक उदाहरण भी मुझे बता दें जिसमें आपकी पहले की सरकार ने हरिजन की रिपोर्ट के ऊपर इतनी जल्दी कार्यवाही की हो, एक भी उदाहरण बता दें। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि रोज जितने भी लोग मिलने के लिये आते हैं जो प्रार्थना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पत्र देते हैं उनमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रार्थना-पत्रों को अलग निकाला जाये। टेलिफोन पर जिलाधीशों को पूछा जाये। हरिजन को यदि बेदखल करते हैं या जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया है तो खास तौर से हमने कहा है कि यदि हरिजन जमीन से बेदखल हो जायेगा तो उधर कलेक्टर कलेक्टरी से बेदखल हो जायेगा। आपको न्योता देता हूं इस बात के लिये, आप कोई भी जानकारी दें कि हरिजन के साथ अन्याय हुआ है तो राजस्थान सरकार उस अन्याय को रोकने के लिये हमेशा सक्षम है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न भ्रष्टाचार का आता है। बालोतरा से आने वाली माननीय सदस्या ने एक बात कही कि जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये मन से दृढ संकल्प है। मैंने जो सुना वह रख रहा हूं। लेकिन हमारे यह बड़े-बड़े नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले ही नहीं। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। कुछ ऐसा लगता है कि राजस्थान में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। खेतसिंह जी अवश्य बोले थे। अगर, माथुर साहब, आप भी बोलते तो खुशी से फूल जाता। प्रश्न यह नहीं है कि जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मिटा पायेगी या नहीं। प्रश्न यह है कि जनता पार्टी की सरकार के मन में निश्चय है, उसका विश्वास है कि इस सदन में जनता पार्टी के सदस्य और जनता पार्टी की सरकार अगर मन में निश्चित मत बना लें कि हमें राजस्थान से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी।

यदि हमारे मन में किसी प्रकार का सन्देह है, हम किसी प्रकार से कमजोर हैं तो उस कमजोरी का फायदा भ्रष्टाचारी उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जितने कानून बने हैं, जितनी आज तक की व्यवस्थायें हुई हैं, जितने डिपार्टमेंटल एक्शन और सक्यूलर इस सम्बन्ध में निकले हैं, मैंने उन सबका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मुझे इस बात की आवश्यता महसूस होती है कि सारे आदेशों को संशोधन करने की सख्त आवश्यकता है। यदि हमने इनको संशोधित रूप में लाकर जिस प्रकार की समस्या है, उनके अनुरूप नहीं बनाया तो चाहे लोकपाल हो और चाहे कितने ही कानून बनाते रहें, चाहे एन्टी करप्शन रहे और चाहे विजिलेन्स कमीशन रहे किन्तु भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये हमें पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस व्यवस्था की दृष्टि से मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस सारी व्यवस्था को एक ऐसा फूल प्रूफ बना दिया जाय कि भ्रष्टाचारी बच कर नहीं निकल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के जो विशेष मामले हैं, उनकी तो जांच होगी लेकिन यह सदन अच्छी तरह जानता है कि भ्रष्टाचार के आरोप अधिकांश रूप में इस सदन के प्रांगण में लगाये हैं इसलिये यदि सदन में आरोप लगाये जायं और उनके सत्यासत्य का पता नहीं लगे तो जन-मानस में यह धारणा बनती है कि राजस्थान की विधान सभा में भी आरोप लगाने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर भ्रष्टाचार

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

की खुली छूट है। इस धारणा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। इसको समाप्त करने के लिये सन् 1967 से 1977 तक राजस्थान की विधान सभा में जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं···

श्री श्योपतसिंह मकासर : 1962 से कीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह भी आ जायगा, आप धीरज रखिये। 1967 से 1977 तक, वैसे मुझे आपत्ति नहीं है, यदि 1962 से 77 तक रखे लेकिन काम का वाल्यूम जितना बढ़ेगा, उसे आप देख लीजिये। मैं आपकी भावना को स्वीकार करता हूं लेकिन 1967 से 77 तक जो भी विधान सभा के प्रागण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं उन भ्रष्टाचारों के आरोप को सिद्ध करने के लिये इसी सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बनाई जायगी····

श्री श्योपत सिंह मकासर : 1962 के अन्दर आप भी इस विधान सभा में थे इसलिये बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बातें कही गई हैं। 1967 में आप गैर हाजिर थे···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं था। मेरी मोजूदगी में हुये हैं, मैं उनको जानता हूं। 1962 से 1967 के बीच अहम मसले होंगे तो उनके लिये भी समिति नियुक्त कर दी जायगी। लेकिन यह तो मैं 1967 से 77 के बीच की बात कर रहा हूं···

एक माननीय सदस्य : छोटी सादड़ी काण्ड का मामला 1962 से 67 के बीच में था इसलिये उसको छोड़ना मत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1977 में, इस सत्र में जो आरोप लगाये गये हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वीकार करते हैं कि क्या उन आरोपों की जांच करवाई जायगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा कि आज से पहले तक। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि सदन के प्रांगण में आरोप लगाने से पहले माननीय सदस्य उस आरोप के बारे में गंभीरता से विचार करें। आम तौर पर आरोप लगा दिये जाते हैं, उसका खण्डन नहीं होता या जांच नहीं होती तब तक जन मानस में भ्रान्ति रहती है। इससे सदन की गरिमा कम होती है, माननीय सदस्यों की भी गरिमा कम होती है। इसलिये आरोप जिम्मेदारी से लगाये जायं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि आज सारी सरकारी मशीनरी भ्रष्ट है, सारे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. तथा सारे आर.ए.एस. आर.पी.एस. अधिकारी या क्लेरिकल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ या सबोर्डिनेट स्टाफ पूरा का पूरा भ्रष्ट है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा, किसी पर आरोप लगायें, उससे पहले उस पर गंभीरता से विचार कर लें और उसको जनरैलाइज न करें। अगर किसी व्यक्ति पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आरोप प्रक्रिया के आधार पर लगायेंगे तो उसका समाधान भी जल्दी होगा। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जनता पार्टी की सरकार में सरकार के कर्मचारी, सरकार के अधिकारी सफाई नहीं दे सकते हैं। उनकी सफाई का उत्तरदायित्व भी इस जनता पार्टी की सरकार पर होगा। अगर सरकारी अधिकारी अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो उसकी हम सफाई देंगे लेकिन निर्दोष व्यक्ति को ही बचाने का हमारा कर्तव्य होगा और उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, पिछले वर्षों के कारनामे या पिछली स्थिति वाले व्यक्तियों को आप लोगों के पास यदि कोई सामग्री है तो उसे प्रकाश में लाइये। अगर हमने 15 वर्षों के भ्रष्टाचार को निकालकर जमीन में दबा दिया तो राजस्थान में भ्रष्टाचार का नाम कोई नहीं लेगा। लोगों की यह धारणा होगी कि कोई बात नहीं, आज यदि भ्रष्टाचारी नहीं पकड़ा गया तो न सही लेकिन 15 साल में भी पकड़ा जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अब एक प्रश्न आता है, माननीय सदस्यों ने गरीबों के पक्ष में बड़ी चर्चायें कीं। मैं उस इमर्जेन्सी के दिनों की याद तो नहीं दिलाता हूं। इमर्जेन्सी में जनता के साथ कितना अन्याय हुआ है, मैं समझता हूं इस बारे में माननीय सदस्यों ने काफी विस्तार से चर्चा की है। मुझे उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल नहीं था लेकिन आज के समाचार-पत्र में पढ़ कर एक बात की हैरानी हुई कि जब नगरपालिकाओं के कानून में कल संशोधन प्रस्तुत किया गया तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया...

श्री मूलचन्द डागा : सही विरोध किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, आपने तो कर दिया लेकिन मुझे भी तो बोलने दीजिये। वे काला कानून बताते हैं, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है लेकिन इस प्रश्न को दूसरे प्रश्न के साथ जोड़कर बताया गया कि मंहगाई बढ़ा दी, हरिजनों के साथ अत्याचार हुये और तीसरा प्रश्न नगरपालिकाओं के इमर्जेन्सी में जो चुनाव हुये उनको निरस्त किया जाय। यदि इन तीनों को मिलाकर देखा जाय तो मुझे वहम होता है कि क्या यह तीनों की इमर्जेन्सी को उपलब्धि हैं....

श्री मूलचन्द डागा : पार्लियामेंट के चुनाव भी इमर्जेन्सी में हुये हैं और विधान सभा के चुनाव भी इमर्जेन्सी में ही हुये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आप जानते थे जिस समय पार्लियामेंट के चुनाव हुए उस समय हम जेलों से बाहर थे और जिस समय नगरपालिकाओं के चुनाव हुये, उस समय हम जेलों में सड़ रहे थे। आप दोनों स्थितियों को बराबर-रखकर नहीं चल सकते हैं। आपका धीरे धीरे यह प्रयास हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को यह कहा जा रहा है कि इमर्जेन्सी तो तुम्हारे हित में थी। इमर्जेन्सी के दिनों में तुम्हारा कर्जा माफ हो गया, इमर्जेन्सी के दिनों में तुम्हें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जमीनों से बेदखल नहीं किया गया, इमर्जेन्सी में मकान बनाने के लिए तुम्हें जमीनें दी गई। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि गलत आधारों पर गरीबों का शोषण करने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूं इमर्जेन्सी अब दुबारा नहीं आने वाली है, इमर्जेन्सी काल का इतिहास खत्म हो गया और जिन्होंने काला इतिहास लिखा है वे खत्म हो रहे हैं इसलिए जो इस इमर्जेन्सी की पैरवी करेंगे वे भी खत्म होते नजर आयेंगे। हमने इमर्जेन्सी को भोगा है और आप लोगों ने इमर्जेन्सी को भुगताया है इसलिए जब इमर्जेन्सी की चर्चा करते हैं तो हमें बड़ी वेदना होती है। मैंने इसी सदन में सुना है, मैं कोई जागीरदार नहीं हूं, राजपूत जाति से अवश्य हूं। मैं जागीरदार नहीं, सामन्त नहीं लेकिन पिछले 30 वर्षों में मैंने सारे राजस्थान में कई बार सुना है, जहां कहीं भी खराबी होती तो कहते थे यह सामन्ती युग की देन है। आप कहा करते थे कि सामन्तों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज तो यह बात ताजा ही है इमर्जेन्सी की। अभी तो इमर्जेन्सी की मार खाये हुए निशान ही नहीं मिटे हैं। आप चाहते हैं कि उनको इतना जल्दी भूल जायं तो मैं समझता हूं कि आपको इस प्रकार की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बल्कि आपको तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग इमर्जेन्सी के लिए जिम्मेदार हैं कम से कम उनकी तारीफ तो आप नहीं करें। मैं सुनता हूं जब आपमें से दूर बैठे-बैठे बात करते हैं कि इन्दिरा गांधी ने और संजय गांधी ने हमको मरवा दिया। यह लोग कहते हैं। लेकिन आप लोग इतने कमजोर हैं कि इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हिम्मत और धड़ाके के साथ उस बात को कह सकें। आपने कहा कि इमर्जेन्सी गलत लगी? कभी आपने यह कहा कि इमर्जेन्सी लगा कर लोगों की मीसा में गिरफ्तारियां की गई वह गलत थीं? कभी आपने कहा कि डी. आई. आर. में लोगों की गलत गिरफ्तारियां की गई? गरीब लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया और इस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय किये गये। लोगों को पकड़-पकड़ कर नसबन्दी कर दी गई और जिनकी नसबन्दी खराब हो गई, उनके साथ अन्याय किया गया, उसके लिए आपने कुछ कहा? अब साधु की तरह बात कर रहे हैं कि हमने गलती कर दी, हमको माफ कर दो। इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम बदले की भावना से कोई काम करने वाले नहीं हैं लेकिन इमर्जेन्सी के दिनों में जो अत्याचार और अन्याय करने के लिए सरकारी आफिसरों को उकसाया, उनको भड़काया और दबाया धमकाया, इन्सेंटिव और डिस-इन्सेंटिव दिये गए उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। आप किसी व्यक्ति की जबरदस्ती नसबन्दी करदें और नसबन्दी करने के कारण वह मर गया या अपंग हो गया, अपाहिज हो गया तो वह सम्मान के साथ समाज में रह नहीं सकता। फिर भी आप कहते हैं कि उस बात को याद मत करो। उन अन्यायों के बारे में कह नहीं सकते थे, उनकी चर्चा सदन में नहीं कर सकते थे। आपने इस तरह से लोगों को पाबन्द किया। इतना ही नहीं अखबारों का गला घोंटा। अखबारों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अखबारों को एडवर्टाइजमेंट दिया जाता था वह अखबारों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का एडवर्टाइजमेंट आपने बन्द कर दिया। अखबारों पर सैंसरशिप लागू कर दी। अखबारों के प्रेस जब्त कर लिए। अखबार निकालने वालों को मीसा और डी.आई.आर. में गिरफ्तार किया और सैंसरशिप के अंदर पकड़ा। मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी के अन्दर जो अखबार निकलते थे उन अखबारों में चुनावों की चर्चा नहीं कर सकते थे। उस समय संसदीय कार्यवाही के विवरण के प्रकाशन पर सेंसरशिप लागू की गई। बंगला देश की घटनाओं के प्रकाशन पर सेंसरशिप लागू की गई। कर्मचारियों के बोनस सम्बन्धी समाचार पर सेंसरशिप लागू कर दो। गोदावरी जल विवाद के सम्बन्ध में सेंसरशिप लागू की गई। किसी प्रकार के आन्दोलन को चलाने के लिए समाचार पर सेंसरशिप लागू की गई। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान मन्त्री के निर्णय सम्बन्धी समाचार पर सेंसरशिप लागू की गई। राजनैतिक दलों की राजनैतिक गतिविधियों के सम्बन्ध में सेंसरशिप लागू की गई। जयप्रकाशनारायण के स्वास्थ्य संबंधी समाचार और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने सम्बन्धी समाचार को सैंसर किया गया। संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन और सत्याग्रह सम्बन्धी समाचार को सैंसर किया गया। महात्मा गांधी हत्या आयोग के समक्ष मोरारजी देसाई की गवाही सम्बन्धी समाचार को सैंसर किया गया। दुबारा चुनाव कराने और मन्त्रियों को हटाने सम्बन्धी समाचार पर सैंसर लागू कर दो। डा. श्रीमन्नारायण और भूदान नेता आचार्य विनोबा भावे के अनशन के सम्बन्ध में सैंसरशिप लागू कर दो। भारत पाक सम्बन्धों के बारे में और श्री संजय गांधी को युवा नेता न लिखने के सम्बन्ध में सैंसरशिप लगा दी। इनको युवा नेता नहीं लिखो भारत का नेता लिखो, इस बात की सैंसरशिप लगा दी। भावों की बढ़ोतरी के संबंध में, कुतुब मीनार की सुरक्षा के सम्बन्ध में सैंसरशिप लागू की गई। अब कुतुब मीनार की मरम्मत में क्या हो गया? जयगढ़ के खजाने के सम्बन्ध में, सुन्दर डाकू के सम्बन्ध में सैंसरशिप लागू कर दी। सुन्दर डाकू से कहां से प्रेम पैदा हो गया। सुन्दर डाकू के सम्बन्ध में समाचार नहीं छप सकता, सुन्दर डाकू के सम्बन्ध में अमुक समाचार छापा जाय और अमुक समाचार नहीं छापा जाय। शस्त्रों की बिक्री के सम्बन्ध में आदि आदि कई प्रकार के समाचारों पर सैंसरशिप लागू की गई। कई पत्रकार बन्धुओं से जब बात होती है तो वे बताते हैं कि सैंसरशिप की प्रक्रिया क्या थी? वे कहते हैं कि पूरा अखबार जिलाधीश के कार्यालय में ले जाना पड़ता था और जिलाधीश कार्यालय में ऐसे अधिकारी को बिठा दिया जिनका अखबार तो क्या समाचार या समाचारों का शीर्षक लिखने तक से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा। वहां से यह लाइन काट दो, यह पैराग्राफ हटा दो, यह नाम काट दो, इस प्रकार की समाचारों के सैंसर की स्थिति थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय और लेना चाहूंगा इसलिए थोड़ी देर के लिए समय बढ़ा दिया जावे।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के नियत समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक आज का निर्धारित

(श्री सम्पतराम)
कार्य पूरा हो तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : क्या सदन को इजाजत है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय निर्धारित कार्य पूरा होने तक बढ़ाया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं माननीय सदस्य, जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, उसे केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उन घटनाओं की याद इस गरज से नहीं दिला रहा हूं कि उनका प्रचार किया जाय, प्रचार करने की दृष्टि से नहीं बल्कि मैं केवल इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि पिछले चार दिनों से जिस प्रकार का प्रचार करके चल रहे हैं उससे मुझे संदेह हुआ कि कहीं आपके मन में इनडायरेक्टली इमर्जेन्सी की वकालत करने की बात तो पैदा नहीं हुई है। माननीय सदस्य शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब आप मौन रहते हैं तब आपका मौन भी मेरे लिए संकट का कारण है...

श्री परसराम मदेरणा : आपको शायद भय तो इन्दिरा गांधी के जो दो चार भाषण हुए हैं उनसे लग रहा है और आरोप हम पर लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न मुझे इन्दिरा गांधी से भय है और न किसी से। इन्दिरा गांधी से भय जिनको था वे सामने बैठे हैं। वे इंदिरा गांधी से कितने भयभीत थे इसका अनुमान तो आपको भी है और हम जेलों में बैठे थे, हमको भी है। कोई भुला नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : चप्पलें उठाई थीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चप्पल उठाने का मुझे मालूम नहीं। इतना मैंने जरूर सुना है और पता है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री जी उस समय कहा करते थे कि आप हमारे राष्ट्र के नेता हैं, आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, आप देश के मार्ग दर्शक हैं, आप युवक हृदय सम्राट हैं। यह बात तो मैंने सुनी है और मैं समझता हूं कि आपके युवक हृदय सम्राट और आपके पथ प्रदर्शक हैं भगवान करे आप उनके रास्ते पर चल कर बतायें चाहे और कोई व्यक्ति चले या नहीं चले। जिनको आप राष्ट्र निर्माता मानकर चलते थे, उनको पूजा किया करते थे आपसे निवेदन है कि उनके पद चिन्हों पर और कोई चलें या नहीं लेकिन आप तो चलकर बतायें। लेकिन आप चलने को तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, इमर्जेंसी के दिनों में आपरेशन्स हुए। उन आपरेशन्स के बारे में विरोधी दल के माननीय नेता जानते हैं, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता कि कहां कितनी ज्यादतियां हुई और कहां नहीं हुई। लेकिन यहां पर मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। 1973-74 में 26 हजार आपरेशन्स हुए। 1974-75 में 38 हजार आपरेशन्स हुए, 1975-76 में 86 हजार आपरेशन हुए और 1976-77 में 3 लाख 60 हजार आप-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रेशन हुए। कुल मिलाकर इमर्जेन्सी काल में 4,43,000 आपरेशन हुए। सरकार कहती थी कि हमने ये आपरेशन स्वेच्छा से कराये। अब स्वेच्छा इमर्जेन्सी के दिनों में ही कैसे जागृत हो गई; इसका कोई उत्तर नहीं है। पहले के वर्षों में इस प्रकार की स्थिति नहीं हुई। पाली जिले के किशनपुरा गांव में, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य अधिक जानते हैं, लोगों ने जबरन नसबन्दी का विरोध किया तो पांच व्यक्तियों को डी. आई. आर में गिरफ्तार किया गया और सैठ लोगों के परिवारों को 107 में, 151 में गिरफ्तार करके पूरे गांव को खाली करवा दिया। अब ऐसी स्थिति में विरोधी पक्ष के नेता स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, खास तौर से पाली से आने वाले माननीय सदस्य को पूरी जानकारी है।...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कमीशन के दस दस रुपये भी तो लिये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रकार की ज्यादतियां हुईं, कुंआरों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, बीमारों को नहीं छोड़ा, जो हाथ में आया उसका आपरेशन कर दिया। इतना ही नहीं, मैं अधिक नहीं कहना चाहता, अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने जितने ज्यादा डण्डे मार कर आपरेशन कराए उनको इनाम दिये। कईयों को एम्बेसेडर कार दी, कईयों को प्रमाण-पत्र दिए; कईयों का प्रमोशन किया गया। कइयों का डिमोशन किया गया, कईयों की तनख्वाहें रोक दी गईं। यह सब कुछ हुआ। अब माननीय सदस्य बजाय अपनी ओर से अफसोस प्रकट करने के इस प्रकार की बात कहते हैं कि इन बातों को याद मत करो तो वह याद हम नहीं करते लेकिन याद अपने आप आती है। हम याद नहीं करना चाहते, उस चेप्टर को हम जुबान पर लाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों के कारण ही जब ठेस पहुंचती है तो उस ठेस के कारण ही वह पुरानी बातें याद आती हैं। खैर, मैं इस चेप्टर को यहीं बन्द कर देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपको बात बड़ी इनकम्वीनियेंट लगती है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : एम्बेसेडर कार के बारे में तो बता दीजिये, किस को दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने योजना बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। यह बात सही है कि....

श्री बजरंगलाल : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बात समाप्त कर दी। मैंने स्पेसिफिक बात कही थी सिविल और पुलिस के हैड, जो ड्यूरिंग इमर्जेन्सी थे, के सम्बन्ध में। जब कि और बाकी सभी स्टेटों में उनको बदला गया है तो राजस्थान ही क्यों ऐसा एक्सेप्शन है? इसके उत्तर में कोई बात नहीं कही गई। मैं उनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी इमर्जेन्सी का चेप्टर समाप्त करने से पहले कुछ कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहूंगा कि इमर्जेंसी के एक्सेसेज की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी बनायी गयी है। इस फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर हमारे पास आ जाएगी, ऐसी आशा है। इसमें जितने भी व्यक्ति डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली दोषी होंगे, चाहे वे बड़े से बड़े पद पर बैठे हों, या छोटे से छोटे पद पर हों, उन सब के खिलाफ जो भी कार्यवाही हो सकती है, वह कार्यवाही की जाएगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या यह सम्भव है कि फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी इन हैड्स के रहते हुए फेयर इन्क्वायरी कर सकेगी? करेक्ट इन्क्वायरी हो, पूरा जस्टिस हो, उसको यह मांग है कि जो भी व्यक्ति जांच से सबंधित है, उसको ऐसी पोस्ट पर नहीं रहना चाहिये, जहां से वह जांच को प्रभावित कर सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी का काम शुरू होने पर, यदि फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी के काम में किसी प्रकार की बाधा आई तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के खिलाफ, फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले ही कार्यवाही की जावेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनमें से एक पी. एस. सी. के मेम्बर हो गये हैं, उनको भी वहां से हटाया जावे। उनकी कलम से ज्यादा अत्याचार हुए हैं। चीफ सैक्रेटरी, आई. जी., ये सब के सब ज्यादा अत्याचार करने वाले हैं। इन आफिसरों को फौरन हटा देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमें फैक्ट-फाइन्डिंग कमेटी की, जिसके चेयरमैन भूतपूर्व जज श्री कानसिंह जी हैं, रिपोर्ट तक इन्तजार करना चाहिए। उस रिपोर्ट में यदि कोई अधिकारी, जैसा मैंने अभी कहा है, डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली इमर्जेन्सी की ज्यादतियों में सहयोग करने का दोषी पाया जायगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। उस कार्यवाही में अधिकारियों ने यदि किसी प्रकार की बाधा उपस्थित की तो उनके खिलाफ भी उचित निर्णय लेने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो इन आदेशों को एक्जीक्यूट कर रहे थे, जो जिम्मेदार थे, उनका कुछ नहीं करेंगे तो फिर छोटे अधिकारियों के खिलाफ ही शिकायत आयेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस दृष्टि से अभी तक हमारे पास जितनी भी शिकायतें आई हैं, वे केवल सूचनाएं हैं बल्कि सूचनाएं भी न होकर वे एक तरह से आवेदन-पत्र हैं। उनकी हम छंटनी कर रहे हैं। इस छंटनी के बाद भी अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाये। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो सरकारी आफिसर हैं, वे भी प्रोटेक्टेड हैं। उन्हें भी कान्स्टीट्यूशन में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसलिए आप जल्दी में किसी प्रकार की कार्यवाही न करावें।...

श्री बजरंगलाल शर्मा : लेकिन आप ट्रान्सफर तो कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । दूसरी स्टेटस् ने भी ऐसा किया है। यहां क्या कठिनाई है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रान्सफर करके आप सर्विसेज को डिमोरैलाइज मत करिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ट्रान्सफर हुए हैं और ट्रान्सफर होंगे भी। लेकिन मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से एक बात की प्रार्थना करूंगा कि हमको डेढ़ महीने के लगभग कार्य करते हो गया है। इतना समय नहीं मिल पाया है कि इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपको इतना समय भी नहीं मिल पाया कि आई. जी. और चीफ सैक्रेटरी का तबादला कर सकें तो फिर क्या करेंगे ? मैं यह मानता हूं कि कान्स्टीट्यूशन में प्रोटेक्शन मिला हुआ है लेकिन तबादला कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को यह निवेदन है··· ।

एक माननीय सदस्य : जयपुर और बीकानेर के जिलाधीश के कार्यकाल में संजय गांधी ने विजिट किया था और उन्होंने राष्ट्र के एक्सचेकर का दुरुपयोग किया है, यह तो साफ एवीडेन्ट है। मुख्य मंत्री भी इसको मानते हैं, इसलिए उनको तो तत्काल सस्पेन्ड किया जाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर मेरे ध्यान में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई जानकारी लावेंगे, आप ऐसा समझते हैं कि इस अधिकारी ने किसी प्रकार की ज्यादती की है, तो आपको इस बात को कहने से किसी ने नहीं रोका है, आप मेरे ध्यान में लाइये, मैं निश्चित रूप से उस पर एक्शन लूंगा। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिये। जिसने गलती की है, उसको मैं कभी डिफेन्ड नहीं करूंगा। गलत काम को डिफेन्ड करने की आवश्यकता भी नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो रिकार्ड है, उससे यह साफ हो गया है। यह रिकार्ड मौजूद है। वायरलेस में इन्होंने कहा है जबरदस्ती नसबन्दी की जाये। नहीं कराने वाले को गिरफ्तार किया जाये। यह गवर्नमेंट रिकार्ड से साबित होता है। उसमें आई. जी., सी. एस., होम कमिश्नर, ये सारे के सारे अधिकारियों के आर्डर्स हैं, जो उन्होंने कलेक्टर्स को दिये हैं। भीलवाड़ा के कलेक्टर से मैंने पूछा था। उन्होंने कहा कि दिन में चार दफा वायरलेस आते हैं। नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल दिये जायेंगे। यह तथ्य जब सरकार के पास मौजूद हैं तो ऐसे आफिसर को तुरन्त सस्पेन्ड कर देना चाहिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य मंत्री महोदय भी यह मानते हैं कि जब चीफ सेक्रेटरी और आई. जी. अपने पदों पर बैठे हैं, तो उनके खिलाफ डाइरेक्टली कौन शिकायत कर सकता है ? वे सरकारी पद पर बैठे हैं। न्याय की दृष्टि से, उचित जांच हो सके, इसके लिये हम सिर्फ यह चाहते

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

हैं कि इनको इनके वर्तमान पदों से तत्काल हटाया जाये · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सरकार के यह विचाराधीन है। मुख्य मंत्रीजी का भाषण शांति से सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग बोर्ड के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, जो डीडवाना से आये हैं, ने उल्लेख किया है। यह बात सही है कि योजना बोर्ड पहले राजस्थान में बना था, यह सक्रिय नहीं रहा। स्टेट प्लानिंग कमीशन बनाया जाये या इस प्रकार के बोर्ड का पुनर्गठन किया जाये और बोर्ड के ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन किया जाये, इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि दिल्ली में मुख्य मंत्री इकट्ठे हो रहे हैं उस समय इस प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार करके, एक ऐसा निर्णय लिया जाये जो सारे हिन्दुस्तान के राज्यों में लागू हो सके। किस प्रकार की प्रक्रिया हो, किस प्रकार के बोर्ड से योजना आयोग का तालमेल बिठाया जाये जिससे राजस्थान की योजना में हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग ले सकें, हम इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के प्रश्न उठाये हैं। मेरे लिये यह संभव नहीं है कि एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकूं। संसदीय प्रणाली के अनुसार मैं इस बात की चेष्टा करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर जो मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर मैं यथाशीघ्र उनके पास भिजवा दूं। उस उत्तर से यदि उन्हें संतोष न हो तो बजट सत्र में उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। वे उस समय अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकेंगे।

मैं इस सदन से यह अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान की जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, विकास की दृष्टि से जितना पिछड़ा हुआ है, उस दृष्टि से हम सब मिलकर इस राजस्थान की प्रगति में एक दूसरे के सहायक बन जायें, एक दूसरे के पूरक बन कर राजस्थान के पिछड़ेपन को मिटावें और इस पिछड़ेपन को मिटाने में हमारा जितना भी योगदान हो सके, उतना योगदान हम देते रहें। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि लोगों ने जनता पार्टी को अवसर दिया है। जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हम से बहुत हैं। हम जितना अनुमान नहीं लगाते थे, उससे ज्यादा आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जनता को हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकें इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने हम में जो विश्वास व्यक्त किया है उसको हम सही रूप में पूरा कर सकें इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेसी मित्र जो इस बात को कहते हैं कि जनता पार्टी के अलग अलग घटक हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, खेतसिंहजी, आपको इतना बता दूं कि हम कितने ही अलग अलग घटक हों और आपस में लड़ें, लेकिन आप यहां बैठने वाले नहीं हैं। आप विरोधी दल में बैठे हैं। इसलिये कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच लेकर बैठें ताकि हम सब मिल कर राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर कर सकें। इस भावना के साथ मैं माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, धन्यवाद करता हूं और जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति माननीय सदस्य माणकचन्द सुराणा ने रखा है, उस का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, से निवेदन करूंगा कि क्या वह अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे ? क्या उसे वापस लेने की इच्छा है ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, शासन अपने पैरों पर खड़ा है। कुछ कहने की इच्छा थी।

श्री अध्यक्ष : इच्छा है तो आप···

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं वापस क्यों नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है···

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे बोलने का समय नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं मिल सकता।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव सर्व श्री शंकरलाल, खेतसिंह, रघुनाथ विश्नोई और वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) ने निम्नांकित शब्दों में प्रस्तुत किया है :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई जन हित का ठोस कार्यक्रम नहीं दर्शाया गया है।"

स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकार)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक 27 जुलाई, 1977 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.15 बजे बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 1977 के म. पू. प्रातः 11.00 तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 60 के प्रतिवेदन की प्रति)

N.K. Jain Mittal & Co.
Chartered Accountants

Pansari Bazar,
ALWAR
Dated 24-12-76

The District Education Officer,
ALWAR

Dear Sir,

Audit Report of Seekho Kamao Bikri Kendra, for the year 1974-75 & 75-76.

We audited the accounts of Seekho Kamao Bikri Kendra, Mala Kheda Gate, Alwar, for the year ending on 31st March, 1975 & 1976 and submit our report as under:—

1. That the accounts of 1973-74 have not been audited by any Chartered Accountant so we have relied upon the statements & books which have been produced before us.

2. That the Income & Expenditure accounts for the year 1974-75 & 1975-76 (attached herewith) show a net surplus of Rs. 2626.35 and Rs. 3552.72 respectively, which in our opinion & to best of our information & belief, as per the books of accounts & voucher produced before us, for the relevant years, is correct.

3. That the statement of affairs attached herewith as on 31-3-75 & 31-3-76 show true & fair view of the financial position of the Kendra as per of the books of accounts, subject to the following remarks:—

   1. It has been observed that some sales are being made by the schools directly & they have not yet sent any statement of sales so far. In the absence of the Statement Emporium Charges due from them have not taken in the accounts. The same may be called upon to furnish the statement & the emporium charge should be collected accordingly.

   2. That the books have been maintained on the basis of single entry system of accounts which is not proper. Double entry system should be followed in order to get much accurate results.

   3. The Kendra is maintaining a bank account in Bank of Rajasthan Ltd., Alwar and on 31-3-76 it shows Dr. balance amounting to Rs. 6829.92 where as per the bank pass book Rs. 6829.92 have been shown credited. Bank reconciliation statement have been checked by us & found correct.

   4. That advances have been given to Shri Prabhu Dayal, Jeep Driver of D.I.O.S. several times & still even today it remains un-adjusted. We failed to understand for what purpose these advances has been given. Such types of personal advances should be neglected.

   5. The Kendra is maintaining a stock Register & we have taken the value of closing stock as per that Register. But there are some material which have become obsolete or which cannot be sold. Such type of material should be sent back to the concerned school, so that Kendra may not suffer for the losses.

Provision in respect of broken, or rejected items have not been made & the same have not been deducted from the quantity.

6. We have not carried out any Physical Checking of the Stock & on the basis of the Stock statement submitted by the Manager we have taken the value of Stock in hand.

7. In the Creditors ledger of the Kendra we observed that the following amount is due on the schools as mentioned below,, though in ledger balance in these accounts show that the amount is to be paid or realised from them. We have rightly taken this amount in our statement of affairs as on 31-3-76 but the some should be realised from them:

1.	Govt. Girls' Middle School, Bardod	11.50
2.	Modern Primary School, Alwar	186.50
3.	Govt. Middle School, Bada-Bas	11.75
4.	Victory Primary School, Alwar	3.80
5.	Govt. Middle School, Barabharkaul	37.50
	TOTAL ..	251.05

8. *Cash in Hand:*

On the scrutiny of the Cash Balances we found that there in Cash Book, totals have not been taken correct in the following cases:

A. Vide Cash Book page No. 30 dated 10-12-71 Cash in hand Rs. 7074.90 has been carried forward Rs. 7084.90, thereby Cash Balance has been taken in excess by Rs. 10/-

B. Vide Cash Book Page No. 59 dated 26-1-76 total of Receipt side have been taken less by Re1/.-

C. Vide Cash Book Page No. 64 dated 14-2-75 total Cash in hand is Rs. 4021.25 whereas it should be Rs. 4031.25, thereby taken less by Rs. 10/-.

9. *Checking of Vouchers:*

We observed that all the expenses of Capital & Revenue nature have been devited to one expenses Account, which is not proper at all. We have prepared the details of the same as shown in the Income & Expenditure Account, as per the vouchers. Head-wise ledger should be prepared in future.

Vide Voucher No. 133 dated 17-11-76 Rs. 14.70 have been paid for Entertainment Expenditure, but in fact as per of the Voucher is should be Rs. 14.60 only. 10 paise may be recovered.

10. *Checking of Bill Book from Cash Book:*

On the scrutiny of the same we found the following mistakes in that. The net difference may be realised from the Emporium Incharge.

Bill No.	Amount as per Bill.	Entered in Page No.	Cash Book Amount
1	2	3	4
1039	133.10	150	133.50
1088	4.95	154	2.95
1101	34.25	156	33.75

(111)

1	2	3	4
1125	403.20	6-II	402.29
986	2.77	—	Nil
1194	3.00	—	Nil
1246	1.85	189	1.35
1354	2.90	192	2.80
1425-26	1089.50	20-II	10079.50
1447	2.10	5	2.70
1527	2012.90	23	2011.15
1520	5688.90	27	5682.95
1662	78.75	43	78.25
1665	276.25	78	275.75
1736	892.59	45287	899.50
1814	86.63	51	86.13
1844	293.75	63	393.55
1847	2.25	57	2.75
1905	1.89	73	1.30
1913	2208.00	75	2184.00
1978	33.08	83	33.00
2019	131.25	86	131.50
2395	0.74	87	37.80
2414	9.90	No	Entry

11. *Emporium Charges* :

In Credit Bill No. 89 dated 18-3-76 there is a calculation mistake of Rs. 2/. only. The School has been charged less by that amount Debit Note for the same day may be issued.

Similarly in Bill No. 133 dated 29-3-76 for Rs. 140/- there is a calculation mistake of Rs. 5/-. The School should have been charged Rs. 7/- instead of Rs. 12/s. In this case Credit Note should be issued to the School.

In the end we are very much thankful for the kind co-operation extended by the Emporium Staff and hope that all the mistake will be rectified at the earliest possible date.

Thanking you & assuring our best services for all the times.

Yours faithfully,
For N.K. JAIN MITTAL & Co.,
Alwar.

Sd/-
N.K. JAIN,
Chartered Accountant

True copy
कानसिंह
जिला शिक्षा अधिकारी,
अलवर (राज.)।

(112)

परिशिष्ट--2

(तारांकित प्रश्न संख्या 62 के प्रतिवेदन एवं विज्ञप्ति की प्रति)

Copy of relevant extracts from the minutes dated 6th July, 1977 of the meeting of the Committee appointed by the Vice-Chancellor to consider complaints against question papers.

The Committee considered the complaints against the Public Administration Paper II of IInd Year Arts Examination (for Non-collegiate candidates) made by the candidates of M.L.V. Govt. College, Bhilwara, Maharani's College, Jaipur, Govt. College, Tonk and Maharaja's College, Jaipur centres. It was complained that there was no note regarding the number of questions required to be attempted by the candidates, that the question paper had not been set in accordance with the instructions contained in the question bank, and that many questions in the question paper were outside the prescribed course. The candidates registered at Maharaja's College, Jaipur centre complained that none of the questions in the question paper was within the course and they did not appear in the Examination. Some candidates at Maharaja's College centre wanted to appear in the examination but they were prevented from doing so by some other candidates who did not appear in the examination.

X X X X X

There is no note in the original manuscript of the question paper with regard to the number of questions required to be attempted and the Committee also agreed that the question paper has not been set in accordance with the instructions contained in the question bank.

After fully considering all aspects of the matter, the Committee recommended that (*i*) the examiners may be asked to assess the answer books expecting the candidates to answer any 5 questions, (*ii*) a special examination in the paper be arranged and option be given to the candidates to appear in the same, and (*iii*) the earlier performance be treated as cancelled in the case of those who appear at the special examination.

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

विज्ञप्ति

2 जुलाई 1977 को हुई स्वयंपाठी छात्रों की टी. डी. सी. द्वितीय वर्ष कला परीक्षा के लोक प्रशासन द्वितीय पत्र की परीक्षा के बारे में प्राप्त शिकायतों पर विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रश्न-पत्र की उत्तर-पुस्तिकायें यह मानते हुए जांची जायं कि सदैव की भांति इस बार भी छात्रों को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने थे। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रश्न-पत्र में एक विशेष परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाय। जो छात्र इस विशेष परीक्षा में सम्मिलित होना चाहें वह इसमें बैठ सकते हैं। जो छात्र इस विशेष परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके 2 जुलाई 1977 को हुई परीक्षा में प्राप्तांक निरस्त कर दिये जायेंगे। यह विशेष परीक्षा महाराजा महाविद्यालय, जयपुर, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आर. आर. महाविद्यालय, अलवर तथा राजकीय महाविद्यालय, कोटा में दिनांक 20 अगस्त, 1977 को 7-00 से 10-00 बजे होगी।

जो छात्र विशेष परीक्षा में बैठना चाहते हैं उन्हें अपने इरादे की सूचना उपरोक्त पांच परीक्षा केन्द्रों में से वांछित परीक्षा केन्द्र सहित इस कार्यालय को 6 अगस्त, सन् 1977 तक अवश्य पहुंचा देनी चाहिए।

दिनांक 19–7–1977

स. प्र. वैश्य,
कुल सचिव।

क्रमांक: एफ. 9/परीक्षा 1/1977/45935-86 दिनांक : 19-7-1977

प्रतिलिपि प्रेषित है:––

1. विज्ञापन व्यवस्थापक (1) राजस्थान पत्रिका, जयपुर, (2) नवज्योति, जयपुर, (3) अधिकार, जयपुर, (4) न्याय, अजमेर।

   उपरोक्त विज्ञप्ति का उनके पत्रों में प्रमुख स्थान पर यथा संभव बाक्स में दो अंकों में एक दिन के अन्तर से प्रकाशनार्थ। भुगतान बिल दो प्रतियों में प्राप्त होने पर किया जायगा।

2. प्राचार्य एवं केन्द्र व्यवस्थापक.................................

   को उपरोक्त-विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां प्रेषित कर अनुरोध है कि एक प्रति प्रत्येक परीक्षार्थी, जिसने लोक प्रशासन विषय लिया है, को उसके द्वारा परीक्षा

आवेदन-पत्र में प्रदत्त पते पर भेजें। परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन-पत्र केन्द्रों पर पहले से ही उपलब्ध हैं। विज्ञप्ति की एक प्रति महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर भी सूचनार्थ लगाई जावे एवं इसका विस्तृत प्रचार प्रसार किया जावे।

3. ....
....को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रख कर किया जावे।

प्रेमचन्द बैराठी,
उप कुल सचिव (गोपनीय)।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 67 की सूची)

उदयपुर जिले में अस्पताल/डिस्पेंसरीज/प्रा. स्वा. केन्द्र एवं चिकित्सा संस्थाओं को दवाइयों के मद में प्रावधान का ब्यौरा:—

क्र. सं. 1	संस्था का नाम 2	आयोजना भिन्न 3	योजना 4	योग 5
1.	सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर	9,82,000	42,000	10,24,000
2.	जनाना ,, ,,	2,44,000	—	2,44,000
3.	एस. आर. बी. मुवलका यक्ष्मा आरोग्य सदन—बाडी, उदयपुर	3,10,000	—	3,10,000
4.	धान मण्डी औषधालय, ,,	58,000	—	58,000
5.	वल्लभनगर डिस्पेन्सरी	68,000	—	68,000
6.	चितरंजनदास भ्रमणशील शल्य चिकित्सालय, उदयपुर	55,000	—	55,000
7.	क्षय निवारण केन्द्र, ,,	20,000	—	20,000
8.	राजकीय अस्पताल, नाथद्वारा	10,000	—	10,000
9.	के. एन. अस्पताल, कांकरोली	15,000	—	15,000
10.	पुलिस लाइन डिस्पेन्सरी	10,000	—	10,000
11.	राजकीय अस्पताल, प्रतापनगर	12,000	—	12,000
12.	,, ,, सराडा	10,000	—	10,000
13.	,, ,, खेरवाडा	10,000	—	10,000
14.	,, ,, छावनी	10,000	—	10,000
15.	,, ,, गिरोद	10,000	—	10,000
16.	,, ,, ताल	10,000	—	10,000
17.	,, ,, बादला	10,000	—	10,000
18.	,, ,, गोगुन्दा	10,000	—	10,000
19.	,, ,, भिण्डर	10,000	—	10,000
20.	,, ,, भीम	10,000	—	10,000
21.	,, ,, कुम्भलगढ़	10,000	—	10,000
22.	,, ,, चांदपोल, उदयपुर	12,000	—	12,000
23.	,, औषधालय जगदीश चौक	12,000	—	12,000
24.	,, ,, फतेहपुरा	12,000	—	12,000
25.	,, ,, सूरजपोल	12,000	—	12,000
26.	,, ,, भोपालपुरा	10,000	—	10,000
27.	,, ,, आयड	10,000	—	10,000

Page No 116

116

1	2	3	4	5
28.	राज. औषधालय, केलवा	10,000	–	10,000
29.	,, ,, लसाडिया	10,000	–	10,000
30.	,, ,, नेमडी	10,000	–	10,000
31.	,, ,, मावली	10,000	–	10,000
32.	,, ,, मुंधावा	10,000	–	10,000
33.	,, ,, सेरिया	10,000	–	10,000
34.	,, ,, भिकराली	8,000	–	8,000
35.	,, ,, आवात	8,000	–	8,000
36.	,, ,, बाडी	8,000	–	8,000
37.	,, ,, छायावाडा	8,000	–	8,000
38.	,, ,, कुआरिया	8,000	–	8,000
39.	,, ,, वाटोडा	8,000	–	8,000
40.	कारागृह एवं उप कारागृह, उदयपुर 2	21,000	–	21,000
41.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेट	12,000	20,000	32,000
42.	,, ,, ,, कानोड	12,000	20,000	32,000
43.	,, ,, ,, देवगढ	12,000	20,000	32,000
44.	,, ,, ,, राजसमन्द	12,000	20,000	32,000
45.	,, ,, ,, कोटडा	12,000	20,000	32,000
46.	,, ,, ,, खमनोर	12,000	20,000	32,000
47.	,, ,, ,, धरियावद	12,000	20,000	32,000
48.	,, ,, ,, धनवाड़	12,000	20,000	32,000
49.	,, ,, ,, रिछड	12,000	20,000	32,000
50.	,, ,, ,, रेलमगरा	12,000	20,000	32,000
51.	,, ,, ,, खुराबाद	12,000	20,000	32,000
52.	,, ,, ,, देलवाडा	12,000	20,000	32,000
53.	,, ,, ,, झाडोलसराडा	12,000	20,000	32,000
54.	,, ,, ,, रिखबजी	12,000	20,000	32,000
55.	,, ,, ,, सायरा	12,000	20,000	32,000
56.	,, ,, ,, बडोल फलासिया	12,000	20,000	32,000
57.	,, ,, ,, सलूम्बर	12,000	20,000	32,000
58.	,, ,, ,, भरार	12,000	20,000	32,000
59.	निजी आई केम्प्स	–	20,000	20,000
60.	निजी केम्प्स व प.नि. केम्प्स	85,000	–	85,000
	महा योग	23,89,000	4,22,000	28,08,000

(1.17)

SCHEDULE II.

List of Drugs and Medicines supplied to Indoor and Out door Patients during the last 2 years in the General Hospital, Udaipur

	Name of the Medicine	1975-76	1976-77
1.	Tab. Avil	18000	20000
2.	Tab. Antacid	50000	63500
3.	Tab. APC.	70000	133000
4.	Tab. Asperin	81000	71000
5.	Tab. Deriphylline	34000	29000
6.	Tab. Antipar	2500	3000
7.	Tab. Apidin	81000	79000
8.	Tab. Analgin	58000	56000
9.	Tab. Belladenal.	10000	10000
10.	Tab. Butazolidin	17000	20000
11.	Tab. Choloroquine	4000	35000
12.	Tab. Camposo.	9000	9250
13.	Tab. Digoxin.	11000	12200
14.	Tab. Diamox	7500	10750
15.	Tab. Dapone	3000	..
16.	Tab. Erythromycin	3900	4500
17.	Tab. Ephyedrime	600	3200
18.	Tab. Enteroswform (or Dihydrox)	37000	44000
19.	Tab. Furoxone	11448	10415
20.	Tab. Farsolate	201500	150500
21.	Tab. Nitrofuraution	7176	4200
22.	Tab. Hygrotone	900	920
23.	Tab. Harbolax or Dueolaxe	13550	26975
24.	Tab. Isonex	20000	14000
25.	Tab. Chlorfromaxine 25 mg.	5700	13000
26.	Tab. Chlorfromaxine 50 mg.	16000	15000
27.	,, Furerornde (Lasco)	6200	4400
28.	,, Microphyerry	6950	16300
29.	,, Mexaform	9300	14000
30.	,, Multivitamin	13900	140000
31.	,, Orisul Sulfuno	8500	3000
32.	,, Pacitane	3750	5000
33.	,, Periurate	3250	..
34.	,, Predrusolone	37500	42500
35.	,, Serparlil	7600	7500
36.	,, Siquil	3650	2020
37.	,, Sulfaguanidone	38000	17000
38.	,, S. D. Z.	254000	251000
39.	,, Spasmindon	20450	15475
40.	,, Synopen	17200	6500
41.	,, Stemetil	1500	1900
42.	,, Tofranil	2730	4930
43.	,, Tanderil	24000	16500
44.	,, Eskazine 5 mg.	4860	6148
45.	,, Eskazine 1 mg.	2100	1402
46.	,, B. Complex	133100	194000
47.	,, Vitamic X.	12000	13000
48.	,, Yeast	17100	30900
49.	,, Vaseline	300 Kg.	354 Kg.
50.	Cap. Chloromycetine	10000	30000
51.	,, Teracycline 250 mg.	36000	36710
52.	,, Ampicillin	250 Caps.	300 Caps.
53.	,, Tr. Iodine	475 Bottles	550 Bottles
54.	,, Tr. Bezoin	247 Bottles	150 Bottles
55.	,, Rectified Spirit	1994 Litres	2234 Litres
56.	,, Plaster of Paris	3650 Kg.	4050 Kg.
57.	,, Anaesthetic Exther	536 Bottles	582 Bottles
58.	,, Ethyle Chloride	995 Bottle	1051 Bottles

S. No.		Name of Items	Qty. Issued on April 75 to March, 76	Qty. Issued 76-77.
59.	Inj.	Achromycin 500 mg.	1850 Vials	..
60.	,,	Adrenaline	3150 Amps.	3315 Amps.
61.	,,	Aminophylin 10 c. Vials	2976 ,,	2050
62.	,,	Atropine Sulphate	4871 ,,	6455 Amps.
63.	,,	Antisnake Venum	133 ,,	2698 ,,
64.	,,	Anti-Rabicvaccine	28000 c. c.	14000 c. c.
65.	,,	A. T. C. 1500 units	1300 Amps.	1250 Amps.
66.	,,	A. D. S.	25 Amps.	35 Amps.
67.	,,	Ampicillin	..	200 Vials.
68.	,,	Avil 10 c. c. 4 Vial	703 Vials	715 Vials.
69.	,,	A. C. D. Solution	686 Bottles	216 Bottles
70.	,,	Butenolidine	1000 Amps.	..
71.	,,	Baralgan 30 c. c. vails	276 Vials.	551 Vials.
72.	,,	Bellafolline	1050 Amps.	200 Amps.
73.	,,	Bejectil with liver	..	350 Amps.
74.	,,	Biligraphin	..	45 Amps.
75.	,,	Calcium Gluconate 10 c.c. amp.	2815 Amps.	3070 Amps.
76.	,,	Chloroquine Phosphate	50 Amps.	140 Amps.
77.	,,	Collcsal Iodine	10 Amps.	..
78.	,,	Coramine 2 ml.	1529 Amps.	1300 Amps.
79.	,,	Cleuden 10 ml.	..	195 ml.
80.	,,	Complamina	759 Amps.	1050 Amps.
81.	,,	Cappante theuste	525	600
82.	,,	Coddalanid	103 ,,	..
83.	,,	Chloromyctine	745 ,,	1000 Vials.
84.	,,	Genray	140 ,,	326 Amps.
85.	,,	Kpsolin	50 ,,	14 Amps.
86.	,,	Distilled Water	6690 Amps.	2000 Amps.
87.	,,	Digoxin	306 ,,	242
88.	,,	Deriphyllin 2 ml.	3825 ,,	3685,
89.	,,	Dextravan	230 Bottle	540 Bottles
90.	,,	Eretine sydecohloride	938 Amp.	954 Amps.
91.	,,	Ephadine Hydrochloride	850 Amp.	670 Amps.
92.	,,	Endoxen	246 Vials	262 Vials.
93.	,,	Glucose 5% (Fructoied (SDW)	1068 Bottles.	2495 Bottles.
94.	,,	Glucose 5% (Noral Saline (CNS)	3400 Bottles.	2650 Nittles (In addition 140 bottles per day were supplied from the Hosp. pharma Lab.
95.	,,	Flodidil	118 Vials.	240 Vials.
96.	,,	Glucose 2 5% 25 ml.	1358 Amps.	3047 Amps.
97.	,,	Glucose 50% 25 ml.	100 Amps.	1400 Amps.
98.	,,	Group Sera Anti 'A' 'B' 'O' 'D'	In sufficient quantity.	
99.	,,	Cerramycin	136 Vials.	173 Vials.
100.	,,	Hyalse	370 Amps.	375 Amps.
101.	,,	Heaemaeccal	42 Bottles	35 Bottles.
102.	,,	Haparine	142 Vials.	119 Vials.
103.	,,	Imferron 2 ml.	2000 Amps.	2345 Amps.
104.	,,	Isolyte 'N'	14 Bottles.	8 Bottles.
105.	,,	Insulin Placin	600 Vials.	414 Vials.
106.	,,	Inferron I/V 10 ml.	110 Amps.	130 Amps.
107.	,,	Interval Sodium 1 mg.	800 Amps.	800 Amps.
108.	,,	,, ,, 1 gm.	975 Amps.	1150 Amps.

Page No 119

S. No.		Qty. issued on April 75 to March, 76	Qty. issued 76-77.
109.	Inj Vit K.	656 Amps.	1110 Amps.
110.	,, Kemecoture Succeinate.	—	10 Vials.
111.	,, Liver Ext. 10 c.c.	1100 Vials.	700 Vials.
112.	,, Iargactil 2 m.l.	310	980 Amps.
113.	,, -do- 10ml.	23 Vials.	25 Vials.
114.	,, Lethidron	10 Amps.	5 Amps.
115.	,, Lasix	5570 Amps.	4403 Amps.
116.	,, A.T.S. 10,000 units.	15 Amps.	198 Amps.
117.	,, Campose 2 m.l.	1734 Amps.	1063 Amps.
118.	Lomodax.	15 Bottles.	8 Bottles.
119.	Nidarine.	500 Vials.	575 Vials.
120.	Mophentine	1000 ,,	880 ,,
121.	Nicoren.	1975 Amps.	1700 Amps.
122.	Normal Saline 500 ml.	500 Bottles.	302 Bottles.
123.	Nor. Adrenaline	3006 Amps.	2932 Amps.
124.	Normal Saline 10 ml.	1265 Amps.	3050 Amps.
125.	Novalgin 30 c.c.	1100 Vials.	821 Vials.
126.	Neurobeon (B1, B6, B12)	2000 Amps.	2700 Amps.
127.	Pencillin G. Sodium 10 lac.	15030 Vials	29300 Vials.
128.	,, ,, 5 lac	20000 Vials.	..
129.	Procin Pencillin 4 lac.	50895	33000 ,,
130.	Vit. B-complex	3653 Vials.	2750 Vials.
131.	Prostigmin.	1050 Amps.	1500 Amps.
132.	Phenargan	555 Amps.	1395 Amps.
133.	Perston N.	150 Bottles.	250 Bottles.
134.	Pohovsocine.	5000 Doses.	7000 Doses.
135.	Pendure LA12	230 Vials.	745 Vials.
136.	Rebinix	680 Amps.	900 Amps.
137.	Reverine 225 Mg I/c	580 Vials.	1872 Vials.
138.	Reverine 150 mg. I/H	171 ,,	900 Vials.
139.	Siquil 10 ml.	568 Vials.	870 Vials.
140.	Serpusil	360 Amps.	370 Amps.
141.	S.D.Z.	150 ,,	60 ,,
142.	Streptomy cine 1 gm.	16500 Vials.	16000 Vials.
143.	Streptopencillin 1 gm.	15089	80000 Vials.
144.	,, 1/2 ,,	32200	19000 ,,
145.	Stemetil	..	870 Amp.
146.	Scoline	300 Vials	500 Vials
147.	Sode bi carb	1305 Amps.	2300 Amps.
148.	Spasminden	..	1000 ,,
149.	Terramycine 250 mg. IM/IV	4485 Amps.	550 Amps.
150.	,, ,, 10 ml. vials	290 Vials	548 Vials
151.	Tripal Antigen 10 ml.	10000 Doses	8000 Doses
152.	Tubrine	110 Vials	150 Vials
153.	Tetanus Texide	8000	7652 Amps.
154.	T.A.B. Vaccine	500 ml.	850 ml.
155.	Uromire	..	..
156.	Unimanital	117 Bottles	345 Bottles
157.	Vit. C 500 mg.	2466 Amps.	3550 Amps.
158.	Vason	330 Amps.	400 Amps.
159.	Vit. A	612 ,,	..
160.	Vit. B	..	800
161.	Wymesone (Dexona)	44290 Vials.	41078 Vials.
162.	Wycort.	329 Vials	854 Vials.
163.	Whooping cough vaccine	25 10 ml.	40 Vials.
164.	Xyllocard	65 Vials	..
165.	Xycaine 2% 30 ml.	1050 Vials	1800 Vials.
166.	Xylocaine 1%	1100 ,,	1600 ,,
167.	,, 4%	800 ,,	400 ,,

S. No.	Name of Item	Qty. issued on April 75 to March 76	Qty. issued 76-77.
168.	Xylxaine Dental 5%	650 Vials.	875 Vials.
169.	,, Cartriges	350 ,,	300 ,,
170.	,, —do— with Adunature	500 ,,	860 ,,
171.	X-ray Films	15000	12000 Plates of different sizes.
172.	Berium Sulphate	300 kg.	200 kg.

Note:—In addition to those Drugs & Medicines all types of mixtures, for dressing in Eye, ENT and Sk. outdoors and other dressing materials like Gause, Cotton, Bandage & Adhesive Plaster etc. were also supplied.

———

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची)

पंचायत समिति रानीवाड़ा के उन ग्रामों की सूची जो कि रानीवाड़ा-सेवड़ा लाइन के आस-पास पड़ते हैं :

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	प्रस्तावित कुओं के कनेक्शन की संख्या
1.	जालेराकलां	177	4
2.	जालेराखुर्द	178	3
3.	मांग	185	10
4.	पाल	179	3
5	कूड़ा	182	–
6.	दूरसवाड़ा	183	1
7.	खातरू	180	5
8.	करवाडा	136	12
9.	सेवाड़ा	181	–
10.	मोखातरा	135	2

(122)

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची).

तहसील जैतारण जिला पाली में विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

सूची 'अ'

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	खारचिया	21.	पृथ्वीपुरा
2.	कांवलिया	22.	जाजनवास
3.	आनन्दपुर कालू	23.	पाटवा
4.	बलून्दा	24.	देवरिया
5.	कानेच	25.	चावण्डिया
6.	लितरिया	26.	ओगवा
7.	निम्बोल	27.	जोधावास
8.	लोटोती	28.	जैतारन मय चक
9.	रामावास खुर्द	29.	जुजन्डा
10.	रामावास कलां	30.	सागावास
11.	मालपुरिया	31.	भांकरवास
12.	बीकरलाई	32.	खीनावडी
13.	बांजाकुडी	33.	लाम्बिया
14.	तालकिया	34.	केकिन्दडा
15.	ठाकरवास	35.	कुडकी
16.	कोरालिया	36.	रास
17.	धीरोल	37.	खेडा महाराजपुरा
18.	रानीवाल	38.	निमाज
19.	गरनिया	39.	बिरामपुरी
20.	बैड कलां		

सूची 'ब'

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	आकोदिया	29.	खेड़ा नैनपुरा
2.	अमरपुरा	30.	कोटडिया
3.	आसरलाइ	31.	लाखसनी
4.	बलाडा	32.	लासनी
5.	बलपुरा	33.	लिखमणिया
6.	बांकास	34.	लूम्बडावास
7.	बासो चैनपुरा	35.	टूंकड़ा
8.	भालरवासनो	36.	मोइराई
9.	भूंभलिया	37.	मुन्डावा
10.	गोगासनी	38.	निम्बेडा खुर्द
11.	दागला	39.	ओडावास
12.	देवरिया राजपूतान	40.	पालियास
13.	धनेरिया	41.	पाटस मय चक
14.	डिगरणा	42.	पीपलिया
15.	फालका	43.	पीपाड़ा
16.	गांगलिया	44.	फलमाल
17.	घोडावड	45.	रावडियास
18.	ग्यास	46.	प्रतापपुरा
19.	हिंगोनिया	47.	रामादण्ड
20.	हुनावास कलां	48.	रतनपुरा
21.	हुनावास खुर्द	49.	सागावास
22.	जनासनो	50.	समोखी
23	कानावास	51.	सेवरिया
24.	कटपोर दयाल	52.	सिनला
25.	खराडो	53.	सोमावास
26.	खाती खेड़ा	54.	डीबडी
27.	खींदावास	55.	तिगरा
28.	खेडा भोलावास		